

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-12वि0-192/2024 - 866

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 8.06.26

विषय:- विभिन्न विभागों एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों से प्राप्त डिबार आदेश/निबंधन रद्द करने/कालीकृत करने/मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल कटिहार के कार्यालय आदेश-182 सह पठित ज्ञापांक-1607 दि0-17.04.26, आदेश संख्या-287 सह पठित-ज्ञापांक-1901 दि0-07.05.26, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर के आदेश सं0-41 सहपठित-ज्ञापांक-1120 दि0-22.04.26, कार्यपालक अभियंता लोक, स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा के सह पठित-ज्ञापांक-1582 दि0-11.05.26, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया के आदेश सं0-303 सह पठित-ज्ञापांक-1490 दि0-06.05.26, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ के कार्यालय आदेश-32 सह पठित ज्ञापांक-893 दि0-22.04.26, आदेश संख्या-33 सह पठित-ज्ञापांक-894 दि0-22.04.2026, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा के कार्यालय आदेश-62 सह पठित ज्ञापांक-732 दि0-21.04.26 एवं आदेश संख्या-61 सह पठित ज्ञापांक-721 दि0-21.04.2026, जल संसाधन विभाग के आदेश ज्ञापांक-2696 दि0-20.05.26, आदेश ज्ञापांक -2909 दि0-29.05.26, आदेश ज्ञापांक-2907 दि0-29.05.26, आदेश ज्ञापांक-2802 दि0-25.05.26, आदेश ज्ञापांक-1716 दि0-30.03.26, पथ निर्माण विभाग, के आदेश ज्ञापांक-1087 (E) दि0-13.02.2026, आदेश ज्ञापांक-1043 (E) दि0-12.02.26, ग्रामीण कार्य विभाग के आदेश ज्ञापांक-3074 दि0-11.03.2026, आदेश ज्ञापांक-3081 दि0-11.03.2026, आदेश ज्ञापांक-3075 दि0-11.03.26, आदेश ज्ञापांक-3080 दि0-11.03.26, आदेश ज्ञापांक-3073 दि0-11.03.26, आदेश ज्ञापांक-2552 दि0-24.02.26, आदेश ज्ञापांक-3983 दि0-30.03.26, आदेश ज्ञापांक -3977 दि0-31.03.26, आदेश ज्ञापांक -3978 दि0-30.03.26, आदेश ज्ञापांक-3981 दि0-30.03.26, आदेश ज्ञापांक-3982 दि0-30.03.26, आदेश ज्ञापांक-3980 दि0-30.03.26, आदेश ज्ञापांक-3979 दि0-30.03.26, आदेश ज्ञापांक-3976 दि0-30.03.26, आदेश ज्ञापांक-5119 दि0-28.04.2026, आदेश ज्ञापांक-5078 दि0-28.04.2026, आदेश ज्ञापांक-5176 दि0-29.04.2026, आदेश ज्ञापांक-5175 दि0-29.04.2026, आदेश ज्ञापांक-5117 दि0-28.04.2026, आदेश ज्ञापांक-5118 दि0-28.04.2026, आदेश ज्ञापांक-5115 दि0-28.04.26, आदेश ज्ञापांक-5116 दि0-28.04.26, आदेश ज्ञापांक-5077 दि0-28.04.26, आदेश ज्ञापांक-4865 दि0-21.04.26, आदेश ज्ञापांक-4868 दि0-21.04.26, आदेश ज्ञापांक-4866 दि0-21.04.26, आदेश ज्ञापांक-4867 दि0-21.04.26, आदेश ज्ञापांक-4873 दि0-21.04.26, आदेश ज्ञापांक-4864 दि0-21.04.26, आदेश ज्ञापांक-5174 दि0-28.04.26, आदेश ज्ञापांक -5369 दि0-04.05.26, आदेश ज्ञापांक-6187 दि0-19.05.26, आदेश ज्ञापांक-6188 दि0-19.05.2026, आदेश ज्ञापांक-3709 दि0-24.03.2026, आदेश ज्ञापांक-3710 दि0-24.03.26, आदेश ज्ञापांक-4241 दि0-06.04.26, आदेश ज्ञापांक-4239 दि0-06.04.25, आदेश ज्ञापांक-4238 दि0-06.04.26, आदेश ज्ञापांक-4112 दि0-02.04.26, आदेश ज्ञापांक-4242 दि0-06.04.26, आदेश ज्ञापांक-4254 दि0-06.04.26, आदेश ज्ञापांक -4124 दि0-02.04.26, पथ निर्माण विभाग, के आदेश ज्ञापांक-2323 (E) दि0-07.04.26, आदेश ज्ञापांक-2335 (E) दि0-07.04.26, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, के आदेश ज्ञापांक-1820 दि0-10.03.26, आदेश ज्ञापांक-1821 दि0-10.03.26, आदेश ज्ञापांक-1819 दि0-10.03.26, आदेश ज्ञापांक-1851 दि0-12.03.26, आदेश ज्ञापांक-1853 दि0-12.03.26

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश/पत्र, जो विभाग को प्राप्त है, की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

अभय कुमार सिंह
07/06/26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पत्रांक-12वि0-192/2024-866
प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

दिनांक- 8/6/26

अभय
07/06/26

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

दिनांक- 8/6/26

पत्रांक-12वि0-192/2024-866
प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं निदेश है कि विभागीय
साईट पर Upload करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
अनु0-यथोपरि।

अभय
07/06/26

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

MP

Q

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

2078

कार्यालय आदेश संख्या:-...287... / कटिहार, दिनांक:-07/05/2026

मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के तहत 'हर घर नल का जल' योजना अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार अन्तर्गत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराये जाने हेतु चंदन कुमार सिंह, दुर्गास्थाल, कटिहार (पंजीकरण संख्या- 01586/2019) द्वारा किये गये एकरारनामा SBD-199, 200 & 211/2019-20 (प्रखंड-कोड़ा के पंचायत-रजवारा एवं रीतारा) के विरुद्ध कार्यादेश आवंटित किया गया है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा विद्युत विपत्र एवं पम्प चालक का मानदेय का भुगतान लम्बे अवधि से उचित है एवं CGRC Portal से प्राप्त शिकायत को निवारण ससमय नहीं किया जाता है।

उपरोक्त स्मारों/निर्देशों के बावजूद भी आपके द्वारा ना तो पायी गयी त्रुटियों का निराकरण कराया गया और ना ही आपके कार्यशैली में कोई सुधारात्मक पहल नहीं किया गया। साथ ही CGRC Portal पर दर्ज किये गये शिकायतों का निवारण हेतु संबंधित पदाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद भी त्रुटि का निदान ससमय नहीं किया जाता है। जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी को लाभुकों/ग्राहकों का रोष का सामना करना पड़ रहा है एवं जन कल्याणकारी योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है।

आपकी कार्यशैली, लापरवाही एवं उदासीनता से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा मरम्मत एवं सम्योषण का कार्य का निष्पादन कराये जाने में कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

अतः बाध्य होकर उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में एकरारनामा के नियमों/शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादन में लापरवाही एवं उदासीनता के विरुद्ध सम्यक विचारोंपरांत विहार, ठिकंदारी निबंधन नियमावली 2007 की कड़िका-11 (क) की उप-कड़िका-11 के आलोक में चंदन कुमार सिंह, दुर्गास्थाल, कटिहार को अगले अन्य निविदाओं में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि 24 घंटों के अन्दर उक्त त्रुटियों का निराकरण कराना सुनिश्च करें अन्यथा आपके एकरारनामा को विखंडित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।

ज्ञापांक. 1901 / कटिहार, दिनांक. 07/05/2026
प्रतिलिपि:- चंदन कुमार सिंह, दुर्गास्थाल, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक. 1901 / कटिहार, दिनांक. 07/05/2026
प्रतिलिपि:- सभी सहायक अभियन्ता/सभी कनीय अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक. 1901 / कटिहार, दिनांक. 07/05/2026
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ / मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रखेत्र पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ज्ञापांक. 1901 / कटिहार, दिनांक. 07/05/2026
प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार



4-12/14
19/05/26

4-12/14
19/05/26

4-12/14
19/05/26



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई-मेल :- eephed_bgp_west@yahoo.in

दूरभाष-0641.2400097



विद्युत कर्तव्य

2017

कार्यालय आदेश संख्या-41/भागलपुर, दिनांक-22/04/2026ई0

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना हर घर नल का जल योजना के तहत संवेदक/एजेंसी, D K GROUP OF

INDUSTRIES, 'Sole Proprietorship' Vill- Hanuman Nagar Shivpuri Bhagalpur, Jagdishpur Bhagalpur, Bihar, Dist- Bhagalpur, Pin-812001 को एकरानामा संख्या-SBD-70/2019-20, के अन्तर्गत प्रखण्ड-शाहकुण्ड, पंचायत-करवाखेरी वार्ड नं०-07, 08 एवं 09 का वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य एवं पाँच वर्षों के लिए रख-रखाव एवं संपोषण से संबंधित कार्य आवंटित है। उपरोक्त एकरानामा अन्तर्गत आपके कार्य से संबंधित CGRC शिकायत निवारण हेतु कई बार मौखिक, दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से यथा इस कार्यालय के पत्रांक-1000, दिनांक-10.04.2026 को निदेशित करते हुए दो दिनों के अन्दर लंबित शिकायतों का निवारण कर ATR उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था, एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज का पत्रांक-208, दिनांक-15.04.2025 एवं पत्रांक-225, दिनांक-22.04.2026 द्वारा भी सूचित किया गया था। परन्तु संवेदक के द्वारा कोई अभिरुचि नहीं ली गई। पुनः संवेदक को विभागीय मानक के अनुसार गैंग टीम (मरम्मतो दल) रख कर CGRC एवं श्रोतों के प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन कराने के लिए निदेशित किये जाने के बावजूद भी इस संबंध में कोई रुची नहीं ली गई। साथ ही बकाया विद्युत पटविद्युत विपत्र भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक-2734, दिनांक-24.09.2025, पत्रांक-3176, दिनांक-15.11.2025 एवं कार्यालय आदेश सं०-103, सह-पठित झापांक-3470, दिनांक-12.12.2025 द्वारा लंबित विद्युत भुगतान हेतु अनुरोध किया गया था, जो लम्बित है। तत्पश्चात जॉच पदाधिकारी, पटना, मुख्यालय पत्रांक-04-M, दिनांक-10.04.2026 द्वारा पत्र के माध्यम से कहा गया कि संवेदक द्वारा विभागीय कार्यों के प्रति संवेदक के घोर लापरवाही से CGRC एवं अन्य श्रोतों के प्राप्त शिकायत लम्बे समय से लंबित है। स-रामय कार्य नहीं होने पर शिकायतकर्ता जनप्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा निराशा व्यक्त की जाती है एवं उनके विरोध का सामना करना पड़ता है, वर्तमान में प्रखण्ड-शाहकुण्ड अन्तर्गत 02 अटव्द CGRC शिकायत लंबित है। जो निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	CGRC Complaint No	प्रखण्ड	पंचायत	वार्ड नं०	संबंधित शिकायत	शिकायतकर्ता का नाम/सोपाईल नं०	Complaint Date
1	E04179663130226103459	शाहकुण्ड	करवाखेरी	08	पम्प ऑपरेटर का मानदेय भुगतान नहीं होने से संबंधित	हिमानु कुमार / 7033976927	13.02.2026
2	DCC021396001705260901	शाहकुण्ड	करवाखेरी	09	नल जल में पानी का प्रेशर कम आता है।	श्री विदिन कुमार / 9241425954	17.03.2026

अतः सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज का पत्रांक-208, दिनांक-15.04.2025, 2025, पत्रांक-225, दिनांक-22.04.2026 एवं जॉच पदाधिकारी, पटना, मुख्यालय पत्रांक-04-M, दिनांक-10.04.2026 के आलोक में संवेदक द्वारा एकरानामा के शर्तों के निष्पादन में धूक के लिए सम्यक विचारोपरान्त एवं बिहार टंकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कडिका 11 (क) की उप कडिका तथा समान्य निदेश की कडिका 3.3 एवं 4.3 के आलोक में संवेदक/एजेंसी, D K GROUP OF INDUSTRIES, 'Sole Proprietorship' Vill- Hanuman Nagar Shivpuri Bhagalpur, Jagdishpur Bhagalpur, Bihar, Dist- Bhagalpur, Pin-812001(बिहार) को एकरानामा संख्या-SBD-70/2019-20, (सूचीबद्धता सं०-170220200108/2020) को अगले निवेदा में भाग लेने से संबंधित (झिवर) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अन्दर CGRC से प्राप्त लंबित शिकायतों का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो उक्त एकरानामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राज्यसात कर ली जाएगी, जिराके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

22/04/26

पत्रांक-1120, दिनांक-22.04.2026

प्रतिलिपि-संवेदक/एजेंसी, D K GROUP OF INDUSTRIES, 'Sole Proprietorship' Vill- Hanuman Nagar Shivpuri Bhagalpur, Jagdishpur Bhagalpur, Bihar, Dist- Bhagalpur, Pin-812001 (बिहार) को सूचनार्थ भेगित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

22/04/26

2576

ज्ञापांक :- 1120/भागलपुर, दिनांक-22/04/2026ई0
प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल सुल्तानगंज/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, शाहकुण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1120/भागलपुर, दिनांक-22/04/2026ई0
प्रतिलिपि:- ग्रामीण कार्य विभाग (प्रमंडल-पश्चिम/पूर्वी), भागलपुर/भवन निर्माण विभाग, भागलपुर/योजना एवं विकास विभाग, भागलपुर/नगर विकास एवं आवास विभाग, भागलपुर/लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/पथ निर्माण विभाग, भागलपुर/बुडको, भागलपुर/LAEO, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1120/भागलपुर, दिनांक-22/04/2026ई0
प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1120/भागलपुर, दिनांक-22/04/2026ई0
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार/अनुश्रवण) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1120/भागलपुर, दिनांक-22/04/2026ई0
प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, (का0 प्र0) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1120/भागलपुर, दिनांक-22/04/2026ई0
प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, (मुख्यालय) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर



2015

ई मेल :- esphed_bgp_west@yahoo.in

दूरभाष-0641.2400097

पत्रांक / 1000 / भागलपुर

दिनांक 10 / 04 / 2026

प्रेषक-

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

सेवा में,

D K GROUP OF INDUSTRIES, CONTRACTOR
Prop-Dipendra Kumar Rai, ADAMPUR, BHAGALPUR.
MOB. NO-8709558406,
एकत्रारनामा सं०- S.B.D- 70/2019-20

प्रसंग-

पत्रांक-04-M दिनांक-10.04.2026, CGRC Complain Vr NO- E04179663130226103459
दिनांक-13.02.2026

विषय-

शाहकुण्ड प्रखंड अन्तर्गत करावा खेरी पंचायत के वार्ड सं०-07 में जलापूर्ति निरीक्षण के दौरान गंभीर त्रुटियों को निराकरण करने के संबंध में।

माताशय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में शाहकुण्ड प्रखंड अन्तर्गत करावा खेरी पंचायत के वार्ड सं०-07 में हर घर नल जल योजना का एकरारनामा सं०- SBD- 70/2019-20 द्वारा कार्य आवंटित है जो निरीक्षण के दौरान अनेको प्रकार की त्रुटियां पाई गई हैं जो निम्न हैं (1) 150 घरों के लक्ष्य के विरुद्ध कई क्षेत्रों में जलापूर्ति याचित है प्लोरीमेटर और IOT सिस्टम पूरी तरह से ठप है। इलेक्ट्रिक वायरिंग, स्टेबलाइजर की स्थापना और स्ट्रक्चर की मरम्मत व पेंटिंग तथा पम्प ऑपरेटर का मानदेय भुगतान यथासंभव करें। (2) पंचायत करावा खेरी, वार्ड नं०-08 ग्राम-गोरी गामा के अंतर्गत कुल 150 घरों में से 30 घरों तक पानी बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है। पाईपालन की चाबी खराब है स्टेबलाइजर और प्लोरीमेट अनुपलब्ध हैं। पंप हाउस की वायरिंग असुरक्षित है और स्ट्रक्चर की पेंटिंग व मटेनेंस का अभाव है। उपरोक्त प्रासांगिक CGRC Complain के निराकरण के लिए कई बार आपका निदेशित किया जा चुका है। परन्तु आदिनांक इसका निराकरण आपके द्वारा नहीं कराया जा सका है जो अत्यंत ही खेदजनक है।

अतः सभी कार्यों को 2 दिनों के अंदर मरम्मत संपोषण का कार्य त्रुटियों दूर कराकर तथा पम्प ऑपरेटर का भुगतान कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध सविधा के सुसंगत धारा के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे कृपया इसे अतिआवश्यक समझें एवं गंभीरता से लें।

विरवारमायु

कार्यपालक अभियंता,

पत्रांक- 1000 / दि०, भागलपुर

दिनांक- 10 / 04 / 2026 ई०

प्रतिलिपि- राहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, सुल्तानगंज को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि स्तरीयक से संपर्क स्थापित कर सभी त्रुटियों को दूर धारणा सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता,

पत्रांक- 1000 / दि०, भागलपुर

दिनांक- 10 / 04 / 2026 ई०

प्रतिलिपि- अरीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंशल भागलपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संपोषण

कार्यपालक अभियंता,

2079

प्रपत्रक-

सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल,
सुल्तानगंज।

सेवा में,

D K GROUP OF INDUSTRIES, CONTRACTOR
Prop-Dipendra Kumar Rai, ADAMPUR, BHAGALPUR,
MOB. NO-8709558406,
एकरारनामा सं- S.B.D- 70/2019-20

विषय-

शाहकुण्ड प्रखंड अन्तर्गत कसवा खेरही पंचायत के वार्ड सं-07,08 एवं 09 में जलापूर्ति निरीक्षण के दौरान निर्भर त्रुटियों को निराकरण करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक- 09.04.2026 को सहायक अभियंता के द्वारा (निरीक्षण पदाधिकारी) PHED HQ Patna द्वारा:-

(A) शाहकुण्ड प्रखंड अन्तर्गत कसवा खेरही पंचायत के वार्ड सं-07 में निम्नलिखित त्रुटियों पाई गई है जो निम्न है:-

(a) 150 घरों के विरुद्ध कई घरों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।

(b) क्लोरीनेटर अकार्यरत

(c) पम्प हाउस का स्ट्रेजिंग का मरम्मत एवं पेंटिंग की आवश्यकता है। पम्प हाउस में स्टेपलाइजर एव वायरिंग नहीं पाया गया है।

(B) शाहकुण्ड प्रखंड अन्तर्गत कसवा खेरही पंचायत के वार्ड सं-08 के योजना में निम्नलिखित त्रुटियों पाई गई है जो निम्न है:-

(a) इस योजना के तहत 30 घरों में पानी विलकुल नहीं आ रहा है।

(c) स्टेपलाइजर एवं क्लोरीनेटर अनुपलब्धता है।

(d) पम्प हाउस में वायरिंग एवं स्ट्रेजिंग की पेंटिंग नहीं है।

(C) शाहकुण्ड प्रखंड अन्तर्गत कसवा खेरही पंचायत के वार्ड सं-09 के योजना में निम्नलिखित त्रुटियों पाई गई है। CGRC Complain Vr N0- DCC02139001703260901 दिनांक-17.03.2026 श्री विपीन कुमार जो निम्न है:-

(a) मॉटर बदलने की आवश्यकता है।

अतः उक्त कार्य का निराकरण 03 दिनों के अन्दर करना अनिवार्य है ताकि इसका अद्यतन रिपोर्ट विभाग को भेजा जा सके। कार्य सततमय पूर्ण नहीं होने पर विपरित परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।

अनु- 1. HO का पत्र।
2. CGRC Complain

Handwritten signature
15/4/2026
S.E

विश्वारामभाजन

Handwritten signature
15/04/26

सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज।

शापांक- 208 / दि०, सुल्तानगंज दिनांक- 15/04/2026ई०

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर सूचनाार्थ समर्पित।

Handwritten signature
15/04/26

सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज।

पत्रांक-04-M

दिनांक-10/04/26

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर वेस्ट।

विषय: शाहकुण्ड (Shahkund) प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के निरीक्षण में पाई गई गंभीर त्रुटियों के निराकरण एवं अनुपालन (Compliance) के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि मेरे द्वारा शाहकुण्ड प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में संचालित योजनाओं का विस्तृत भौतिक निरीक्षण किया गया है। भीषण गर्मी और पानी की बढ़ती किल्लत को देखते हुए निम्नलिखित कमियों पर यथाशीघ्र कार्रवाई और अनुपालन अपेक्षित है:

1. PHED योजना (पंचायत: कसवा खेरी, वार्ड 07, ग्राम: गोरी गामा):

- **समस्या:** यहाँ 150 घरों के लक्ष्य के विरुद्ध कई क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित है। क्लोरीनेटर और IOT सिस्टम पूरी तरह ठप हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग अत्यंत असुरक्षित और अव्यवस्थित है। पंप हाउस के स्ट्रक्चर को तत्काल मरम्मत और पेंटिंग की आवश्यकता है। बिजली बिल का भारी बकाया है।
- **अनुपालन:** पंप ऑपरेटर प्रशांत कुमार के बकाया मानदेय का यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। सुरक्षित इलेक्ट्रिक वायरिंग, स्टेबलाइजर की स्थापना और स्ट्रक्चर की मरम्मत व पेंटिंग कराते हुए अनुपालन रिपोर्ट सौंपें।

2. PHED योजना (पंचायत: कसवा खेरी, वार्ड 08, ग्राम: गोरी गामा):

- **समस्या:** योजना के अंतर्गत कुल 150 घरों में से 30 घरों तक पानी बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा है। पाइपलाइन की चाबी (Valve) खराब है। स्टेबलाइजर और क्लोरीनेटर अनुपलब्ध हैं। पंप हाउस की वायरिंग असुरक्षित है और स्ट्रक्चर की पेंटिंग व मेंटेनेंस का अभाव है।
- **अनुपालन:** ऑपरेटर के बकाया भुगतान का तत्काल समाधान करें। खराब वाल्व को तुरंत बदलकर बाधित 30 घरों में सप्लाई बहाल करें। उचित वायरिंग, पेंटिंग और उपकरणों (स्टेबलाइजर व क्लोरीनेटर) की स्थापना कर रिपोर्ट दें।

3. PHED योजना (पंचायत: मखनपुर, वार्ड 07):

- **समस्या:** यहाँ स्थिति अत्यंत दयनीय है। 250 घरों के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 60 घरों में ही पानी पहुँच रहा है, जबकि शेष घरों में सप्लाई पूरी तरह बाधित है। स्टैंड पोस्ट और नलों का कनेक्शन त्रुटिपूर्ण है। डिस्चार्ज और प्रेशर अत्यंत कम है। स्टेबलाइजर और क्लोरीनेटर गायब हैं और बाईपास से अवैध पंप संचालन हो रहा है।
- **अनुपालन:** ऑपरेटर अंजनी कुमार के लंबित मानदेय का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बाईपास सप्लाई हटाकर मीटर चालू कराएं और बाधित घरों में जलापूर्ति बहाल करने हेतु पाइपलाइन फिटिंग को दुरुस्त करते हुए स्टेबलाइजर व क्लोरीनेटर लगाएं।

4. PRD योजना (पंचायत: जगरिया, ग्राम: झंडापुर, वार्ड 14):

- **कमियां:** कार्यरत योजना होने के बावजूद पंप हाउस में विद्युत मीटर, स्टेबलाइजर और क्लोरीनेटर की कोई व्यवस्था नहीं है।
- **अनुपालन:** इन तीनों आवश्यक उपकरणों को यथाशीघ्र अधिष्ठापित कर उसकी फोटो सहित रिपोर्ट प्रेषित करें।

5. PRD - LOT योजना (पंचायत: जगरिया वार्ड 13, 14 एवं पंचायत: बिल्थू वार्ड 10):

- **स्थिति:** ये योजनाएं रवीकृत हैं लेकिन केवल टेंडर प्रक्रिया में लंबित हैं।
- **अनुपालन:** भीषण गर्मी को देखते हुए टेंडर प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने की निश्चित तिथि स्पष्ट करें।

6. LOT योजना - निर्माणाधीन (पंचायत: कसवा खेरी, ग्राम: गोरी गामा):

- **स्थिति:** यहाँ फिटिंग का कार्य अभी भी शेष है।
- **अनुपालन:** आगामी एक माह के भीतर ट्रायल रन शुरू करने की समय-सीमा (Timeline) उपलब्ध कराएं।

7. PRD - LOT योजना एवं क्रियाशील इकाई (पंचायत: खुलनी, ग्राम: पंचरुखी, वार्ड 02):

- **LOT विवाद:** निजी भूमि विवाद के कारण पाइपलाइन कार्य बाधित है, जिससे लगभग 80 घर प्रभावित हैं। समाधान हेतु मुखिया द्वारा कराई गई पुरानी बोरिंग को LOT में इन-कॉंपैरेट करने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करें।
- **क्रियाशील इकाई:** वर्तमान चालू योजना में स्टेबलाइजर लगा है, लेकिन क्लोरीनेटर उपलब्ध नहीं है। इसे तुरंत लगाकर शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

22/04/26

2072

पत्रांक-225/ भागलपुर,

दिनांक-22/04/2026 ई0

प्रेषित,

सहायता अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज।

प्रेषित,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

विषय :-

सहायक अभियंता मुख्यालय द्वारा दिनांक-09.04.2026 शाहकुण्ड प्रखंड अन्तर्गत कसवा खेरही, पंचायत के वार्ड संख्या-07, 08 एवं 09 में जलापूर्ति निरीक्षण के दौरान गंभीर त्रुटियों का एवं CGRC Portal से प्राप्त शिकायत का निष्पादन करने के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्रांक-208, दिनांक-15.04.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि योजना में पाये गये त्रुटी का निराकरण करने हेतु निदेशित किया गया था। जिसके बावजूद भी संवेदक के द्वारा अबतक किसी प्रकार का निराकरण नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी तक CGRC एवं मुख्यालय से सहायक अभियंता द्वारा निरीक्षण के दौरान योजना में पाये गये त्रुटियों का भी निराकरण नहीं कराया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करते हुए संवेदक D K Group एकरारनामा सं0-SBD-70/2019-20 को डिबार किया जा सकता है।

22/4/25

सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज।



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई-मेल :- ecphed_bgp_west@yahoo.in

दूरभाष-0641.240007



201

पत्रांक-2734/ भागलपुर. दिनांक-24/09/2025 ई0

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

सेवा में,

M/S DK GROUP, Contractor,
Agreement No-SBD-70/2019-20

विषय :-

संवेदकों/एजेन्सियों के माध्यम से परिचालित विभागीय जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्या के विद्युत विपत्रों के विरुद्ध लंबित बकाया राशि भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :-

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विहार, पटना का पत्रांक-14/नि01-101/25- 447 पटना, दिनांक-09.04.2025

प्रमंडलीय एकरारनामा संख्या-SBD-70/2019-20

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रमंडलीय एकरारनामा संख्या-SBD-70/2019-20 के द्वारा प्रखंड-शाहकुण्ड, पंचायत-करावाखोरही के वार्ड 07 में हर घर नल जल योजना के तहत वार्ड स्तरीय/ग्रामीण जलापूर्ति के अनावश्यक अवयवों का निर्माण के पश्चात तीन माह का ट्रायल रन एवं 60 महीने के परिचालन एवं रख-रखाव का कार्य आवंटित है, जिसके तहत जलापूर्ति योजना के परिचालन के दौरान खपत की गई लंबित विद्युत विपत्र निम्नवत् है :-

क्र0सं0	CA No.	पंचायत	वार्ड नं0	लंबित विद्युत विपत्र	अभ्युक्ति
1	233105491513	करावाखोरही	07	206873.00	
कुल				206873.00	

उपर्युक्त लंबित विद्युत विपत्र जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना है। लंबित विद्युत विपत्र का भुगतान अगले सात दिवस तक करना सुनिश्चित करते हुए इस कार्यालय को भुगतान प्रति उपलब्ध कराते हुए सूचित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध एकरारनामा सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उत्पन्न किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

ज्ञापक-2734/ भागलपुर. दिनांक-24/09/2025 ई0

प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुलतानगंज संवेदक से सगंधरा स्थापित कर लंबित विद्युत विपत्र का भुगतान कराना सुनिश्चित करें, तथा फलाफल से अधोहस्ताक्षरी को अद्यत कराना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

ज्ञापक-2734/ भागलपुर. दिनांक-24/09/2025 ई0

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रखंड, भागलपुर को सादर सूचनाार्थ सगर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

24/09/2025
JTB

MP
24/09/25
AB

2070



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई-मेल:-eepled_bgp_west@yahoo.in दूरभाष-0641.2400097



पत्रांक-3176/ भागलपुर, दिनांक-15/11/2025 ई0

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

सेवा में

SRI DIPENDRA KUMAR RAI, Contractor,
एकरारनामा संख्या-SBD-70/2019-20

विषय :-

संवेदकों/एजेन्सियों को माध्यम से परिचालित विभागीय जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्या के विद्युत विपत्रों के विरुद्ध लंबित बकाया राशि भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :-

अभियंता प्रमुख-राह-बिरोप सचिव (मु0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विहार, पटना का पत्रांक-14/गि01-101/25- 447 पटना, दिनांक-09.04.2025

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि एकरारनामा संख्या-SBD-70/2019-20 के अंतर्गत प्रखंड-शाहकुण्ड में हर घर नल जल योजना के तहत वार्ड स्तरीय योजना के तहत जलापूर्ति योजना के परिचालन के दौरान खपत की गई लम्बित विद्युत विपत्र निम्नवत है :-

क्र0 सं0	योजना का नाम	उपभोक्ता संख्या	उपभोक्ता का पता	लम्बित विद्युत विपत्र	अन्युचित
1	Ward Level Scheme	233105491578	VILL-MAKANPUR, TOLA-MAKANPUR PANCH-MAKANPUR, BLOCK-SHAHKUND DIST-BHAGALPUR	153157.74	
2	Ward Level Scheme	233105491513	VILL-GURGAWAN, TOLA-GURGAWAN PANCH-KASWA KHERHI, BLOCK-SHAHKUND DIST-BHAGALPUR	218542.13	
3	Ward Level Scheme	233105491523	VILL-GURGAWAN, TOLA-GURGAWAN PANCH-KASWA KHERHI, BLOCK-SHAHKUND DIST-BHAGALPUR	123065.93	
कुल-				494765.80	

उपर्युक्त लंबित विद्युत विपत्र जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना है। लम्बित विद्युत विपत्र का भुगतान अगले तीन कार्य दिवस तक करना सुनिश्चित करते हुए इस कार्यालय को भुगतान प्रति उपलब्ध कराते हुए सूचित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध एकरारनामा सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उत्पन्न क्विटी भी विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

15/11/25
TE

विश्वासभाजन
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

ज्ञापक-3176/ भागलपुर, दिनांक-15/11/2025 ई0

प्रतिलिपि - सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, सुल्तानगंज संवेदक से समन्वय स्थापित कर लम्बित विद्युत विपत्र का भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा फरलाफल से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

ज्ञापक-3176/ भागलपुर, दिनांक-15/11/2025 ई0

प्रतिलिपि - अवीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर को सादर सूचनाएं समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर



ई-मेल :- cepled_bgp_west@yahoo.in

दूरभाष-0641.2400097

कार्यालय आदेश संख्या-103/भागलपुर,

दिनांक-12/12/2025ई0

मूल जल योजना अंतर्गत प्रमंडल अंतर्गत निम्न विवरणी के अनुसार जलापूर्ति योजनाओं का पाँच वर्षों के संचालन एवं रख-रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु संवेदक, M/s DK Group of Industries को एकरारनामा संख्या- SHD-70/2019-20 निष्पादित किया गया है (विवरणी संलग्न)।

उक्त एकरारनामा के अनुसार वर्णित एकरारनामा के सभी जलापूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु हुए विद्युत खपत के विरुद्ध विद्युत विपत्र मद में आपके स्तर से भुगतान किये जाने का प्रावधान है, जिसका भुगतानोपरान्त प्रमंडल द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना प्रावधानित है।

विदित है कि विभागीय पत्रांक-92, दिनांक-18.03.2019 तथा पत्रांक-260, दिनांक-05.07.2024 द्वारा भी विद्युत विपत्र के वास्तविक भुगतान के संदर्भ में आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत है। इस कार्यालय के पत्रांक-2734, दिनांक-24.09.2025 द्वारा भी लघित वकाये विद्युत विपत्र भुगतान हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि आपके स्तर से एकरारनामा के विरुद्ध जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत विपत्रों का (आंशिक भुगतान)/ (शून्य भुगतान) किया जा रहा है। फलस्वरूप विद्युत विपत्रों के वकाया राशि (Delay Payment Surcharge सहित) में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। विद्युत विपत्र मद में अत्यधिक वकाया राशि के अखिल भुगतान हेतु विहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के वितरण कम्पनियों द्वारा लगातार अनुरोध किया जा रहा है। ऐसी भी सम्भावना हो सकती है कि वकाया राशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत संबंध विच्छेदित कर दिया जायेगा, जिससे नियमित जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा तथा आम जन को पेयजलापूर्ति प्राप्त करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है।

विद्युत मद में आपके द्वारा नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाना एकरारनामा में निहित प्रावधान का घोर उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत खेच्छाधारिता का द्योतक है।

अतः उक्त के आलोक में आदेश दिया जाता है कि वर्णित एकरारनामा से संबंधित सभी जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विरुद्ध अद्यतन माह तक के वकाया राशि का एक सप्ताह के अन्दर शत-प्रतिशत भुगतान करते हुए उपभोक्ता संख्यावार भुगतान गई राशि से संबंधित प्रतिवेदन (भुगतान की रसीद के साथ) प्रमंडल कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित अवधि के भीतर आपके द्वारा भुगतान नहीं करने एवं तत्संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में एकरारनामा से संबंधित सभी जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विरुद्ध अद्यतन माह तक के वकाया राशि का भुगतान अनर्हित में प्रमंडल द्वारा किया जायेगा, जो आपके विपत्र से भारितव्य होगा। साथ ही, संबंधित दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण एकरारनामा के प्रावधान के अनुसार आपके विरुद्ध नियमसंगत/विधिसम्मत (डिबार/काली सूची में डालना/एकरारनामा का विखण्डन) कार्रवाई किया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

विद्युत विपत्र मद में आपके द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण से यह आदेश निर्गत किया जाता है, जिसका निर्धारित अवधि के अन्दर अनुपालन आपके द्वारा किया जाना वांछित है, अन्यथा एकरारनामा के प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण की गई प्रतिकूल कार्रवाई के विरुद्ध आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में इसे एकरारनामा के कंडिशन-14 में निहित प्रावधान के कार्रवाई हेतु इसी प्रथम सूचना माना जाय।


कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

आपका - 3470/भागलपुर, दिनांक-12/12/2025ई0


प्रतिरिपि :- सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुलतानगंज को सूचनाार्थ प्रेषित।


कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

आपका - 3470/भागलपुर, दिनांक-12/12/2025ई0

प्रतिरिपि - अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रदेय, भागलपुर को स्तर सूचनाार्थ समर्पित।


कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

2007

दिनांक-10/04/26

पत्रांक-04-M
सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर वेस्ट।

विषय: शाहकुण्ड (Shahkund) प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के निरीक्षण में पाई गई गंभीर त्रुटियों के निराकरण एवं अनुपालन (Compliance) के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि मेरे द्वारा शाहकुण्ड प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में संचालित योजनाओं का विस्तृत भौतिक निरीक्षण किया गया है। भीषण गर्मी और पानी की बढ़ती किल्लत को देखते हुए निम्नलिखित कमियों पर यथाशीघ्र कार्रवाई और अनुपालन अपेक्षित है:

1. PHED योजना (पंचायत: कसवा खेरी, वार्ड 07, ग्राम: गोरी गामा):

- समस्या: यहाँ 150 घरों के लक्ष्य के विरुद्ध कई क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित है। क्लोरीनेटर और IOT सिस्टम पूरी तरह ठप हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग अत्यंत असुरक्षित और अव्यवस्थित है। पंप हाउस के स्ट्रक्चर को तत्काल मरम्मत और पेंटिंग की आवश्यकता है। बिजली बिल का भारी बकाया है।
- अनुपालन: पंप ऑपरेटर प्रशांत कुमार के बकाया मानदेय का यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। सुरक्षित इलेक्ट्रिक वायरिंग, स्टेबलाइजर की स्थापना और स्ट्रक्चर की मरम्मत व पेंटिंग कराते हुए अनुपालन रिपोर्ट सौंपें।

2. PHED योजना (पंचायत: कसवा खेरी, वार्ड 08, ग्राम: गोरी गामा):

- समस्या: योजना के अंतर्गत कुल 150 घरों में से 30 घरों तक पानी बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा है। पाइपलाइन की चाबी (Valve) खराब है। स्टेबलाइजर और क्लोरीनेटर अनुपलब्ध हैं। पंप हाउस की वायरिंग असुरक्षित है और स्ट्रक्चर की पेंटिंग व मॉटेनेंस का अभाव है।
- अनुपालन: ऑपरेटर के बकाया भुगतान का तत्काल समाधान करें। खराब वाल्व को तुरंत बदलकर बाधित 30 घरों में सप्लाई बहाल करें। उचित वायरिंग, पेंटिंग और उपकरणों (स्टेबलाइजर व क्लोरीनेटर) की स्थापना कर रिपोर्ट दें।

3. PHED योजना (पंचायत: मखनपुर, वार्ड 07):

- समस्या: यहाँ स्थिति अत्यंत दयनीय है। 250 घरों के लक्ष्य के सापेक्षित मात्र 60 घरों में ही पानी पहुँच रहा है, जबकि शेष घरों में सप्लाई पूरी तरह बाधित है। स्टैंड पोस्ट और नलों का कनेक्शन त्रुटिपूर्ण है। डिस्चार्ज और प्रेशर अत्यंत कम है। स्टेबलाइजर और क्लोरीनेटर गायब हैं और बाईपास से अवैध पंप संचालन हो रहा है।
- अनुपालन: ऑपरेटर अंजनी कुमार के लंबित मानदेय का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बाईपास सप्लाई हटाकर मीटर चालू कराएं और बाधित घरों में जलापूर्ति बहाल करने हेतु पाइपलाइन फिटिंग को दुरुस्त करते हुए स्टेबलाइजर व क्लोरीनेटर लगाएं।

4. PRD योजना (पंचायत: जगरिया, ग्राम: झंडापुर, वार्ड 14):

- कमियां: कार्यरत योजना होने के बावजूद पंप हाउस में विद्युत मीटर, स्टेबलाइजर और क्लोरीनेटर की कोई व्यवस्था नहीं है।
- अनुपालन: इन तीनों आवश्यक उपकरणों को यथाशीघ्र अधिष्ठापित कर उसकी फोटो सहित रिपोर्ट प्रेषित करें।

5. PRD - LOT योजना (पंचायत: जगरिया वार्ड 13, 14 एवं पंचायत: बिल्थू वार्ड 10):

- स्थिति: ये योजनाएं स्वीकृत हैं लेकिन केवल टेंडर प्रक्रिया में लंबित हैं।
- अनुपालन: भीषण गर्मी को देखते हुए टेंडर प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने की निश्चित तिथि स्पष्ट करें।

6. LOT योजना - निर्माणाधीन (पंचायत: कसवा खेरी, ग्राम: गोरी गामा):

- स्थिति: यहाँ फिटिंग का कार्य अभी भी शेष है।
- अनुपालन: आगामी एक माह के भीतर ट्रायल रन शुरू करने की समय-सीमा (Timeline) उपलब्ध कराएं।

7. PRD - LOT योजना एवं क्रियाशील इकाई (पंचायत: खुलनी, ग्राम: पंचरुखी, वार्ड 02):

- LOT विवाद: निजी भूमि विवाद के कारण पाइपलाइन कार्य बाधित है, जिससे लगभग 80 घर प्रभावित हैं। समाधान हेतु मुखिया द्वारा कराई गई पुरानी बोरिंग को LOT में इन-कॉंपैरिट करने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करें।
- क्रियाशील इकाई: वर्तमान चालू योजना में स्टेबलाइजर लगा है, लेकिन क्लोरीनेटर उपलब्ध नहीं है। इसे तुरंत लगाकर शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

2007

अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित संवेदकों को कड़े निर्देश दें कि जिन योजनाओं में क्लोरीनेटर और स्टेबलाइजर नहीं है, वहां यथाशीघ्र इनकी स्थापना की जाए और ऑपरेटरों के मानदेय का अविलंब समाधान कराते हुए बिंदुवार अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

विश्वासभाजन

(MK)

10/04/2026

(मुकेश कुमार)

(निरीक्षण पदाधिकारी) PHED HQ, Patna

20/6

CE(S)

/ नवादा, दिनांक:-

पत्रांक:-

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा

सेवा में,

श्री शिव कुमार, (संवेदक)

ग्राम-मोती बिगहा, पोस्ट-गोनावॉ, जिला-नवादा, मोबाइल नम्बर-7004701997
एकरारनामा संख्या-SBD-07/2024-25



विषय :-

डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-

अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नवादा के पत्र संख्या-305 दिनांक-04.05.2026, पत्र संख्या-302 दिनांक-02.05.2026, एवं पत्र संख्या-301 दिनांक-02.05.2026

12/5/26

विभागाध्यक्ष,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा इस प्रमंडल अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत प्रखण्ड-हिसुआ, नरहट, नारदीगंज एवं नवादा प्रशाखा के विरुद्ध PRD विभाग से हस्तान्तरित योजनाओं का रख-रखाव 48 माह का कार्य का एकरारनामा संख्या-SBD-07/2024-25 से आपके द्वारा एकरारनामा किया गया है। आपको बार-बार बैठक एवं पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विभाग के CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निपटारा विभाग द्वारा निर्धारित समय पर करना है, लेकिन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नवादा ने अपने पत्र संख्या-305 दिनांक-04.05.2026, पत्र संख्या-302 दिनांक-02.05.2026 एवं पत्र संख्या-301 दिनांक-02.05.2026 में संलग्न सूची में पाया जा रहा है कि कई स्थानों पर शिकायत समय पर पूर्ण नहीं हुई है, जो विभागीय निर्देशों का अवहेलना है।

दिनांक-09.04.2026 को विभागीय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झुनाठी पंचायत के वार्ड संख्या-5 में CGRC का शिकायत दूर नहीं होने के कारण समस्या उजागर हुई जिसमें अधोहस्ताक्षरी को कोपभाजन होना पड़ा।

अतः विभागीय निर्देश का अनुपालन नहीं करने, एकरारनामा के विभिन्न कंडिका का पालन नहीं करने एवं CGRC प्राप्त शिकायतों को समय पर निपटारा नहीं करने के कारण आपको विभागीय ठिकेदारी पंजीयन संख्या-050920240696 को डिबार किया जाता है।

अनुलग्नक-अवर प्रमंडल पदाधिकारी,
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नवादा के पत्र संख्या-
305 दिनांक-04.05.2026, पत्र संख्या-302,
दिनांक-02.05.2026, एवं पत्र संख्या-301, दिनांक-02.05.2026

विश्वासभाजन
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

26.5.26

ज्ञापांक-

नवादा दिनांक-

प्रतिलिपि:-अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नवादा/रजौली/वारिसलीगंज/
अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

21/5/26

ज्ञापांक- 1582

नवादा दिनांक- 11/05/2026

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण गया जी अंचल गया जी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना प्रक्षेत्र, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय), लोक
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

7526



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया

E-mail Id.- cephddivisionbettiah1@gmail.com, Mob. No.-8544428583

2025

30/4/20-12

का0आ0सं0 :- 303 / बेतिया,

दिनांक :- 06-05-26

07 MAY 2026
बिहार

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया अंतर्गत मुख्यमंत्री सात निश्चय हर घर नल जल योजना के तहत संवेदक श्री सोनू कुमार, ग्राम-कमलनाथ नगर, वार्ड सं0-23, बेतिया पश्चिम चम्पारण द्वारा एकरारनामा संख्या-SBD-59/2019-20 अंतर्गत वार्ड स्तरिय जलापूर्ति योजना में मरम्माति एवं संपोषण का कार्य कराया जाना है।

उक्त आवंटित कार्य का सफल संचालन नहीं करने के कारण उल्लेखित योजना में जलापूर्ति अवरुद्ध रहती है। कारण कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजना के सफल संचालन हेतु बार बार निर्देशित किया जाता रहा है। प्रखंड मैनाटांड का पत्रांक-02/2026 दिनांक-17.01.2026, पत्रांक-17/26, दिनांक-24.02.2026, पत्रांक-30/2026 दिनांक-20.04.2026, पत्रांक-35/2026 दिनांक-05.05.2026, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नरकटियागंज का पत्रांक-207 दिनांक-29.04.2026 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-394 दिनांक-28.01.2026 द्वारा एवं मौखिक रूप से स्मारित करने के उपरांत भी शिकायतों का निष्पादन नहीं होने के फलस्वरूप विभिन्न वार्डों में जलापूर्ति बाधित है। विदित हो कि CGRC शिकायतों का त्वरित निष्पादन कर जलापूर्ति करनी है। जिसकी समीक्षा मुख्यालय स्तर से प्रतिदिन की जाती है। परन्तु आपके द्वारा उल्लेखित कार्यों में अभिरुची नहीं लिया जाना आपके कार्य के प्रति घोर लापरवाही के साथ-साथ एकरारनामा में निहित शर्तों का स्पष्ट रूप से उलंघन प्रतीत होता है। जिसके फलस्वरूप बाध्य होकर सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नरकटियागंज का पत्रांक-211 दिनांक-05.05.2026 द्वारा दण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ डिबार करने की अनुशंसा की गई है।

ज्ञातव्य हो कि जलापूर्ति योजना सरकार की अति महत्वकांक्षी योजना है। जिसे हर हाल में निर्वाध रूप से जलापूर्ति की जानी है। परन्तु आपके द्वारा कार्य में अभिरुची नहीं लिए जाने के फलस्वरूप पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों के रोष का सामना करना पड़ रहा है।

अतएव उक्त एकरारनामाओं के अनुरूप कार्य नहीं करने से किये गये एकरारनामा में एकरारित शर्तों एवं प्रावधानों का प्रथम दृष्टया स्पष्ट उलंघन तथा सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य भी निरर्थक हो जाने के फलस्वरूप उक्त एकरारनामा के सुसंगत प्रावधानों एवं विभागीय आदेश संख्या- 6ए/वि03-105/2020-386 सहपटित ज्ञापांक-2885, दिनांक-21.12.2020 एवं आदेश सह ज्ञापांक-6ए/वि03-105/2020-970 पटना दिनांक-18.06.2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में वर्णित संवेदक को डिबार करते हुए किसी भी निविदा में भाग लन से बंचित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3515
13/5/26

6.5.26

ज्ञापांक :- 1490 / बेतिया /

दिनांक :- 06-05-26

प्रतिलिपि :- संवेदक श्री सोनू कुमार, ग्राम-कमलनाथ नगर, वार्ड सं0-23, बेतिया पश्चिम चम्पारण को सूचनाय प्रेषित।

30/4/26
24/5/26

6.5.26
10.05.26

2004

ज्ञापांक :- 1490 / दिनांक :- 06-05-26 /

प्रतिलिपि :- कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, मैनाटांड/सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नरकटियागंज को सूचनार्थ प्रेषित।

6.5.26

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया
06.05.26

ज्ञापांक :- 1490 / बेतिया / दिनांक :- 06-05-26 /

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल मोतिहारी / मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

6.5.26

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया
06.05.26

ज्ञापांक :- 1490 / बेतिया / दिनांक :- 06-05-26 /

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

6.5.26

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया
06.05.26

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भमुआ
कार्यालय आदेश



कार्यालय आदेश संख्या:- 33


मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना "हर घर नल का जल" के तहत संवेदक एजेंसी

M/S. A.P.S. कन्सट्रक्शन ग्राम- एमन डेहरी, पोस्ट- मुजराढ पिन नं०- 802215 जिला- रोहतास को एकरारनामा संख्या-89/SBD/2019-20, के तहत प्रखण्ड दुर्गावती अंतर्गत पंचायत- कर्णपुरा में अधिष्ठापित ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत वार्ड संख्या- 1,2,3,4,5 का कार्य आवंटित है। उक्त जलापूर्ति योजना अन्तर्गत अद्यतन बकाया विद्युत विपत्र की राशि को विद्युत विभाग को जमा करते हुए पावती रसीद अद्योहरस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनेकों बार मौखिक एवं लिखिते निदेश दिया गया था। परन्तु संवेदक द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए विद्युत विपत्र के राशि को विद्युत विभाग को जमा नहीं किया गया। तत्पश्चात् इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या- 123 -सह-ज्ञापांक- 2705 दिनांक- 18.12.2025, पत्रांक- 30 दिनांक- 07.01.2026, पत्रांक- 131 दिनांक- 17.01.2026 एवं पत्रांक-642, दिनांक-18.03.2026 द्वारा अंतिम रूप से बकाया विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु निदेशित किया गया, साथ ही निदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में डिबार करने एवं अन्य कार्रवाई किये जाने के संबंध में चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा उक्त योजना में बकाया विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि बकाया विद्युत विपत्र के भुगतान में संवेदक को कोई भी अभिरूचि नहीं है। जो कि एकरारनामा के शर्तों के विरुद्ध है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोंपरांत एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधानों एवं एकरारनामा के कंडिका- 14 में निहित प्रावधानों के तहत संवेदक/एजेंसी M/S. A.P.S. कन्सट्रक्शन ग्राम- एमन डेहरी, पोस्ट- मुजराढ पिन नं०- 802215 जिला- रोहतास (सूचीबद्धता संख्या- 090920190066/2019) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


4/5/26
3374
4.5.26


कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भमुआ।
ज्ञापांक

ज्ञापांक- 894

प्रतिलिपि- M/S. A.P.S. कन्सट्रक्शन ग्राम- एमन डेहरी, पोस्ट- मुजराढ पिन नं०- 802215 जिला- रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


30/4/26

दिनांक- 22-04-2026

कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भमुआ।
ज्ञापांक

2002

ज्ञापांक:- 894

प्रतिलिपि- सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भमुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 22-04-2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भमुआ।

ज्ञापांक:- 894

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण सासाराम अंचल, सासाराम को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

दिनांक:- 22-04-2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भमुआ।

ज्ञापांक:- 894

प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

दिनांक:- 22-04-2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भमुआ।

ज्ञापांक:- 894

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, भमुआ निर्माण विभाग, भमुआ/योजना एवं विकास विभाग, भमुआ/नगर विकास एवं आवास विभाग, भमुआ/लघु जल संसाधन विभाग, भमुआ/सोन उच्च स्तरीय विभाग, भमुआ/पथ निर्माण विभाग, भमुआ/बुडको, भमुआ/LAEO भमुआ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 22-04-2026

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भमुआ।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

पत्रांक-12
2001
24 APR 2028
बिहार प्रमंडल

कार्यालय आदेश संख्या... 62 दिनांक... 21/04/24

हर घर नल का जल (गैर-गुणवत्ता प्रभावित) योजना अंतर्गत Sri Anand Kumar, संवेदक (निबंधन संख्या-04792070618 / 2023) Raja Hattan Lane, Bhatti Gali Upper Bazar Ranchi, Sukhdeo Nagar Pin code-834001 द्वारा एकरारनामा संख्या MBD-149/2019-2020 के तहत प्रखण्ड-घाटकुसुम्मा-पंचायत-माफो के वार्ड संख्या-11 (कुल 01) अदद निर्मित योजनाओं में मरम्मति, संपोषण, संचालन सही ढंग से नहीं करने एवं जलापूर्ति कई माह से बंद रहने हेतु पूर्व में कई बार संबंधित कनीय अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा पत्राचार करने के बावजूद भी आपके द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही कोई रुची लिया गया। फलस्वरूप क्षेत्र भ्रमण के कम में योजनाओं का सही ढंग से रख रखाव एवं संचालन नहीं होने के कारण अधोहस्ताक्षरी को जन प्रतिनिधियों, वरीय पदाधिकारियों एवं उक्त वार्डों के ग्रामीणों का कोपमाजन बनना पड रहा है। इस कारण आपको इस कार्यालय के पत्रांक 511 दिनांक 04.04.2025 पत्रांक 662 दिनांक 07.05.2025, पत्रांक 1056 दिनांक 17.07.2025, पत्रांक 1713 दिनांक 11.11.2025, एवं पत्रांक 232 दिनांक 02.02.2026 के द्वारा कई अवसर देते हुए मरम्मति, संपोषण, संचालन सही ढंग से करने हेतु निदेशित किया गया। इसके उपरान्त भी आपके द्वारा कोई अगिरुची नहीं लिया गया है, तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक 593 दिनांक 25.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की भी मांग की गई थी जो आज तक अप्राप्त है। जिससे यह प्रतीत होता है कि आप कार्य के प्रति घोर लापरवाह है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक Sri Anand Kumar, (निबंधन संख्या-04792070618 / 2023) / 2017 (Class-II) Raja Hattan Lane, Bhatti Gali Upper Bazar Ranchi, Sukhdeo Nagar Pin code-834001. को इस प्रमण्डल के एकरारनामा संख्या MBD-149/2019-2020 को एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोपरान्त बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) की उप कंडिका (ii) के आलोक में अगले निवादा में भाग लेने से वंचित करते हुए डीबार किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासमाजन
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

ज्ञापांक-...../ दिनांक-...../
प्रतिलिपि-संवेदक Sri Anand Kumar, Raja Hattan Lane, Bhatti Gali Upper Bazar Ranchi, Sukhdeo Nagar Pin code-834001. को सूचनार्थ।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

ज्ञापांक-...../ दिनांक-...../
प्रतिलिपि- रोकड़पाल, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पत्रांक- 3307
दिनांक- 29.4.26

कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

ज्ञापांक-...../ दिनांक-...../
प्रतिलिपित- सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, शेखपुरा 01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

श्री काररीय
29/4/26

ज्ञापांक-...../ दिनांक-...../

प्रतिलिपित- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

2/2/26

द

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

ज्ञापांक-...../ दिनांक-...../

प्रतिलिपित- मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भागलपुर, प्रक्षेत्र भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

इ

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

ज्ञापांक-.....732...../ दिनांक-.....21.04.26...../

प्रतिलिपित- अभियंता प्रमुख-सह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

Sachin Kumar
कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

आमंत्र
21-4-26

कार्यालय, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

1999

पत्रांक 511/

दिनांक 04/04/2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

सेवा में,

संवेदक,
मेसर्स आनंद कुमार

विषय:-

योजना बंद रहने के संबंध में।

प्रसंग:-

सहायक अभियंता, लोक स्वा0 अवर प्रमंडल, शेखपुरा-01 का पत्रांक-114 दिनांक-26.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि आपके एकरारनामा सं0-MBD 149 वर्ष-2019-20 के घाटकुसुम्भा प्रखण्ड के माफो पंचायत के वार्ड नं0-11 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्य आपको आवंटित है। एकरारनामा शर्तों के अनुसार पाँच वर्षों तक योजना के संचालन, मरम्मत एवं सम्पोषण का कार्य आपके स्तर से किया जाना है। उक्त योजना की बंद रहने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटों के अन्दर नल जल योजना अंतर्गत सभी त्रुटियों का निराकरण कर जलापूर्ति सुचारु रूप से चालू कराते हुए कृत कारवाई से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित सहायक अभियंता के अनुशंसा के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध एकरारनामा अनुसार अर्थदंड (Penalty) की कारवाई की जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे अति आवश्यक समझे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

5/4/25

1998

214
8/5/25

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

दिनांक... 27/05/25...../

पत्रांक... 662.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

सेवा में,

संवेदक,
मेसर्स आनंद कुमार

विषय:-

जलापूर्ति योजना बंद रहने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि आपके द्वारा एकरारनामा सं०-MBD-149 वर्ष-2019-20 अंतर्गत प्रखंड-घाटकुसुम्भा, पंचायत-माफो वार्ड सं०-11 में घर नल जल का कार्य कराया गया है। उक्त योजना मरम्मत एवं संपोषण अवधि में है। उक्त के विषय में सहायक अभियंता द्वारा आपको कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से त्रुटियों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। चूंकि योजनाएँ ग्रामीणों के पेयजल से संबंधित होने के कारण प्रायः शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जो कि घोर लापरवाही का द्योतक है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटों के अन्दर नल जल योजना अंतर्गत सभी त्रुटियों का निराकरण कर जलापूर्ति सुचारु रूप से चालू कराते हुए कृत कारवाई से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित सहायक अभियंता के अनुशंसा के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध एकरारनामा अनुसार अर्थदंड (Penalty) की कारवाई की जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

2.5.25

कार्यालय, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

पत्रांक...1713...../ दिनांक...11-11-25...../

1997

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

सेवा में,

संवेदक,
आनंद कुमार,
ग्राम +पो0-माफो
जिला-शेखपुरा।
मो0 नं0-8102878685



विषय:- विद्युत विपत्र का भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि आपके विभिन्न एकरारनामा अंतर्गत वार्डों में जलापूर्ति योजना में मरम्मत एवं संपोषण कार्य 5 वर्षों तक कराया जाना है। परन्तु योजना में विद्युत विपत्र का भुगतान अत्यधिक बकाया रहने के कारण विद्युत विभाग के द्वारा योजना में विद्युत विक्षेदन करने का चेतावनी दिया गया है। जिसके कारण योजना अक्रियाशील हो सकती है। एकरारनामा के अनुसार विद्युत विपत्र का भुगतान स-समय आपके द्वारा किये जाने का प्रावधान है। आपके योजना में अत्यधिक बकाया यह दर्शाता है कि आपके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जा रहा है। दिनांक-10.11.2025 को VC के माध्यम से विभागीय बैठक में वरीय पदाधिकारियों द्वारा अंतिम चेतावनी दी गई है कि 3 दिनों के अंदर विद्युत विपत्र भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्त के 3 दिनों के अंदर विद्युत बकाया राशि का भुगतान कर प्रमंडलीय कार्यालय में उपलब्ध कराये ताकि विपत्र तैयार कर आवंटन मुख्यालय से मांगा जा सके। अन्यथा एकरारनामा में वर्णित प्रावधानों अनुरूप कठोर कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता 11-11-25
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

11/11/25

गलत/भ्रष्ट

12026
1996

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

पत्रांक 593 / दिनांक 25/03/26

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल,
शेखपुरा।

सेवा में,

संवेदक
आनन्द कुमार,
ग्राम+पोस्ट-माफो
जिला-शेखपुरा।

विषय:- "हर घर नल का जल" योजना कार्य में घोर लापरवाही बरतने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि एकरारनामा संख्या MBD-149/2019-20 के तहत प्रखण्ड-घाटकुसुम्मा के पंचायत माफो के वार्ड संख्या 11 में जलापूर्ति योजना का कार्य आपके द्वारा संपादित कराया गया है। जो कि एकरारनामा में निहित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण है, परन्तु अनुरक्षण एवं मरम्मती का कार्य सही ढंग से नहीं की जा रही है। जिसके कारण स्थल पर निरीक्षण के दरम्यान पदाधिकारियों को ग्रामीणों द्वारा कोपभाजन बनना पड़ रहा है। जिससे विभाग की छवी भी धूमिल होती जा रही है। जबकि इस संबंध में संबंधित कनीय अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पूर्व में मौखिक एवं लिखित E-Mail के माध्यम से कई बार स्मारित भी किया जा चुका है, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में आज तक कोई रुची नहीं ली गई। आपके इस रवैये को देखकर यह प्रतीत हो है कि आप कार्य के प्रति घोर लापरवाह।

अतः उक्त टिप्पणी के आलोक में आपको अंतिम बार स्मारित कर निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर एकरारनामा में निहित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर उक्त एकरारनामा को SBD के Clouse of Contract के सुसंगत उप धाराओं के अंतर्गत विखंडित या रद्द करने, अग्रधन एवं जमानत की राशि को राज्यसात् करने, अवशेष कार्य को पूर्ण करने में व्यय होने वाली अतिरिक्त राशि वसूलने एवं आपके निबंधन को भी काली सूची में दर्ज करवाने हेतु उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित कर दी जाएगी। जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

कृप्या इस सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

विश्वासभाजन

Shishu Kumar
कार्यपालक अभियन्ता

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

आनन्द
25/03/26

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

1995

पत्रांक...1056.....

दिनांक...17/07/25...../

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

सेवा में,

संवेदक,
मेसर्स आनंद कुमार।

विषय:- जलापूर्ति योजना कार्य में घोर लापरवाही बरतने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-511, दिनांक-04.04.2025 एवं पत्रांक-662 दिनांक-07.05.25
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रतिवेदित करना है कि आपके द्वारा एकरारनामा सं0-MBD-149 वर्ष-2019-20 अंतर्गत शेखपुरा जिला, प्रखंड-घाटकुसुम्भा, पंचायत-माफो, वार्ड सं0-11 हर घर नल जल में मरम्मत एवं सम्पोषण का कार्य आवंटित है। मरम्मत एवं सम्पोषण के लिए संबंधित सहायक अभियंता द्वारा आपको पत्र के माध्यम से जलापूर्ति योजना को सुचारु-रूप से संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन अभी तक योजना सुचारु रूप से संचालित नहीं की जा रही है। जलापूर्ति बाधित रहने से ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही है जिससे जिला पदाधिकारी के साप्ताहिक समीक्षा एवं विभागीय वरीय पदाधिकारी की बैठक में कोपभाजन का शिकार होना पड़ रहा है, जो कि घोर लापरवाही का द्योतक है।

अतः आपको अंतिम चेतावनी के साथ निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अन्दर जलापूर्ति सुचारु रूप से चालू कराते हुए कृत कारवाई से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित सहायक अभियंता के अनुशंसा के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध एकरारनामा को विखंडित/एजेंसी को डिबार करने की कारवाई की जायेगी एवं अग्रघन की राशि राज्यसात कर ली जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

P. J. K. Singh
कार्यपालक अभियंता 16-07-25
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।
16.7.25

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

कार्यालय आदेश संख्या.....61..... दिनांक.....21/4/26



हर घर नल का जल (गुणवत्ता प्रभावित) योजना अंतर्गत M/S Intergent Energy Limited, संवेदक (निबंधन संख्या-81/2017) (Class-II) A-1,6th Floor, Pavilion Building 339/1/2, Mehuauli, Road Opposite State Bank Of India Gurgaon-122002. द्वारा एकरारनामा संख्या SBD-03/2017-2018 के तहत प्रखण्ड-घाटकुसुम्मा पंचायत-पानापुर के वार्ड संख्या-2A,2B,03 एवं 04 एवं पंचायत-डीहकुसुम्मा के वार्ड संख्या-7A, 7B (कुल 06) अदद निर्मित योजनाओं में मरम्मति, संपोषण, संचालन सही ढंग से नहीं करने एवं जलापूर्ति कई माह से बंद रहने हेतु पूर्व में कई बार संबंधित कनीय अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा पत्राचार करने के बावजूद भी आपके द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही कोई रुची लिया गया। फलस्वरूप क्षेत्र भ्रमण के कम में योजनाओं का सही ढंग से रख रखाव एवं संचालन नहीं होने के कारण अधोहस्ताक्षरी को जन प्रतिनिधियों, वरीय पदाधिकारीयों एवं उक्त वार्डों के ग्रामीणों का कोपभाजन बनना पड़ रहा है। इस कारण आपको इस कार्यालय के पत्रांक 418 दिनांक 25.03.2025 पत्रांक 428 दिनांक 25.03.2025 एवं पत्रांक 507 दिनांक 04.04.2025 के द्वारा कई अवसर देते हुए मरम्मति, संपोषण, संचालन सही ढंग से करने हेतु निदेशित किया गया। इसके उपरान्त भी आपके द्वारा कोई अभिरुची नहीं लिया गया है, तात्पर्यात् इस कार्यालय के पत्रांक 648 दिनांक 07.04.2008 द्वारा स्पष्टीकरण की भी मांग की गई थी जो आज तक अप्राप्त है। जिससे यह प्रतीत होता है कि आप कार्य के प्रति घोर लापरवाह है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक M/S Intergent Energy Limited, (निबंधन संख्या-81/2017) (Class-II) Raja Battan Lane, Bhatti Gali Upper Bazar Ranchi. को इस प्रमण्डल के एकरारनामा संख्या SBD-03/2017-2018 को एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोपरान्त बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) की उप कंडिका (ii) के आलोक में अगले निवादा में भाग लेने से वंचित करते हुए डीवार किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

ज्ञापांक-...../ दिनांक-...../
प्रतिलिपि-संवेदक M/S Intergent Energy Limited, A-1,6th Floor, Pavilion Building 339/1/2,
Mehuauli, Road Opposite State Bank Of India Gurgaon-122002. को सूचनार्थ।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

ज्ञापांक-...../ दिनांक-...../
प्रतिलिपि- रोकड़पाल, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

ज्ञापांक-...../ दिनांक-...../
प्रतिलिपित- सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, शेखपुरा 01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

21/4/26

ज्ञापांक-...../ दिनांक-...../

प्रतिलिपित- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

1993

ज्ञापांक-...../ दिनांक-...../

प्रतिलिपित- मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भागलपुर, प्रक्षेत्र भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

ज्ञापांक- 721...../ दिनांक- 21/04/26...../

प्रतिलिपित- अभियंता प्रमुख-सह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

५
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

५
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

Rishi Kumar
कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा।
21/4/26

कार्यालय, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

1992

पत्रांक 418 /

दिनांक 25 / 03 / 2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

सेवा में,

संवेदक,
मेसर्स Intergen Energy

विषय:- योजना बंद रहने के संबंध में।

प्रसंग:- सहायक अभियंता, लोक स्वा0 अवर प्रमंडल, शेखपुरा-01 का पत्रांक-96 दिनांक-24.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि घाटकुसुम्भा प्रखण्ड के पानापुर पंचायत के वार्ड नं0-03 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्य आपको आवंटित है। एकरारनामा शर्तों के अनुसार पाँच वर्षों तक योजना के संचालन, मरम्मत एवं सम्पोषण का कार्य आपके स्तर से किया जाना है। उक्त योजना की बंद रहने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटों के अन्दर नल जल योजना अंतर्गत सभी त्रुटियों का निराकरण कर जलापूर्ति सुचारु रूप से चालू कराते हुए कृत कारवाई से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित सहायक अभियंता के अनुशंसा के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध एकरारनामा अनुसार अर्थदंड (Penalty) की कारवाई की जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे अति आवश्यक समझे।

विश्वासभाजन

25/3/25

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

25-3-25

कार्यालय, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

पत्रांक 426 /

दिनांक 25 / 03 / 2025

प्रेषक:

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।

सेवा में,

संवेदक,
M/S INTERGEN ENERGY

विषय:- जलापूर्ति लिकेज मरम्मति के संबंध में।

प्रसंग:- सहायक अभियंता, लोक स्वा0 अवर प्रमंडल, शेखपुरा-01 का पत्रांक-97 दिनांक-24.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि घाटकुसुम्भा प्रखण्ड के पानापुर पंचायत के वार्ड नं0-02 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्य आपको आवंटित है। एकरारनामा शर्तों के अनुसार पाँच वर्षों तक योजना के संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य आपके स्तर से किया जाना है। उक्त योजना में जलापूर्ति पाईप संरचना में लिकेज से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटों के अन्दर नल जल योजना अंतर्गत जलापूर्ति पाईप संरचना की मरम्मति करा कर जलापूर्ति सुचारु रूप से चालू कराते हुए कृत कारवाई से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित सहायक अभियंता के अनुशंसा के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आपके विरुद्ध एकरारनामा अनुसार अग्रेतर कारवाई की जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
इसे अति आवश्यक समझे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा।
25.3.25

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ ।
कार्यालय आदेश

1987
199

CE(S)

कार्यालय आदेश संख्या:- 39

दिनांक:- 22-04-2026



मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना "हर घर नल का जल" के तहत संवेदक/एजेंसी उपाध्याय, ग्राम- बड़ढा, पोस्ट- नुआँव पिन नं0- 802132 जिला- कैमूर को एकरारनामा संख्या-46/SBD/2019-20, के तहत प्रखण्ड दुर्गावती अंतर्गत पंचायत- दुर्गावती में प्रथीण जलापूर्ति योजना के तहत वार्ड संख्या- 11, 12 का कार्य आवंटित है। उक्त जलापूर्ति योजना अन्तर्गत अद्यतन बकाया विद्युत विपत्र की राशि को विद्युत विभाग को जमा करते हुए पावती रसीद अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनेकों बार नोडल एव लिखित निदेश दिया गया था। परन्तु संवेदक द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लेते हुए विद्युत विपत्र के राशि को विद्युत विभाग को जमा नहीं किया गया। तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक- 2565 दिनांक- 06.12.2025, पत्रांक- 2599 दिनांक- 10.12.2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या- 124 -सह-ज्ञापांक- 2706 दिनांक- 18.12.2025 एवं पत्रांक-645, दिनांक-18.03.2026 द्वारा अंतिम रूप से बकाया विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु निदेशित किया गया, साथ ही निदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में डिबार करने एवं अन्य कार्रवाई किये जाने के संबंध में चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा उक्त योजना में बकाया विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि बकाया विद्युत विपत्र के भुगतान में संवेदक को कोई भी अभिरुचि नहीं है। जो कि एकरारनामा के शर्तों के विरुद्ध है।

9-12
22/4/26

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोंपरांत एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधानों एवं एकरारनामा के कंडिका- 14 में निहित प्रावधानों के तहत संवेदक/एजेंसी श्री सर्वेश्वर उपाध्याय, ग्राम- बड़ढा, पोस्ट- नुआँव पिन नं0- 802132 जिला- कैमूर (सूचीबद्धता संख्या-967/2019) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अंदर इनके द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राजसात् कर लो जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

22/4/26

3452
6.5.26

ज्ञापांक:- 893

प्रतिलिपि- श्री सर्वेश्वर उपाध्याय, ग्राम- बड़ढा, पोस्ट- नुआँव पिन नं0- 802132 जिला- कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियन्ता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।
22/4/26

दिनांक:- 22-04-2026


कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।
22/4/26

19/06
1990

ज्ञापांक:- 893

दिनांक:- 22/04/2026

प्रतिलिपि- सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।



कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।

ज्ञापांक:- 893

दिनांक:- 22-04-2026


प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण, सासाराम अंचल, सासाराम को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।

ज्ञापांक:- 893

दिनांक:- 22-04-2026


प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।

ज्ञापांक:- 893

दिनांक:- 22-04-2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, भभुआ निर्माण विभाग, भभुआ/योजना एवं विकास विभाग, भभुआ/नगर विकास एवं आवास विभाग, भभुआ/लघु जल संसाधन विभाग, भभुआ/सोन उच्च स्तरीय विभाग, भभुआ/पथ निर्माण विभाग, भभुआ/बुडको, भभुआ/LAEO भभुआ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ।

1985
1989

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

कार्यालय आदेश संख्या:-18.2./ कटिहार, दिनांक:-17/04/2026

मुख्यमंत्री पेयजल निरचय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के तहत 'हर घर नल का जल' योजना अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार अन्तर्गत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराये जाने हेतु ईमाजुदीन (संवेदक), कटिहार द्वारा किये गये आजमनगर प्रखंड के जोकर एवं देवगांव पंचायत में विभिन्न वार्डों का कार्यदेश आवंटित किया गया है।

एकरारनामा में योजना अधिष्ठापन एवं Trail & Run समापन के परचात 05 वर्षों तक मरम्मत एवं संपोषण का कार्य किया जाना निहित है। परन्तु आपके द्वारा मरम्मत एवं संपोषण का कार्य सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए इस कई बार अधोहस्ताक्षरी द्वारा मौखिक तथा इस कार्यालय के पत्रांक-1585, दिनांक-10.04.2026 के द्वारा भी निदेशित किया जा चुका है।


उपरोक्त निदेशों के बावजूद भी आपके द्वारा कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं कराये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी सहित संबंधित अन्य पदाधिकारियों को विभागीय उच्चाधिकारी एवं संबंधित तामुकों/ग्रामीणों के रोष का सामना करना पड़ रहा है एवं जन कल्याणकारी योजना का लाभ ग्रामीणों को सुचारु रूप से नहीं मिल पा रहा है।

आपकी कार्यशैली, लापरवाही एवं उदासीनता से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा विभागीय कार्य का निष्पादन कराये जाने में कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

अतः बाध्य होकर उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में एकरारनामा के नियमों/शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादन में उदासीनता एवं विरुद्ध सम्यक विचारोंपरांत बिहार, ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कड़िका-11 (क) की उप-कड़िका-11 के आलोक में ईमाजुदीन (संवेदक), कटिहार को अगले अन्य निविदाओं में माग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।

प्रो पदा-12



ज्ञापांक 1607/ कटिहार, दिनांक 17/04/2026
प्रतिलिपि:- ईमाजुदीन (संवेदक), कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

17.04.26
कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

ज्ञापांक 1607/ कटिहार, दिनांक 17/04/2026
प्रतिलिपि:- समी सहायक अभियन्ता/समी कनीय अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.04.26
कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

ज्ञापांक 1607/ कटिहार, दिनांक 17/04/2026
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ / मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

17.04.26
कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

ज्ञापांक 1607/ कटिहार, दिनांक 17/04/2026
प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

17.04.26
कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

3223
22.4.26


24/4/26

17.04.26
कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

5322796/26

19/03/26



संख्या-14/अ0प्र0-14-320/2025 3074 /पटना, दिनांक- 11.3.26

संवेदक Shri Balaji Enterprises, Prop-Sushil Kumar (Registration No.

1230274) At-Moldiya Tola Pipar Tar Mokamah, Patna Bihar Pincode 803302

को कार्य प्रमंडल, बाढ़ के अधीन MR (3054) योजनान्तर्गत पैजना से कड़ड़ा पथ निर्माण

कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 10/MBD/2023-24 के अनुसार कार्य प्रारम्भ

की तिथि 15.03.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 14.12.2024 था।

संदर्भित पथ के एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी

संवेदक द्वारा पथ का निर्माण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य

विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य किये जाने हेतु कई बार नोटिस

दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली

गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ के सकारण

ज्ञापांक 1114 दिनांक 24.06.2025 द्वारा एकरारनामा संख्या:-10/MBD/2023-24 को

विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध

कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 12580 दिनांक 13.12.2025 द्वारा संवेदक

Shri Balaji Enterprises, Prop-Sushil Kumar (Registration No. 1230274) से

स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

तदालोक में संवेदक द्वारा दिनांक 29.12.2025 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए

अनुरोध किया गया कि कालीकरण की कार्रवाई बिहार पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट

आर्बिट्रेशन, ट्रिब्युनल, पटना में दायर रैफरेन्स वाद संख्या:-32/2025 का निस्पादन होने तक

स्थगित रखा जाय।

तदनुसार विभागीय समीक्षोपरान्त संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते

हुए संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार टीकेदारी निबंधन

नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की

कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Shri Balaji

Enterprises, Prop-Sushil Kumar (Registration No. 1230274) At-Moldiya Tola

Pipar Tar Mokamah, Patna Bihar Pincode 803302 के निबंधन संख्या:-1230274,

PAN No. EXCPK4171D को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया

जाता है।

10.03.2026

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11.3.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-320/2025

3074

निबंधित

प्रतिलिपि-संवेदक Shri Balaji Enterprises, Prop-Sushil Kumar

(Registration No. 1230274) At-Moldiya Tola Pipar Tar Mokamah, Patna

Bihar Pincode 803302 को सूचनार्थ प्रेषित।

10.03.2026

अभियंता प्रमुख

P.T.O

2674
19.3.26

Handwritten signature and date 19/3/26

1989

1989

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-320/2025

3074

/पटना, दिनांक- 11.3.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.03.26

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-11.3.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-320/2025 3074

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10.03.26

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11.3.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-320/2025 3074

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.03.26

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11.3.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-320/2025 3074

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

10.03.26

अभियंता प्रमुख

bsite

1

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

5322808/26

1986/4
195

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-41/2025 3081 /पटना, दिनांक- 11.3.26

संवेदक Sanoj Kumar Singh (Registration No. 4180102) Add:- S/O Sri Bhagwan Singh, Vill+Post- Khanpur, P.S-Derni, Dist-Saran, Bihar Pincode-841207

कार्य प्रमंडल, छपरा-01 के अधीन MMSY (SC) योजनान्तर्गत जय प्रकाश बंगड़ा के टोला (पश्चिम छट्टु बीन के घर तक) पथ निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरासनामा संख्या:- 38/SBD/2020-21 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 30.12.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 29.09.2021 था।

संदर्भित पथ के एकरासनामा के अनुसार निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संबंधित संवेदक द्वारा पथ का निर्माण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा-01 द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य किये जाने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा-01 के द्वारा एकरासनामा संख्या:- 38/SBD/2020-21 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 307 दिनांक 23.01.2024 एवं पत्रांक 2968 दिनांक 05.09.2024 द्वारा संवेदक Sanoj Kumar Singh (Registration No. 4180102) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

तदालोक में संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा-01 के पत्रांक 231 दिनांक 25.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संदर्भित पथ का कार्य संवेदक द्वारा प्राक्कलन में प्रावधानित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराया गया है।

तदनुसार समीक्षोपरान्त संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Sanoj Kumar Singh (Registration No. 4180102) Add:- S/O Sri Bhagwan Singh, Vill+Post- Khanpur, P.S-Derni, Dist-Saran, Bihar Pincode-841207 के निबंधन संख्या:- 4180102, PAN No. CXEPS2036K को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

4180-2675
19.3.26

19/3/26

10.03.2026
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
P.T.O

~~1982~~
1985


निबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-41/2025

3081

/पटना, दिनांक- 11.3.26

प्रतिलिपि- संवेदक Sanoj Kumar Singh (Registration No. 4180102) Add:-
S/O Sri Bhagwan Singh, Vill+Post- Khanpur, P.S-Derni, Dist-Saran, Bihar
Pincode-841207 को सूचनार्थ प्रेषित।


10.03.2026


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-41/2025

3081

/पटना, दिनांक- 11.3.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.03.2026


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-41/2025

3081

/पटना, दिनांक- 11.3.26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।


10.03.2026


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-41/2025

3081

/पटना, दिनांक- 11.3.26

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.03.2026

अभियंता प्रमुख


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-41/2025

3081

/पटना, दिनांक- 11.3.26

/ebsite

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा
दिया जाय।


10.03.2026

अभियंता प्रमुख

J

5322803/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

1984

10-03-2026
11-3-26



संख्या-14/अ0प्र0-14-41/2026 3075 /पटना, दिनांक- 11-3-26
संवेदक Ranjan Kumar (Registration No. 2190067) At-Mahavir Mandir
ke Najdik, Mohhamadpur, Barh, Patna Pincode-803213 को कार्य प्रमंडल, बाढ़ के
अधीन नॉबर्ड योजनान्तर्गत T03 (NH30A) To Ajadnager Anusuchit Jati Tola पथ
निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 04/SBD/2021-22 के अनुसार कार्य
की तिथि 23.01.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 22.01.2024 था।

संदर्भित पथ के एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी
संबंधित संवेदक द्वारा पथ का निर्माण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य
विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य किये जाने हेतु कई बार नोटिस
दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली
गई।


तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ के सकारण
जापांक 1159 दिनांक 14.09.2024 द्वारा एकरारनामा संख्या:-04/SBD/2021-22 को
विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध
कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 1551 दिनांक 06.02.2026 द्वारा संवेदक
Ranjan Kumar (Registration No. 2190067) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

तदालोक में संवेदक द्वारा दिनांक 19.02.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए
अनुरोध किया गया कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाय तो,
कार्य को अब पूर्ण किया जा सके तथा कार्य में आ रही बाधाओं का निराकरण अभियंताओं के
स्तर पर ससमय हो जाता तो कार्य में विलम्ब नहीं होता।


तदनुसार समीक्षोपरान्त संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए
संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन
नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की
कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Ranjan Kumar
(Registration No. 2190067) At-Mahavir Mandir ke Najdik, Mohhamadpur,
Barh, Patna Pincode-803213 के निबंधन संख्या:-2190067, PAN No. BHAPK5496A
को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 11-3-26


निबंधित जापांक-14/अ0प्र0-14-41/2026 3075

प्रतिलिपि- संवेदक Ranjan Kumar (Registration No. 2190067) At-Mahavir
Mandir ke Najdik, Mohhamadpur, Barh, Patna Pincode-803213 को सूचनार्थ
प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

P.T.O

2676
17.3.26


18/3/26


195/1983

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-41/2026

3075

/पटना, दिनांक- 11.3.28

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11.3.28

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-41/2026

3075

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-41/2026

3075

/पटना, दिनांक- 11.3.28

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख


/पटना, दिनांक- 11.3.28

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-41/2026

3075

site

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।



अभियंता प्रमुख

5322813/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

1950
1980



आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-87/2025 3080 /पटना, दिनांक- 11.3.26

Shreshth Nirman India Pvt. Ltd. (Registration No. 3160348) At-Kanchanpur, P.S-Rohtas Dist-Sasaram Bihar Pincode 821115 को कार्य प्रमंडल, के अधीन MMSY (SC) योजनान्तर्गत Damura Dhumaul Bujurg Path to Makhdumpur पथ निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 44/SBD/2017-18 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 05.07.2017 एवं समाप्ति की तिथि 04.01.2018 था।

संदर्भित पथ के एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संबंधित संवेदक द्वारा पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण करने एवं दिनांक 27.05.2018 को स्वतंत्र अभियंता द्वारा लगाये गये ATR का निराकरण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी द्वारा उक्त पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं ATR का निराकरण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के सकारण आदेश ज्ञापांक 284 दिनांक 24.02.2023 द्वारा एकरारनामा संख्या:- 44/SBD/2017-18 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2638 दिनांक 22.05.2023, पत्रांक 5998 दिनांक 12.06.2025, पत्रांक 7867, पत्रांक 21.07.2025 एवं पत्रांक 9191 दिनांक 27.08.2025 द्वारा संवेदक Shreshth Nirman India Pvt. Ltd. (Registration No. 3160348) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के पत्रांक 462 अनु0 दिनांक 26.02.2026 द्वारा उल्लेखित किया गया कि संदर्भित पथ का एक भी पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि का मापी, मापीपुस्त में दर्ज नहीं है। मापीपुस्त के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त पथ में उक्त समय में संबंधित संवेदक द्वारा नहीं की गई है।

तदालोक में संदर्भित पथ RRSMP योजनान्तर्गत वर्तमान में एकरारनामा संख्या-04/CMBD/25-26 द्वारा पुनः एकरारित है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Shreshth Nirman India Pvt. Ltd. (Registration No. 3160348) At-Kanchanpur, P.S-Rohtas Dist-Sasaram Bihar Pincode 821115 के निबंधन संख्या:-3160348/3190570, PAN No. AAKCS0183M को अगले 04 (चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

2677
19.3.26

श्री शरदा
18/3/24

@Ma
10.03.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

P.T.O

1959


1981

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-87/2025

3080

/पटना, दिनांक- 11.3.28

प्रतिलिपि- संवेदक Shreshth Nirman India Pvt. Ltd. (Registration No. 3160348) At-Kanchanpur, P.S-Rohtas Dist-Sasaram Bihar Pincode 821115 को सूचनार्थ प्रेषित।


10.03.26


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11.3.28

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-87/2025

3080

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.03.26

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11.3.28

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-87/2025

3080

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


10.03.26

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11.3.28

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-87/2025

3080

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10.03.26

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11.3.28

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-87/2025

3080

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


10.03.26

अभियंता प्रमुख

↓

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

5322833/26

980
1948



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-327/2025 3073 /पटना, दिनांक- 11.3.26
मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक
1920 दिनांक 09.12.2025 द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना
संख्या-MNNO-04 के ग्रुप संख्या-16 एवं 21 के निविदा में संवेदक Devendra Kumar
Navneet (Registration No. 2180477) Add.- At- Teachers Colony, Near Sudha
Dairy, Katira, Arrah, Bhojpur Bihar Pincode 802301 द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र

Seem
E.in
12
समर्पित किये जाने के कारण SBD एवं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 में
निहित प्रावधान के तहत संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा की
गयी।

11
उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 12793 अनु0 दिनांक 19.12.2025, पत्रांक
738 दिनांक 19.01.2026 एवं पत्रांक 2110 दिनांक 17.02.2026 द्वारा संवेदक Devendra
Kumar Navneet (Registration No. 2180477) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब
तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन
नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की
कंडिका 11(क) (ix) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Devendra Kumar
Navneet (Registration No. 2180477) Add.- At- Teachers Colony, Near Sudha
Dairy, Katira, Arrah, Bhojpur Bihar Pincode 802301 के निबंधन
संख्या:-2180477, PAN No. AECPN7630R को अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत
(Blacklist) किया जाता है।

10.03.2026
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

बंधित
ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-327/2025 3073 /पटना, दिनांक- 11.3.26
प्रतिलिपि- संवेदक Devendra Kumar Navneet (Registration No. 2180477)
Add.- At- Teachers Colony, Near Sudha Dairy, Katira, Arrah, Bhojpur Bihar
Pincode 802301 को सूचनार्थ प्रेषित।

10.03.2026
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 11.3.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-327/2025 3073
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0). ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.03.2026
अभियंता प्रमुख

2678
19.3.26

18/3/26

1955

1955

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-327/2025

3073

/पटना, दिनांक- 11-3-28

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
10-03-28
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11-3-28

नेबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-327/2025

3073

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर को संवेदक के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निमित्त आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
10-03-28
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11-3-28

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-327/2025

3073

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
10-03-28
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 11-3-28

website

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-327/2025

3073

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

(Signature)
10-03-28
अभियंता प्रमुख

↓

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

19/16
19/28

पत्रांक :- 14/अ0प्र0-14-328/2025
प्रेषक,

/पटना, दिनांक



प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल',
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

निबंधित

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर

विषय :-

संवेदको को कालीसूची में सम्मिलित करने के क्रम में संवेदक द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :-

मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 290 दिनांक 11.02.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-MNNQ04 के ग्रुप संख्या-16 एवं 21 के निविदा में संवेदक सुरेन्द्र प्रसाद ओझा (निबंधन संख्या-2150055) द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किये जाने के कारण प्रासंगिक पत्र के माध्यम से संबंधित संवेदक के निबंधन को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गयी।

तदालोक में संवेदक सुरेन्द्र प्रसाद ओझा (निबंधन संख्या-2150055) द्वारा स्पष्टीकरण (दिनांक 22.01.2026) समर्पित किया गया है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

23-02-2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक :-14/अ0प्र0-14-328/2025-2552

/पटना, दिनांक- 24.2.26

प्रतिलिपि :-मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23-02-2026
सरकार के उप सचिव

22/2
27.2.26

26/2/26



ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

मुख्य महाप्रबंधक,
उत्तर बिहार उपभाग,
बुडको, पटना-800001

CE (P&G)-
108/1/18

12/11/21

[Handwritten signature]

CE(S)

विषय :- संवेदक श्री अमित कुमार, मुहल्ला-विजयनगर, पोस्ट-लोहियानगर, थाना-पत्रकारनगर, जिला-पटना के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-459 दिनांक-11.02.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, सीतामढी के अंतर्गत एकरारनामा संख्या-01SBD/2018-19 दिनांक 15.10.2018 के सहित मनुषमारा नदी के पानी को बागमती नदी में गिराने एवं उसके तटबंधों के पुनर्स्थापन का कार्य एकरारनामा के पश्चात ससमय प्रारंभ नहीं करने के आरोप में विभागीय आदेश सं0-772 दिनांक-02.03.2020 द्वारा संवेदक श्री अमित कुमार, जिला-पटना को दस वर्षों के लिए कालीसूची में डाला गया।

उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सुनवाई के क्रम में पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा एकरारनामा विखंडन की कार्रवाई के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-14550/2019 दायर किया गया, जो कि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। माननीय न्यायालय से न्याय निर्णय पारित होने तक एवं न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त के साथ विभागीय आदेश ज्ञापांक-2106 दिनांक-02.08.2021 द्वारा कालीकरण आदेश सं0-772 दिनांक-02.03.2020 को स्थगित रखा गया।

संवेदक द्वारा कालीकरण आदेश स्थगित होने के उपरांत CWJC No.-14550/2019 को वापस लेने हेतु माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया। तदालोक में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-06.12.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्न है-

"After the matter was heard for some time, learned counsel for the petitioner, under instructions, seeks permission to withdraw the present petition reserving liberty to file a fresh petition, on the same and subsequent cause of action, placing on record the intervening developments, if so required and desired. Permission granted with liberty, as prayed for. As and when any such petition is filed, the same shall be processed and listed on priority basis. Instant petition stands disposed of as withdrawn in the aforesaid terms"

उक्त न्याय निर्णय के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि चूकि स्थगन आदेश सशर्त निर्गत किया गया था। उक्त के उपरांत संवेदक द्वारा माननीय न्यायालय में दायर वाद CWJC No.-14550/2019 को वापस ले लिया गया है। ऐसी स्थिति में विभागीय आदेश ज्ञापांक-2106 दिनांक-02.08.2021 द्वारा कालीकरण आदेश को स्थगित रखने

[Handwritten signature]

2990
13.4.26

[Handwritten mark]

संबंधी आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है एवं विभागीय आदेश सं०-772 दिनांक-02.03.2020
वर्तमान में प्रभावी है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :- 26/विविध-06-20/2019

प्रतिलिपि:- श्री अमित कुमार, मुहल्ला-विजयनगर, पोस्ट-लोहियानगर, थाना-
पत्रकारनगर, जिला-पटना पिन कोड-800026 को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना/दिनांक :

ह०/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-20/2019 1716

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ
निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक : 30/3/20



अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

5215953/26

(65)

(सचिव, P.H.E.D)

19/2/26



बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश



पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी अन्तर्गत इण्डो-नेपाल बोर्डर रोड प्रोजेक्ट अन्तर्गत बहार से केन्हीली (लंबाई-10.925 कि०मी०) पथ कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के ज्ञापांक-1906 दिनांक-13.11.2024 से संवेदक Kamlesh Kumar (Prop-Shashi Kumari), W/o-Kamlesh Kumar, Land Mark- Behind Khadi Bhandar, At- Lakhibag, Manpur, Po-Buniad Ganj, District-Gaya, State-Bihar, Pincode-823003 (निबंधन संख्या 1200051 दिनांक-04.12.2020, PAN no. BIXPK8779E) को डिबार (Defaulter) किया गया।

2. उक्त के आलोक में संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। संवेदक द्वारा अपने पत्रांक-425 दिनांक-08.09.2025 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि उक्त कार्य को 31 मार्च 2025 को पूर्ण कर लिया गया है।

3. संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में विभागीय पत्रांक-7354(E)We दिनांक-30.10.2025 द्वारा मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से उक्त के संबंध में मंतव्य सहित प्रतिवेदन की माँग की गई। मुख्य अभियंता, उत्तर द्वारा पत्रांक-201 अनु० दिनांक-21.01.2026 से संवेदक को डिबार मुक्त करने हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः संवेदक Kamlesh Kumar (Prop-Shashi Kumari), W/o-Kamlesh Kumar, Land Mark- Behind Khadi Bhandar, At- Lakhibag, Manpur, Po-Buniad Ganj, District-Gaya, State-Bihar, Pincode-823003 (निबंधन संख्या 1200051 दिनांक-04.12.2020, PAN no. BIXPK8779E) को मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अनुसंशा के आलोक में समीक्षोपरान्त डिबार (Defaulter) मुक्त किया जाता है।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

/पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक- प्र०-7/कार०-05-14/2024-

ed Post
-mail

प्रतिलिपि :- संवेदक Kamlesh Kumar (Prop-Shashi Kumari), W/o-Kamlesh Kumar, Land Mark- Behind Khadi Bhandar, At- Lakhibag, Manpur, Po-Buniad Ganj, District-Gaya, State-Bihar, Pincode-823003 मोबाईल नं०-6201992822 E-mail ID-goldiamitkumar2097@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

क०प०उ०

7/4/26
7.4.26

1942

1974

ज्ञापांक- प्र०-7/कार०-05-14/2024- 1087(९) /पटना, दिनांक...13/02/2024

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

eed Post

E-mail

12/02/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।


12.02.26

1974

5215935/26

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

18 FEB 2026



E.in.c

मुख्य अभियंता, उत्तर के पत्रांक-2277 अनु० दिनांक-29.11.2024 से संवेदक Hopecon Infra Projects Pvt. Ltd. (निबंधन सं०-1210026 श्रेणी-01) को पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत Baheri PWD Road Jhajhari Chowk to Sirua via Bhachhi Ujaina Road in Baheri Block पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (कुल लंबाई-9.41 कि०मी०) कार्य में निर्धारित अवधि के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं लाने एवं बार-बार दिये गये निदेश के बावजूद उदासीन रवैया अपनाने तथा कार्य पूरा नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा द्वारा एकरारनामा विखंडित किये जाने के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11 क (ii) के तहत काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-130(E), दिनांक-07.01.2025, पत्रांक-451 (E) दिनांक-20.01.2025 एवं पत्रांक-790 (E) दिनांक-04.02.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-HIPPL/RCD/2024-25/199 दिनांक-08.02.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जो सम्यक विचारोपरान्त तथ्यपरक नहीं पाया गया।

अतः प्रस्तुत मामले में निर्धारित अवधि के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं लाने एवं बार-बार दिये गये निदेश के बावजूद उदासीन रवैया अपनाने तथा कार्य पूरा नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा द्वारा एकरारनामा विखंडित किये जाने के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०-154 सहपटित ज्ञापांक-5403 (S) दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 (1) (a) के प्रावधानों के तहत संवेदक Hopecon Infra Projects Pvt. Ltd. (निबंधन सं०-1210026 श्रेणी-01) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-06/2024-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संवेदक Hopecon Infra Projects Pvt. Ltd., House-165, Manju Villa, Patliputra Colony, Patna, Bihar-800013/ H/O-A/206, Sheetal Dhamevershine City, Gokhiware, Thane, Maharashtra-401208/ 404, Genx Icon, Near Saguna More, Bailey Road, Patna- 801503, E-mail ID- hopeconinfraprojects@gmail.com, info@hopecon.infra.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-29/4/26

Handwritten signature and date.

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

1972

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-06/2024- 1043(E) /पटना, दिनांक.....12/02/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/2/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

11.02.26

12

५८.

5388495/26

1971
1979

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
30 MAR 2022
E. In-823001

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत L088- G.T. Road to Rakshi(BR-12R-1039) पथ निर्माण कार्य संवेदक M/S Shivam Construction(Regd. No-2190571), At-Pitamahaswar, Civil Line, Dist-Gaya, Pin-823001 को आवंटित किया गया।

एकरारनामा(एकरारनामा संख्या-74SBD/2018-19) के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 09.01.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 08.01.2020 है। पथ निर्माण कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि 30.05.2022 है।


12

अभियंता प्रमुख सह
01

पथ निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत संवेदक द्वारा संदर्भित पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी का सकारण आदेश ज्ञापांक 1546 दिनांक 11.12.2025 द्वारा प्रश्नगत पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक को कालीसूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के अंतर्गत संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के विभागीय पत्रांक 2736 दिनांक 27.02.2026 द्वारा निबंधित डाक एवं ईमेल के माध्यम से संवेदक से कारणपृच्छा की गई। उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक अपना बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।


वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत L088- G.T. Road to Rakshi(BR-12R-1039) पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक M/S Shivam Construction(Regd. No-2190571), At-Pitamahaswar, Civil Line, Dist-Gaya, Pin-823001 को 04(चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-323/2025 3709 /पटना, दिनांक:- 24.3.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

294
7.4.26
21/4/26


अभियंता प्रमुख


1938 1930

24.3.26
M/S Shivam

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-323/2025 3709

/पटना, दिनांक:- 24.3.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24.3.26


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-323/2025 3709

/पटना, दिनांक:- 24.3.26

निबंधित

प्रतिलिपि:-M/S Shivam Construction(Regd. No-2190571), At-Pitamahaswar, Civil Line, Dist-Gaya, Pin-823001 को सूचनार्थ प्रेषित।



24.3.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-323/2025 3709

/पटना, दिनांक:- 24.3.26


प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24.3.26

अभियंता प्रमुख

५२.

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



संवेदक Dharmendra Singh को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन नवीनगर प्रखंड अंतर्गत पंचायत बेलाई ग्राम-बसडीहा (महादलित टोला) में भवन-सह-वर्कशेड निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-86/F2/2022-23) आवंटित किया गया। एकरारनामा की तिथि 21.02.2023 है।

E-17-CLH

संवेदक द्वारा उक्त निर्माण कार्य एक वर्ष बीतने के उपरांत भी अपूर्ण रखा गया। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा कई स्मार पत्रों के माध्यम से स्मारित करने के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। तदोपरांत मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, का पत्रांक 1321 दिनांक 12.03.2025 द्वारा संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 1218 दिनांक 03.04.2025, पत्रांक 5605 दिनांक 27.05.2025 एवं पत्रांक 5839 दिनांक 05.06.2025 द्वारा निबंधित डाक एवं ईमेल के माध्यम से संवेदक श्री Dharmendra Singh से कारण पृच्छा की गई। कारण पृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि संवेदक को आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद का पत्रांक 562 दिनांक 14.03.2026 द्वारा प्रश्नगत कार्य के संबंध में बताया गया है कि संवेदक द्वारा उक्त निर्माण कार्य अबतक पूर्ण नहीं कराया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक Dharmendra Singh (Regd. No.-3190909, PAN-FQSPS1909H) At-Anand Bihar Colony, PO+PS-Rampur, Pin-823001 द्वारा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन नवीनगर प्रखंड अंतर्गत पंचायत बेलाई ग्राम-बसडीहा(महादलित टोला) में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में विहित प्रावधान के आलोक में 03(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

4/11/2026
7.4.26

(Signature)
23.03.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-08/2025 8710 /पटना, दिनांक:- 24.3.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
7/4/26

(Signature)
23.03.26
अभियंता प्रमुख

1936
1968

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-08/2025 3710 /पटना, दिनांक:- 24.3.26
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी
मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RP Ma
23.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-08/2025 3710 /पटना, दिनांक:- 24.3.26
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RP Ma
23.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-08/2025 3710 /पटना, दिनांक:- 24.3.26
प्रतिलिपि:-Dharmendra Singh (Regd. No.-3190909, PAN-FQSPS1909H) At-
Anand Bihar Colony, PO+PS-Rampur, Pin-823001 को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित

RP Ma
23.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-08/2025 3710 /पटना, दिनांक:- 24.3.26
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

RP Ma
23.03.26
अभियंता प्रमुख
६०

5430491/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

प्रोपको-12

1985
1988



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-67/2025 4241

/पटना, दिनांक- 08.04.26

संवेदक Parth Construction, Prop-Roshan Ranjan Jha (Reg. No. 2191444), Add:- S/O- Hema Kant Jha, Anchal- Benipatti, P.S-Arer, Ward No.-13, Vill-Bijalpura, Lohar, Dist-Madhubani, Bihar, Pincode-847213 को कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत "Jaychandra Das House to PMGSY Road Pupri" पथ का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। एकरारनामा संख्या के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 25.08.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 24.05.2021 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 487 अनु0 दिनांक 31.01.2024 एवं पत्रांक 2030 दिनांक 05.06.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी के पत्रांक 516 दिनांक 05.03.2026 द्वारा उल्लेखित किया गया है कि संदर्भित पथ का कार्य संबंधित संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना, संवेदक

Parth Construction, Prop-Roshan Ranjan Jha (Reg. No. 2191444) पूर्णतः दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11. (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Parth Construction, Prop-Roshan Ranjan Jha (Reg. No. 2191444), Add:- S/O- Hema Kant Jha, Anchal- Benipatti, P.S-Arer, Ward No.-13, Vill-Bijalpura, Lohar, Dist-Madhubani, Bihar, Pincode-847213 के निबंधन संख्या:- 2191444, PAN No.AHJPJ1049G को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

2979
13.4.26

02.04.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 06.04.26

ज्ञापक-14/अ0प्र0-14-67/2025 4241

प्रतिलिपि- संवेदक Parth Construction, Prop-Roshan Ranjan Jha (Reg. No. 2191444), Add:- S/O- Hema Kant Jha, Anchal- Benipatti, P.S-Arer, Ward No.-13, Vill-Bijalpura, Lohar, Dist-Madhubani, Bihar, Pincode-847213 को सूचनार्थ प्रेषित।

02.04.26
अभियंता प्रमुख

P.T.O

16/4/26

1926/1965

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-67/2025 4241 /पटना, दिनांक- 04.04.26
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
02.04.26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 04.04.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-67/2025 4241
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
02.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-67/2025 4241 /पटना, दिनांक- 04.04.26
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(Signature)
02.04.26

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 04.04.26

ebsite

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-67/2025 4241
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा
दिया जाय।

(Signature)
02.04.26

अभियंता प्रमुख

5430474/26

क्र.पत्र-12/1988

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



संवेदक Manoj Kumar Yadav, (Reg No. 2170511) Add:- At-Vill-Akabrpur Benk, Post-Benk, Dist-Darbhanga, Bihar Pincode-847203 को कार्य प्रमंडल, मनिहारी के अधीन निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:-106SBD/2018-19 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 28.02.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 27.02.2020 था।

संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक को अनेको स्मार के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं गया। तदलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी के सकारण आदेश पत्रांक 2100 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा एकरारनामा संख्या:-106SBD/2018-19 को विखंडित कर दिया गया।

उक्त विखंडनोपरान्त Empowered Standing Commitee के पत्रांक 383 दिनांक 14.02.2023 द्वारा संवेदक को अपना साक्ष्य सहित रखने का मैका दिया गया था जिसके आलोक में समर्पित अभ्यावेदन में कोई ठोस कारण नहीं रहने के कारण संवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

विभागीय निर्णय के विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या:-7293/2024 दायर किया गया। संदर्भित वाद में दिनांक 10.01.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी के सकारण आदेश पत्रांक 276 दिनांक 10.02.2025 द्वारा दिनांक 10.02.2025 के प्रभाव से संवेदक मनोज कुमार यादव एकरारनामा संख्या:-106SBD/2018-19 को पुनर्बहाल किया गया।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी के पत्रांक 456 दिनांक 12.02.2026 के द्वारा संबंधित पथ को Foreclose करने की आवश्यकता बतायी गयी। इसी क्रम में नोडल पदाधिकारी, PMGSY ने प्रतिवेदित किया गया कि " अगर समय से कार्य सम्पादित किया जाता, तो 27.02.2020 तक कार्य पूर्ण हो जाता। पथांश का कटाव अथवा लक्षित बसावट के विस्थापन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती क्योंकि कटवा की स्थिति 2020-21 के बाढ़ में प्रतिवेदित है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना, संवेदक Manoj Kumar Yadav, (Reg No. 2170511) पूर्णतः दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Manoj Kumar Yadav, (Reg No. 2170511) Add:- At-Vill-Akabrpur Benk, Post-Benk, Dist-Darbhanga, Bihar Pincode-847203 के निबंधन संख्या:- 2130318, PAN No. AEIPY6057R को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


4/27/26
13.4.26
[Handwritten signatures and dates]

[Signature]
02.04.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख


P.T.O

1954
1952


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-95/2025 4239 /पटना, दिनांक- 6.4.26
प्रतिलिपि- संवेदक Manoj Kumar Yadav, (Reg No. 2170511) Add:- At-Vill-
Akabrpur Benk, Post-Benk, Dist-Darbhangha, Bihar Pincode-847203 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 6.4.26


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-95/2025 4239
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 6.4.26


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-95/2025 4239
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-95/2025 4239 /पटना, दिनांक- 6.4.26
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 6.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-95/2025 4239
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा
दिया जाय।


अभियंता प्रमुख


b-site

5430505/26

1963

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

प्र.पदा-12
/पटना, दिनांक- 04.12.20



सकारण आदेश संख्या-14/अप्र0-14-65/2025 4238

संवेदक Bhaskar Communication, Pro- Gita Pandey (Reg No. 2130318) Add:- Maa Bidhybansi Bhawan, R.P Alone Nagar Couserwa Fazalganj, Sasaram, Dist-Rohtas, Bihar को कार्य प्रमंडल, वारसोई के अधीन PMGSY योजनान्तर्गत L069-T02 Bhagbarsoi to Jauharpur (VR69) (Package No. Br-16R-215) पथ का निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:-11SBD/2016-17 के अंतर्गत कार्य की तिथि 08.08.2016. एवं कार्य समाप्ति की तिथि 07.08.2017 था। संदर्भित पथ का वास्तविक कार्य पूर्णता की तिथि 15.06.2020 है।

उक्त पथ के एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का पंचवर्षीय का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वारसोई द्वारा उक्त पथ का पंचवर्षीय अनुक्षण का कार्य पूर्ण हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का पंचवर्षीय अनुक्षण का कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वारसोई के सकारण आदेश ज्ञापांक 816 दिनांक 30.04.2025 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा संख्या:- 11SBD/2016-17 को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वारसोई के पत्रांक 2322 अनु0 दिनांक 18.10.2025 द्वारा अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 11456 अनु0 दिनांक 12.11.2025 एवं पत्रांक 12295 दिनांक 08.12.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक Bhaskar Communication, Pro- Gita Pandey (Reg No. 2130318) द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए उल्लेखित किया गया कि PMGSY योजनान्तर्गत L069-T02 Bhagbosi to Jauharpur (VR69) (Package No. BR-16R-215) का निर्माण कार्य दिनांक 15.06.2020 को पूर्ण हुआ था तथा पंचवर्षीय अनुक्षण की अवधि दिनांक 14.06.2025 को समाप्त हो चुका है। संदर्भित पथ का लगातार तीन वर्षों तक अनुक्षण कार्य किया गया परन्तु किये गये अनुक्षण कार्य का भुगतान भी नहीं किया गया।

उक्त पथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। जहाँ वित्तीय वर्ष 2023-2024 एवं पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ से पथ क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसका सामान्य अनुक्षण मद से पथ को मोटरेबुल कार्य किया जाना संभव नहीं है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वारसोई के पत्रांक 292 अनु0 दिनांक 06.02.2026 द्वारा संवेदक द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि PMGSY योजनान्तर्गत L069-T02 Bhagbarsoi to Jauharpur (VR69) पथ का वास्तविक Package No. Br-16R-215 है, का निर्माण कार्य दिनांक 15.06.2020 को पूर्ण हुआ था, जिसका पंचवर्षीय अनुक्षण की अवधि दिनांक 14.06.2025 को समाप्त हो चुका है।

इनके कार्यालय के पत्रांक 2031 दिनांक 03.08.2021, पत्रांक 2756 दिनांक 16.11.2021 एवं कनीय अभियंता को दिनांक 14.12.2021 द्वारा अनुक्षण कार्य करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 21.10.2021 को SQM द्वारा भी उक्त पथ का निरीक्षण किया गया, जिसमें असंतोषजनक श्रेणी प्रदान की गई।

Handwritten signature and date: 13.4.26

Handwritten signature and date: 10/4/26


1930
1962

संदर्भित पथ अनुरक्षित नहीं रहने के कारण ही प्रमंडल में पदस्थापित तत्कालीन अभियंताओं द्वारा निर्गत नोटिस एवं SQM द्वारा निरीक्षण में असंतोषजनक श्रेणी प्रदान किया गया।

संवेदक द्वारा लगातार तीन वर्षों तक अनुरक्षण कार्य किये जाने का दावा मान्य नहीं है। उक्त पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण के प्रथम वर्ष में MIS के Flood Damage Road/Bridge Report में वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाढ़ से प्रभावित पथ के रूप में प्रविष्टि है, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त पथ बाढ़ प्रभावित पथों की सूची में MIS के Flood Damage Road/Bridge Report में प्रविष्टि नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में बाढ़ प्रभावित पथ के रूप में इनका दावा मान्य नहीं है। संदर्भित पथ में SQM का ATR का निराकरण संवेदक द्वारा नहीं कराये जाने के कारण किसी भी वर्ष का अनुरक्षण कार्य के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य ससमय नहीं किया जाना संवेदक Bhaskar Communication, Pro- Gita Pandey (Reg No. 2130318) पूर्णतः दोषी है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Bhaskar Communication, Pro- Gita Pandey (Reg No. 2130318) Maa Bidhybansi Bhawan, R.P Alone Nagar Couserwa Fazalganj, Sasaram, Dist-Rohtas, Pincode- 821115 के निबंधन संख्या:- 2130318, PAN No. BPNPP7346K को अगले 04 (चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख


घित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-65/2025

4238

/पटना, दिनांक- 6.4.26

प्रतिलिपि- संवेदक Bhaskar Communication, Pro- Gita Pandey (Reg No. 2130318) Maa Bidhybansi Bhawan, R.P Alone Nagar Couserwa Fazalganj, Sasaram, Dist-Rohtas, Pincode- 821115 को सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 6.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-65/2025

4238

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 6.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-65/2025

4238

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

P.T.O

1961
1928

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-65/2025 4238 /पटना, दिनांक- 6.4.26
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(Signature)
02.04.26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 6.4.26

Website

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-65/2025 4238
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा
दिया जाय।

(Signature)
02.04.26

अभियंता प्रमुख

5430459/26


प्र.प.ल. 12
1960
1928

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश




संवेदक आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-345/2025 4112 /पटना, दिनांक-20.4.26
संवेदक Md. Naved Alam (Registration No.1170189) Add:- Flat No. 301, Raj Krishna Complex, East Boring Road, Dist-Patna Pincode 800001 को कार्य प्रमंडल, धमदाहा के अधीन MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत L032 to Bathnaha पथ का निर्माण कार्य का आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:-152SBD/2020-21 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 25.04.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 24.04.2021 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 1425 अनु0 दिनांक 03.02.2026 एवं पत्रांक 2532 दिनांक 24.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कांडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Md. Naved Alam (Registration No.1170189) Add:- Flat No. 301, Raj Krishna Complex, East Boring Road, Dist-Patna Pincode 800001 के निबंधन संख्या:- 1170189, PAN No. ASQPA3668L को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-20.4.26


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-345/2025 4112
प्रतिलिपि- संवेदक Md. Naved Alam, Add:- Flat No. 301, Raj Krishna Complex, East Boring Road, Dist-Patna Pincode 800001 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-20.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-345/2025 4112
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2982
13.4.26


13/4/26


अभियंता प्रमुख
क०प०उ०

1959

1959

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-345/2025

4112

/पटना, दिनांक- 20.4.26

सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान

आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य

विभाग, बिहार, पटना को

(Signature)
20/4/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-345/2025

4112

/पटना, दिनांक- 20.4.26

प्रेशाखा-14 एवं प्रेशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य

विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,

(Signature)
20/4/26

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 20.4.26

bsite

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-345/2025

4112

को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य

विभाग, पटना

(Signature)
20/4/26

अभियंता प्रमुख

5430393/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

1958
K-7102 P/W
PNJ/KIMK
1924

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-67/2025 4242 /पटना, दिनांक- 6.4.26

संवेदक Rukhsana Khatoon (Reg. No. 2230106), Add:- Ward No. 02, Bachharpur,

Aawapur, Pupri Dist-Sitamarhi, Bihar Pincode- 843320 को कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन

MMGSY (SC) योजनान्तर्गत "MD. Afroz Alam House to PMGSY Road Pupri to

Maulangar" पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या के अनुसार कार्य

प्रारम्भ की तिथि 30.12.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 29.12.2022 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का

निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,

पुपरी द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु

संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा

एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने

हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 478 अनु० दिनांक 31.01.2024 एवं

पत्रांक 2021 दिनांक 05.06.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया

गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य

विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी के पत्रांक 516 दिनांक 05.03.2026 द्वारा उल्लेखित किया गया है

कि संदर्भित पथ के 748m में Gr-III & BT कार्य संबंधित संवेदक द्वारा कार्य अभी तक पूर्ण

नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना, संवेदक

Rukhsana Khatoon (Reg. No. 2230103) पूर्णतः दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन

नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की

धारा 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Rukhsana Khatoon (Reg. No.

2230106), Add:- Ward No. 02, Bachharpur, Aawapur, Pupri Dist-Sitamarhi, Bihar

Pincode- 843320 के निबंधन संख्या:- 2230106, PAN No.BITPK8172K को अगले 03

(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

14/02.04.26

(जय किशोर ठाकुर)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 6.4.26

निबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-67/2025 4242

प्रतिलिपि- संवेदक Rukhsana Khatoon (Reg. No. 2230106), Add:- Ward No. 02,

Bachharpur, Aawapur, Pupri Dist-Sitamarhi, Bihar Pincode- 843320 को सूचनार्थ प्रेषित।

14/02.04.26

अभियंता प्रमुख


P.T.O

2983
13.4.26

14/4/26

~~1925~~ 1957


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-67/2025 4242 /पटना, दिनांक- 6.4.26
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


02.04.26
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 6.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-67/2025 4242
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।


02.04.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-67/2025 4242 /पटना, दिनांक- 6.4.26
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


02.04.26
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 6.4.26

site



ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-67/2025 4242
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा
दिया जाय।


02.04.26
अभियंता प्रमुख

5430408/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

पत्रांक-12/1955/1924



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-75/2025 4254


संवेदक हेमन्त कुमार झा (निबंधन संख्या:-2191004), थाना-बहादुरपुर, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन कोड-846001 को कार्य प्रमंडल, दरभंगा-01 के निर्माण कार्य ऑक्टित किया गया। एकरारनामा संख्या:-96SBD/2020-21 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 23.01.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 22.01.2022 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-01 द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-01 के सकारण आदेश पत्रांक 676 दिनांक 25.03.2023 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा संख्या:-96/SBD/2020-21 को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 7251 अनु0 दिनांक 04.07.2025, पत्रांक 12111 दिनांक 01.12.2025 एवं पत्रांक 2522 दिनांक 24.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक हेमन्त कुमार झा (निबंधन संख्या:-2191004), पता:- ग्राम+पो0-कुशोथर, थाना-बहादुरपुर, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन कोड-846001 के निबंधन संख्या:- 2191004, PAN No. AGUPJ1263A को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 08.4.26

बंघित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2025 4254


प्रतिलिपि- संवेदक हेमन्त कुमार झा, पता:- ग्राम+पो0-कुशोथर, थाना-बहादुरपुर, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन कोड-846001 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 08.4.26


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2025 4254

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

क०प०उ०

2984
13.4.26



1955
~~1929~~

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2025 4254 /पटना, दिनांक- 6.4.26
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

(K) Ma
25.05.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2025 4254 /पटना, दिनांक- 6.4.26
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(K) Ma
25.05.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2025 4254 /पटना, दिनांक- 6.4.26
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा
दिया जाय।

(K) Ma
25.05.26

अभियंता प्रमुख

bsite

5430423/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

1954
1922
30 APR 2026
पटना, दिनांक- 2.4.26

56
08 APR 2026
E.m.c

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-42/2026 4124
संवेदक Ugranath Prasad (Registration No. 3180105) Add:- Vill-Manigachi, Purani Bazar, Ward No. 05, P.S-Manigachi, Dist-Darbhanga, Bihar, Pincode- 847422 को कार्य प्रमंडल, दरभंगा-02 के अधीन MMGSY (SC) योजनान्तर्गत Hanuman Nagar PWD Road Middle School to Baghant Sima Banghat Tak पथ का निर्माण कार्य कार्य आवंटित किया

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-02 द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-02 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा संख्या:-04/SBD/2020-21 को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 1608 अनु0 दिनांक 06.02.2026 एवं पत्रांक 2645 दिनांक 25.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Ugranath Prasad (Registration No. 3180105) Add:- Vill-Manigachi, Purani Bazar, Ward No. 05, P.S-Manigachi, Dist-Darbhanga, Bihar, Pincode- 847422 के निबंधन संख्या:- 3180105, PAN No. ARRPP0167B को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

30.03.2026
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 2.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-42/2026 4124
नेबंधित प्रतिलिपि- संवेदक Ugranath Prasad, Add:- Vill-Manigachi, Purani Bazar, Ward No. 05, P.S-Manigachi, Dist-Darbhanga, Bihar, Pincode- 847422 को सूचनार्थ प्रेषित।

30.03.2026
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 2.4.26

2985
13.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-42/2026 4124
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.03.2026
अभियंता प्रमुख
कू0प्र0उ0

10/4/26

1924
1953

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-42/2026

4124

/पटना, दिनांक- 20.4.20

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(14) Mar 20.04.20

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-42/2026

4124

/पटना, दिनांक- 20.4.20

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(14) Mar 20.04.20

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 20.4.20

site

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-42/2026

4124

को सूचनार्थ एवं आवश्यक

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।

(14) Mar 20.04.20

अभियंता प्रमुख

5430349/26

(12) सचिव, P.H.E.D. 1952
सं.पत्रांक-12

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश



अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीते पत्र सं०-3311 (S) We दिनांक-25.04.2025 से दिनांक-30.01.2025 को उड़नदस्ता जाँच मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराई गयी। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत रजवारा-तरौनी से धोईघाट पथ भाया फरदाहा-इटहरवा-आमी-मझिगामा-धबैला-धोईघाट कि०मी० 0.00 से कि०मी० 17.20 पथ के 9वें कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Compressive Strength प्रावधान (305.916 Kg/cm²) से काफी कम 131.6625 Kg/cm² पाये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त अनियमितता हेतु संवेदक Hopecon Infra Projects Pvt. Ltd. (निबंधन सं०-1210026 श्रेणी-01) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11 क (ii) के तहत काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-3055(E), दिनांक-16.05.2025 एवं पत्रांक-4303 (E) दिनांक-03.07.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। तदालोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-HIPPL/NEC/2025-26/183 दिनांक-07.07.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें संवेदक द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पथ की पुनः जाँच कराने का अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल सं०-4, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-193(गो०)अनु० दिनांक-17.10.2024 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उक्त जाँच कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही की गई थी एवं पुनः जाँच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-5752 (E) दिनांक- 27.08.2025 से इस संबंध में पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-HIPPL/RCD/25-26/261 दिनांक-12.02.2026 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। जिसमें संवेदक द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधि को डरा-धमका कर एवं दबाव बनाकर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने का उल्लेख किया गया। साथ ही जाँच प्रतिवेदन के संबंध में पुनः निष्पक्ष एवं स्वतंत्र एजेन्सी से जाँच कराने का अनुरोध किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त तथ्यपरक एवं स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत रजवारा-तरौनी से धोईघाट पथ भाया फरदाहा-इटहरवा-आमी-मझिगामा-धबैला-धोईघाट कि०मी० 0.00 से कि०मी० 17.20 पथ के 9वें कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Compressive Strength प्रावधान (305.916 Kg/cm²) से काफी कम 131.6625 Kg/cm² पाये जाने के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०-154 सहपठित ज्ञापांक-5403 (S) दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 (1) (c) के प्रावधानों के तहत संवेदक Hopecon Infra Projects Pvt. Ltd. (निबंधन सं०-1210026 श्रेणी-01) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

सं० 2987
13.4.26

Handwritten signature and date 13/4/26

H0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

1919 (1951)
Speed Post
E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-11/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संवेदक Hopecon Infra Projects Pvt. Ltd., House-165, Manju Villa, Patliputra Colony, Patna, Bihar-800013/ H/O-A/206, Sheetal Dhamevershine City, Gokhiware, Thane, Maharashtra-401208/ 404, Genx Icon, Near Saguna More, Bailey Road, Patna- 801503, E-mail ID- hopeconinfraprojects@gmail.com, info@hopecon.infra.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-11/2025- 2323 (E) /पटना, दिनांक 21/04/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।
Auy
02.04.26

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

5430334/26
1352
09 APR 2026

संख्या.....
08 APR 2026
E-in-1100

संयुक्त सचिव (उड़नदस्ता), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र सं०-5112 दिनांक-04.06.2025 से दिनांक-03.04.2025 को उड़नदस्ता जाँच मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराई गयी। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत रा०उ०प० संख्या-107 बनमनखी हृदय नगर से खजूरी स्टेट हाइवे, रानीगंज पथ भाया रसाढ़ सतबेर परियारी पथ के 5th कि०मी० में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त Aggregate का EI+FI मान 45.18% प्रतिवेदित है, जो विभागीय मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अनुमान्य अधिकतम सीमा 40% से अधिक है तथा 6th कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Equivalent Cube Strength प्रावधान (305.916 Kg/cm²) से काफी कम 212.76 Kg/cm² पाये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त अनियमितता हेतु संवेदक M/S Ram Sakhi Enterprises Pvt Ltd, (निबंधन सं०- 1210023 श्रेणी-01) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11 क (ii) के तहत काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-4033(E)We, दिनांक-24.06.2026 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-101 दिनांक-26.09.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। जिसमें उड़नदस्ता प्रमंडल सं०-4 के प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-345(E)We, दिनांक-17.01.2026 से माँगी गई दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिस क्रम में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-RAM0041 दिनांक-06.02.2026 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसे समीक्षोपरान्त तथ्यपरक एवं स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत रा०उ०प० संख्या-107 बनमनखी हृदय नगर से खजूरी स्टेट हाइवे, रानीगंज पथ भाया रसाढ़ सतबेर परियारी पथ के 5th कि०मी० में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त Aggregate का EI+FI मान 45.18% प्रतिवेदित है, जो विभागीय मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अनुमान्य अधिकतम सीमा 40% से अधिक है तथा 6th कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Equivalent Cube Strength प्रावधान (305.916 Kg/cm²) से काफी कम 212.76 Kg/cm² पाये जाने के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०-154 सहपठित ज्ञापांक-5403 (S) दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 (1) (c) के प्रावधानों के तहत संवेदक M/S Ram Sakhi Enterprises Pvt Ltd, (निबंधन सं०-1210023 श्रेणी-01) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

13.4.26

13/4/26

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

05030

1917 (1949)

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-21/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संवेदक M/S Ram Sakhi Enterprises Pvt Ltd, At- Professor Colony, Rambagh, Near Millia Convent School, Purnia, Bihar, Pin-854301, E-mail-ramsakhietender@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-21/2025- 2335 (E) /पटना, दिनांक... 7/04/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

Amu
06.04.26

15

5405003/26

1948
19/16

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-10/2026 3983 /पटना, दिनांक- 30.3.26
संवेदक Abhishek Kumar (Registration No. 2200525) Add:- Vill+Post-
Khajurwara, Jahagir Tola Jale, Dist-Darbhanga, Pincode-847303 को कार्य प्रमंडल,
दरभंगा-02 के अधीन MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत Navnirmit MMGSY to Rajokhr
Pekhar पथ का निर्माण कार्य कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:-23SBD/2022-
23 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 18.04.2023 था।





उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का
कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
दरभंगा-02 द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु
संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-02 के
पत्रांक 2094 दिनांक 06.12.2023 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा संख्या:-23SBD/2022-23
को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु
अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 666 अनु0 दिनांक 16.01.2026 एवं
पत्रांक 2493 दिनांक 23.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया
गया। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं
कराया गया। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।


उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन
नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की
कोडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Abhishek Kumar (Registration
No. 2200525) Add:- Vill+Post- Khajurwara, Jahagir Tola Jale, Dist-Darbhanga, Pincode-
847303 को निबंधन संख्या:- 2200525, PAN No. ANRPY2646N को अगले 03 (तीन) वर्षों
के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।




(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 30.3.26


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-10/2026 3983


प्रतिलिपि- संवेदक Abhishek Kumar, Add:- Vill+Post- Khajurwara, Jahagir Tola
Jale, Dist-Darbhanga, Pincode-847303 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 30.3.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-10/2026 3983

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
क०प्र०उ०

दिनांक- 29/6/26
13.4.26

10/4/26


1915
1947

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-10/2026

3983

/पटना, दिनांक- 30.3.26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


25.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-10/2026

3983

/पटना, दिनांक- 30.3.26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25.03.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-10/2026

3983

/पटना, दिनांक- 30.3.26

Website

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


25.03.26
अभियंता प्रमुख

5404848/26

1946

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश


ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Parsawan to Misarachauk पथ निर्माण कार्य संवेदक Rajesh Kumar (Regd. No-3200763), At-Salempur, Bahora Bigha, Nauranga, Dist-Gaya, Pin-823003 को आवंटित किया गया। एकराशनमा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 06.07.2021 है।

संवेदक द्वारा ससमय पथ निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का पत्रांक 1455 अनु0 दिनांक 31.07.2023 एवं मुख्य अभियंता का पत्रांक 2420 अनु0 दिनांक 04.08.2023 द्वारा संवेदक के विरुद्ध करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के विभागीय पत्रांक 5105 दिनांक 03.10.2023 द्वारा निबंधित डाक एवं ईमेल के माध्यम से संवेदक से कारणपृच्छा की गई। उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक अपना बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया द्वारा उक्त पथ की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत पथ का पुनः डी0पी0आर0 तैयार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।


वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, गया के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Parsawan to Misarachauk पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Rajesh Kumar (Regd. No-3200763), At-Salempur, Bahora Bigha, Nauranga, Dist-Gaya, Pin-823003 को 03(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)

अभियंता प्रमुख


ज्ञापक:-14/अ0प्र0-14-93/2026 3977 /पटना, दिनांक:- 31.3.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

P.T.O.


दिनांक-29/70
13.4.26


10/4/26

1913

1945

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-93/2026 3977 /पटना, दिनांक:- 30.3.26
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी
मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-93/2026 3977 /पटना, दिनांक:- 30.3.26
प्रतिलिपि:-Rajesh Kumar (Regd. No-3200763), At-Salempur, Bahora Bigha,
Nauranga, Dist-Gaya, Pin-823003 को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-93/2026 3977 /पटना, दिनांक:- 30.3.26
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख
६२


5404835/21

५८

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

1944
6/2/10-7
K.H.A. E.I.M.K.

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-302/2025 3978 /पटना, दिनांक- 30.3.2025



Singh, Maharaja Hata, Katira, Arrah, Bhojpur Bihar Pincode 802301 को कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के अधीन PMGSY योजनान्तर्गत MRL-15 NH Raunali More to Arazi Mohnpur का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:-59SBD/2023-24 के अनुसार कार्य की तिथि 05.02.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 04.02.2024 था।

उक्त पुल के एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पुल का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के सकारण आदेश पत्रांक 1779 दिनांक 04.08.2025 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा संख्या:-59SBD/2023-24 को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 11278 अनु0 दिनांक 04.11.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक Sneha Singh (Reg. No. 1220122) द्वारा दिनांक 12.11.2025 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए उल्लेखित किया गया कि संदर्भित पथ की लम्बाई पुल के Chainage से पहले पूर्व में दो पुलों का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा था, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उक्त पुलों के डायवर्सन के कारण कार्य स्थल पर निर्माण सामग्रियों (सरिया, गिट्टी, बालू, सिमेन्ट) एवं अन्य यंत्र-संयंत्रों को ले जाने में बहुत बड़ी समस्या है। पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही कार्य स्थल पर सुचारु ढंग से निर्माण समाग्री पहुँच पायेगी। कार्य स्थल पर बहुत अधिक ही जल-जमाव की स्थिति थी, जिसे निकाला जा चुका है। पुल Dismanteling का कार्य पूर्ण हो चुका है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संदर्भित पुल का निर्माण पूर्ण किये जाने हेतु 31.05.2026 तक समयवधि दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के पत्रांक 2593 दिनांक 29.12.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि PMGSY-III योजनान्तर्गत MRL-15 NH RAUNALI MORE TO MOHNPUR VIA DIGHI Const of RCC HL Bridge at Ch. 3+650 KM (Package No. BR33P3R-32) पुल का निर्माण से संबंधित कार्य संवेदक के द्वारा अभी तक कार्य स्थल पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है तथा न ही स्थल पर कोई मटेरियल गिराया गया है, परन्तु स्थिति यह है कि पुल पर मटेरियल ले जाने हेतु किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है एवं मटेरियल का Mobilisation असानी से किया जा सकता है। जहाँ तक संवेदक के द्वारा दिये गये पत्र में मटेरियल के ले जाने हेतु दो पुलों का जिक्र किया गया है। उक्त दो पुलों पर पूर्व से ही डायवर्सन बना हुआ है। परन्तु संवेदक स्नेहा सिंह (निबंधन संख्या-1220122) द्वारा अभी तक उक्त पुल के कार्य में कोई रुची नहीं लिया जा रहा है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पुल का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना, संवेदक Sneha Singh (Reg. No. 1220122) पूर्णतः दोषी है।




Anshu
05/4/26

2271
13.4.26

1944
1943


उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Sneha Singh (Registration No. 1220122) Add:- C/O- Prashant Kumar Singh, Maharaja Hata, Katira, Arrah, Bhojpur Bihar Pincode 802301 के निबंधन संख्या:- 1220122, PAN No. HHGPS6525C को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-302/2025 3978

/पटना, दिनांक- 30.3.28


बंधित प्रतिलिपि- संवेदक Sneha Singh (Registration No. 1220122) Add:- C/O- Prashant Kumar Singh, Maharaja Hata, Katira, Arrah, Bhojpur Bihar Pincode 802301 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-302/2025 3978

/पटना, दिनांक- 30.3.28


प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-302/2025 3978

/पटना, दिनांक- 30.3.28

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-302/2025 3978

/पटना, दिनांक- 30.3.28


प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-302/2025 3978

/पटना, दिनांक- 30.3.28

ebsite प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।


अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

5404936/26

1942

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-317/2025 398) /पटना दिनांक 30.3.26
संवेदक Raushan Kumar, (Reg. No. 1210421), Add:- So Yogendra Bhadaiswar

Ward No 16 Village Bhatawari Panchayat Kalapatti P.S- Phulparash Sugapatti, Dist-
Madhubani Bihar Pincode: 847409 द्वारा MMGSY योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मधुबनी के
अधीन Pkg. No. MMGSY-(AWSESH-SC)-Madhubani-238 (Tender ID-2025_RWD_
141221_1) की निविदा में Audit Report गलत/फर्जी संलग्न किये जाने के कारण नोडल
पदाधिकारी MMGSY के गैर सरकारी प्रेषण संख्या 142 दिनांक 01.12.2025 द्वारा संवेदक के
विभाग को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 12579 अनु0 दिनांक 13.12.2025, पत्रांक
355 दिनांक 09.01.2026 एवं पत्रांक 2495 दिनांक 23.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये
जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए उल्लेखित किया गया कि इनके C.A
ने गलती से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में गलत रकम लिख दी थी।
लेकिन, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में उस असली गलती के बारे में पता
चलने पर, इनके द्वारा तुरंत 12.09.2025 को उस गलती के बारे में बताया और खुद इस
गलती की वजह से इन्हें टेंडर में डिसक्वालिफाई करने की रिक्वेस्ट की, साथ ही यह वादा
किया कि किसी भी अर्थोरिटी या कोर्ट के सामने डिसक्वालिफाई करने के फैसले पर सवाल
नहीं उठाऊंगा।

इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की रकम में हुई गलती को दूसरे C.A से
ऑडिट रिपोर्ट में ठीक करवाया गया। इन्हें पहले ही उक्त टेंडर में डिसक्वालिफाई किया जा
चुका है के आधार पर स्पष्टीकरण से मुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को विभागीय
समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य
विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख)
(ii) के आलोक में संवेदक Raushan Kumar, (Reg. No. 1210421), Add:- So Yogendra
Bhadaiswar Ward No 16 Village Bhatawari Panchayat Kalapatti P.S- Phulparash
Sugapatti, Dist- Madhubani Bihar Pincode: 847409 के निबंधन संख्या:-121, PAN No.
DZQPK4020Q को अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

44-2972
13.4.26

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-317/2025 398) /पटना, दिनांक- 30.3.26
प्रतिलिपि- संवेदक Raushan Kumar, (Reg. No. 1210421), Add:- So Yogendra
Bhadaiswar Ward No 16 Village Bhatawari Panchayat Kalapatti P.S- Phulparash
Sugapatti, Dist- Madhubani Bihar Pincode: 847409 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख P.T.O

15/4/26


1905
1941

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-317/2025 3981 /पटना, दिनांक- 30.3.26
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 30.3.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-317/2025 3981
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 30.3.26


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-317/2025 3981
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।



अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 30.3.26

Website

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-317/2025 3981
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा
दिया जाय।



अभियंता प्रमुख

5404949/26 (1940)
30-12-2022
09 APR 2023

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-09/2026 3982 /पटना, दिनांक- 30.3.23

संवेदक Baba Bhubaneswar Nath Construction Private Limited (Registration No. 2191154) Add:- C/O-Diplal Sah, Vill+Tola-Kushahar, P.S+Dist-Sheohar Pincode-843329 को कार्य प्रमंडल, बेलसंड के अधीन MMGSY योजनान्तर्गत PMGSY Path to Dhanhara Purvi Tola पथ का निर्माण कार्य कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:-26SBD/2022-23 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.12.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 09.12.2023 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेलसंड द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेलसंड के सकारण आदेश ज्ञापांक 1424 दिनांक 02.11.2024 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा संख्या:-26SBD/2022-23 को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 673 अनु0 दिनांक 16.01.2026 एवं पत्रांक 2644 दिनांक 25.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Baba Bhubaneswar Nath Construction Private Limited (Registration No. 2191154) Add:- C/O-Diplal Sah, Vill+Tola-Kushahar, P.S+Dist-Sheohar Pincode-843329 के निबंधन संख्या:- 2191154, PAN No. AAICB5162H को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-09/2026 3982 /पटना, दिनांक- 30.3.23
प्रतिलिपि- संवेदक Baba Bhubaneswar Nath Construction Private Limited, Add:- C/O-Diplal Sah, Vill+Tola-Kushahar, P.S+Dist-Sheohar Pincode-843329 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-09/2026 3982 /पटना, दिनांक- 30.3.23

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य-अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

क०प०उ०

13.4.26
13.4.26

1907
(1939)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-09/2026 3982 /पटना, दिनांक- 30.3.26
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

(10) Mar
25-03-26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-09/2026 3982 /पटना, दिनांक- 30.3.26
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(10) Mar
25-03-26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-09/2026 3982 /पटना, दिनांक- 30.3.26
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा
दिया जाय।

(10) Mar
25-03-26
अभियंता प्रमुख

Website

5404918/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

90-12
1938
01 APR 2025
19/4/25

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-167/2025 3960 /पटना, दिनांक- 30.3.20

संवेदक Jagriti Construction (Reg. No. 1210052), Add:- At - Zeromile, P.O- Bihat,

Dist-Begusarai, Bihar Pincode 851135 को कार्य प्रमंडल, फुलपरास के अधीन MR (3054)

योजनात्तर्गत "गेहूमा बैरिया से छारापट्टी" पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया।

एकरारनामा संख्या:- 13MBD/2020-21 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 03.09.2020 एवं

कार्य समाप्ति की तिथि 02.09.2021 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु

संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास के

पत्रांक 2180 दिनांक 31.12.2022 द्वारा एकरारनामा संख्या:-13MBD/2020-21 को विखंडित

करते हुए अपने पत्रांक 38 दिनांक 07.01.2023 द्वारा संवेदक के निबंधन को कालीसूची में

सम्मिलित किये जाने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 238 अनु0 दिनांक 13.01.2023 द्वारा

स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य

विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास के पत्रांक 400 दिनांक 23.02.2026 द्वारा उल्लेखित किया गया

है कि संदर्भित पथ के एकरारनामा को विखंडित किये जाने के पश्चात इस कार्यालय के

पत्रांक-56 दिनांक-12.01.2023 के द्वारा संवेदक द्वारा किये गये आंशिक कार्य का अंतिम मापी

हेतु लिखा गया। दिनांक-20.01.2023 को अंतिम मापी लिया जाना है आप कार्य स्थल पर

उपस्थित रहेंगे, परन्तु संवेदक या उनके प्रतिनिधि कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुये और

अनुपस्थिति में ही अंतिम मापी लिया गया। इस कार्यालय का पत्रांक-122 दिनांक-23.01.2023

के द्वारा उक्त के संदर्भ में सूचित किया गया कि दिनांक -20.01.2023 को कार्य स्थल पर

पथ का अंतिम मापी हेतु संवेदक को स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु

पत्र लिखा गया। आपके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के अनुपस्थिति में ही निर्धारित तिथि को क्षेत्रीय

अभियंता के द्वारा पथ का अंतिम मापी ले लिया गया है। फलस्वरूप पथ का अंतिम रूप से

मापी ले लिया गया है, जो दिनांक-13.02.2023 को निर्धारित की गई है, अनुपस्थित रहने की

स्थिति में दिनांक- 20.01.2023 को ले ली गई अंतिम मापी ही मान्य होगी, पूर्व के तरह इस

बार भी संवेदक /प्राधिकृत व्यक्ति अंतिम मापी हेतु कार्य स्थल पर अनुपस्थित पाये गये उक्त

कार्य का अंतिम मापी पुस्त 3054 पुष्ठ संख्या-01 से 03 में अंकित है।

एम0बी0डी0 एकरारनामा में सुसंगत कंडिकाओं में निहित प्रावधान के तहत Risk Cost

के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक-2795 दिनांक-25.10.2023, पत्रांक-2870 दिनांक-02.

11.2023 एवं पत्रांक-2931 दिनांक-22.11.2023 के द्वारा संवेदक से वसूलनीय राशि मो0

5882678.00 रूपया मात्र की गई जो संवेदक द्वारा जमा नहीं किया गया है। तत्पश्चात् पथ

का पुनरिक्षित प्राक्लन तैयार कर मुख्य अभियंता-06 (दरभंगा), ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा,

बिहार का पत्रांक-399 दिनांक-10.06.2024 के द्वारा स्वीकृति हेतु समर्पित की गई किंतु लंबे

समय बीत जाने के उपरांत भी स्वीकृति नहीं मिली फलस्वरूप तत्कालीन अभियंता

प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के मौखिक

निदेशानुसार कार्य को MR-3054 New Maint, Policy, से झाप करने तथा MMSUY-

RRSMP में स्वीकृति के लिये इस कार्यालय के पत्रांक-18 दिनांक-09.01.2025 के द्वारा

02 APR 2025
3.in

13.4.25


15/4/25

1908
1938

प्रस्ताव समर्पित किया गया तथा ड्राप करने हेतु पत्रांक-125 अनु0 दिनांक-30.01.2025 के द्वारा अनुशंसा समर्पित की गई।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना, संवेदक Jagriti Construction (Reg. No. 1210052) पूर्णतः दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Jagriti Construction (Reg. No. 1210052), Add:- At -Zeromile, P.O- Bihat, Dist-Begusarai, Bihar Pincode 851135 के निबंधन संख्या:- 1210052, PAN No.AAHFJ4305Q को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(ज. क. शिवराज ठाकुर)

अभियंता प्रमुख


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-167/2025

3980

/पटना, दिनांक-30.3.26

निबंधित

प्रतिलिपि- संवेदक Jagriti Construction (Reg. No. 1210052), Add:- At -Zeromile, P.O- Bihat, Dist-Begusarai, Bihar Pincode 851135 को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-167/2025

3980

/पटना, दिनांक-30.3.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-167/2025

3980

/पटना, दिनांक-30.3.26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-167/2025

3980

/पटना, दिनांक-30.3.26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-167/2025

3980

/पटना, दिनांक-30.3.26

ebsite

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।



अभियंता प्रमुख

5404904/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-161/2025 3979 /पटना, दिनांक- 30.3.20

संवेदक प्रेम शंकर प्रभाकर (निबंधन संख्या:-4190067), पता:- ग्राम-टेंगराहा,

थाना-भेजा, जिला मधुबनी, बिहार, पिन कोड-847408 को कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के अधीन

MMDSY (SC) योजनान्तर्गत त्रिमुहाना रो कन्हौली घाट टोला दक्षिण पथ का निर्माण कार्य

कार्य अवरूढित किया गया। एकरारनामा संख्या:-40SBD/2019-20 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की

तिथि 16.01.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 15.10.2020 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का

कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,

बेनीपुर द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु

संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के

सकारण आदेश पत्रांक 269 दिनांक 07.03.2023 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा संख्या:-

40SBD/2019-20 को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में

सम्मिलित करने हेतु अनुशांसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशांसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 1619 अनु0 दिनांक 14.03.2023, पत्रांक

2695 दिनांक 24.05.2023 पत्रांक 8226 दिनांक 29.07.2025 एवं पत्रांक 9626 दिनांक

04.09.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित अवधि के

समाप्त हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट

होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन

नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या:-8123 दिनांक 19.12.2007 की

कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में प्रेम शंकर प्रभाकर (निबंधन

संख्या:-4190067), पता:- ग्राम-टेंगराहा, थाना-भेजा, जिला-मधुबनी, बिहार, पिन

कोड-847408 के निबंधन संख्या:- 4190067, PAN No. CVHPP9729H को अगले 03

(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(जय किशोर ठाकुर)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 30.3.20

नेबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-161/2025 3979

प्रतिलिपि- संवेदक हेमन्त कुमार झा, पता:- ग्राम+पो0-कुशोथर, थाना-बहादुरपुर,

जिला-दरभंगा, बिहार, पिन कोड-846001 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 30.3.20

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-161/2025 3979

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण

विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा

विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य

अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी

नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

क0प0उ0


20/04/2025
20/04/2025
20/04/2025

1908
1935

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-161/2025 3979 /पटना, दिनांक- 30.3.26
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।


28.3.26
अभियंता प्रमुख


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-161/2025 3979 /पटना, दिनांक- 30.3.26
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


28.3.26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 30.3.26

ebsite

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-161/2025 3979
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा
दिया जाय।


28.3.26
अभियंता प्रमुख

5404872/26

1934
1992



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Bhura to milki पथ निर्माण कार्य संवेदक Amit Kumar (Regd. No-2200911), At-Kali Bari New Colony, Nutan Nagar, PO-Hpo, PS-Civil Line, Dist-Gaya, Pin-823001 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 18.09.2020 है।

संवेदक द्वारा ससमय पथ निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का पत्रांक 1455 अनु0 दिनांक 31.07.2023 एवं मुख्य अभियंता-01 का पत्रांक 2420 अनु0 दिनांक 04.08.2023 द्वारा संवेदक के विरुद्ध करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के विभागीय पत्रांक 5107 दिनांक 03.10.2023 द्वारा निबंधित, डांक एवं ईमेल के माध्यम से संवेदक से कारणपृच्छा की गई। उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक अपना बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया द्वारा उक्त पथ की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत पथ का पुनः डी0पी0आर0 तैयार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, गया के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Bhura to milki पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Amit Kumar (Regd. No-2200911), At-Kali Bari New Colony, Nutan Nagar, PO-Hpo, PS-Civil Line, Dist-Gaya, Pin-823001 को 03(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापक:-14/अ0प्र0-14-93/2026 3976 /पटना, दिनांक:- 30.3.26
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

30/3/26

(1933)
ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-93/2026 3970 /पटना, दिनांक:- 30.3.20
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी
मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Amit Kumar)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-93/2026 3970 /पटना, दिनांक:- 30.3.20
प्रतिलिपि:-Amit Kumar(Regd. No-2200911), At-Kali Bari New Colony, Nutan
Nagar, PO-Hpo, PS-Civil Line, Dist-Gaya, Pin-823001 को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित

(Amit Kumar)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-93/2026 3970 /पटना, दिनांक:- 30.3.20
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(Amit Kumar)
अभियंता प्रमुख
अ.

5359193/26




बिहारराज्य शैक्षणिकआधारभूतसंरचनाविकासनिगमलिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001;OHSAS18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Sahaypur, Patna-800004
Tel. No:0612 - 2660850 *Fax No :0612 - 2660256. E-mail: bseidc@gmail.com



कार्यालय-आदेश

पटना, दिनांक-10/3/26

संख्या- 46

Construction of 10th Level School Building at USSS Tarureshwarpur, Gwalpara (SSS-1288) जिला

निहिता के निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-218 F2 of 2022-23 Date:-21-11-2022) ससमय पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, Bulbul Kumari, Ward No-04, Vill+PO-Makdampur, PS-Puraini Dhapdhara, Dist-Madhepura-852213 को संबंधित कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया परंतु वर्तमान में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य लगभग 85% ही कराया जा सका है साथ ही कई महीनों से बंद/धीमी गति से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। तदालोक में कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के पत्रांक-BSEIDC/MDP/DMT/520 दिनांक-08.12.2025 के माध्यम से संवेदक, Bulbul Kumari, Ward No-04, Vill+PO-Makdampur, PS-Puraini Dhapdhara, Dist-Madhepura-852213 को Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित करने की अनुशंसा की गई है।



Handwritten notes: 12, 15/4/26

वर्णित परिस्थिति में विचारोपरांत संबंधित EE/DMT के अनुशंसा के आलोक में संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB के कडिका-3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक-2131 दिनांक-13.03.2009 के आलोक में संवेदक, Bulbul Kumari, Ward No-04, Vill+PO-Makdampur, PS-Puraini Dhapdhara, Dist-Madhepura-852213 को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1820 पटना, दिनांक-10/3/26
प्रतिलिपि:-"Bulbul Kumari, Ward No-04, Vill+PO-Makdampur, PS-Puraini Dhapdhara, Dist-Madhepura-852213" को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1820 पटना, दिनांक-10/3/26
प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1820 पटना, दिनांक-10/3/26
प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), जिला-मधेपुरा /वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDCको सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता

Handwritten signature and date: 15/4/26

Handwritten signature and date: 15.4.26

S 259 09/26



बिहारराज्य शैक्षणिकआधारभूतसंरचनाविकासनिगमलिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001, OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhava, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No:0612 - 2660850 *Fax No :0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com



कार्यालय-आदेश

संख्या- ५७

पटना, दिनांक- 10/3/26

Construction of Shiksha Bhawan, Kishanganj जिला किशनगंज के निर्माण कार्य (एकरारनामा

संख्या-569 SBD of 2023-24 Date:-22.12.2023) ससमय पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, Vinit Jha, S/O-Rajendra

At-Kahara, Ward No-13, P.O+P.S-Saharsa, Dist-Saharsa-852201, Mob-6203138827, E-mail-gappujha488@gmail

.com को संबन्धित कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया

गया परंतु वेतमान में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य लगभग 61% ही कराया जा सका है साथ ही कई महीनों से

बंद प्रकृति से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

सिद्दालोक में कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के पत्रांक:-BSEIDC/DMT/KNE/2025/419

दिनांक-29-12-2025 के माध्यम से संवेदक, Vinit Jha, S/O-Rajendra Jha, At-Kahara, Ward No-13, P.O+P.S-Saharsa,

Dist-Saharsa-852201, Mob-6203138827, E-mail-gappujha488@gmail .com को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में विचारोपरांत संबंधित EE/DMT के अनुशंसा के आलोक में संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB के कंडिका-3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक-2131 दिनांक-13.03.2009 के आलोक में संवेदक, Vinit Jha, S/O-Rajendra Jha, At-Kahara, Ward No-13, P.O+P.S-Saharsa, Dist-Saharsa-852201, Mob-6203138827, E-mail-gappujha488@gmail .com को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाते हैं। उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1821 पटना, दिनांक- 10/3/26

प्रतिलिपि:- " Vinit Jha, S/O-Rajendra Jha, At-Kahara, Ward No-13, P.O+P.S-Saharsa, Dist-Saharsa-852201, Mob-6203138827, E-mail-gappujha488@gmail.com " को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1821 पटना, दिनांक- 10/3/26

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1821 पटना, दिनांक- 10/3/26

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), जिला-किशनगंज /वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

13.4.26

Handwritten signature and date

मुख्य अभियंता



5359182/26
बिहारराज्य शैक्षणिकआधारभूतसंरचनाविकासनिगमलिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
 (A Govt. of Bihar Undertaking)
 ISO 9001:14001;OHSAS18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Sakinaka Patna-800004
 Tel. No:0612 - 2660850 *Fax No :0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com




कार्यालय-आदेश

पटना, दिनांक-10/3/26

संख्या- 45

Blance work of upgraded middle school Tadhwanandpur, Laxmi bazar(SSS-28) जिला पश्चिम चम्पारण के

निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-04 F2 of 2024-25, Date:-04-04-2024) ससमय पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, Akhilesh kumar prasad, Vill-Jhauwan, Post-Jhaua, Dist-Saran(Bihar)-841216, mob-8709552983, E-mail-zealt284@gmail.com को संबंधित कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया परंतु वर्तमान में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य लगभग 65% ही कराया जा सका है साथ ही कई महीने के बंद/धीमी गति से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। अलाोक में कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के पत्रांक-BSEIDC/EE/TW/054/26, दिनांक-05.02.2026 के माध्यम से संवेदक, Akhilesh kumar prasad, Vill-Jhauwan, Post-Jhaua, Dist-Saran(Bihar)-841216, mob-8709552983, E-mail-zealt284@gmail.com को Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित करने की अनुशंसा की गई है।



वर्णित परिस्थिति में विचारोपरंत संबंधित EE/DMT के अनुशंसा के आलोक में संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB के कंडिका-3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक-2131 दिनांक-13.03.2009 के आलोक में संवेदक, Akhilesh kumar prasad, Vill-Jhauwan, Post-Jhaua, Dist-Saran(Bihar)-841216, mob-8709552983, E-mail-zealt284@gmail.com को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

3-12
 15/4/26

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1819

पटना, दिनांक-10/3/26

प्रतिलिपि:-" Akhilesh kumar prasad, Vill-Jhauwan, Post-Jhaua, Dist-Saran(Bihar)-841216, mob-8709552983, E-mail-zealt284@gmail.com" को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता
 10/3/26

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1819

पटना, दिनांक-10/3/26

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता
 10/3/26

11/0-308
 15.4.26

ज्ञापांक:-BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1819

पटना, दिनांक-10/3/26

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), जिला-पश्चिम चम्पारण /वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता
 10/3/26

15/4/26

5359141/26



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking) ISO 9001:14001:OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 * Fax No : 0612 - 2660256
E-mail: bseidc@gmail.com * Website : http://www.bseidc.in * CIN: U80301BR2010SGC015859



CEIS

पत्रांक:- 48

पटना, दिनांक:- 12/03/26

कार्यालय-आदेश

भागलपुर जिला के अंतर्गत Construction of Different School Building (for XI & XII Class) in District-Bhagalpur (UHSS-21) के भवन का निर्माण कार्य का एकरारनामा संख्या-199 SBD of 2022-23, दिनांक-05.11.2022 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि-05.11.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-04.05.2024 है। कार्य समाप्ति की तिथि से 01 वर्ष 9 माह से ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को दिनांक-25.02.2026 तक Adrit Enterprises, Anand Nagar, Deoghar, Jharkhand-814112 के द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, जिससे विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं इसमें खर्च की गयी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

कार्यपालक अभियंता का पत्रांक-BSEIDC/BGP/EE/UHSS-21/2022/942 Dated-18.12.2024, पत्रांक-BSEIDC/BGP/EE/UHSS-21/2022/925, Dated-22.11.2024 एवं BSEIDC/BGP/EE/UHSS-21/2022/907, Dated-16.10.2024 के द्वारा कार्य को विखंडित करने हेतु आपसे कारण पृच्छा की गयी थी। जिसके बाद कार्यपालक अभियंता, भागलपुर के पत्रांक-BSEIDC/BGP/EE/UHSS-21/2024/1399 Dated-05.11.2025 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही आपको BSEIDC/TECH/976/2016/(VOL-05)-5153, Date-14.08.2024 के द्वारा Debar भी किया जा चुका है। कार्य के प्रारंभ की तिथि से अभी तक अर्थात् तीन वर्षों बाद भी आपके द्वारा वित्तीय रूप से लगभग 27.86% कार्य ही किया गया है।

कार्य की वर्तमान स्थिति देखते हुए आपको एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) कर Security Deposit को जब्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक- BSEIDC/TECH/289 /2019-VOL-III-840, Dated-12.02.2026 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कार्यपालक अभियंता, भागलपुर के अनुशंसा के आलोक में एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के आलोक में संवेदक- Adrit Enterprises, Anand Nagar, Deoghar, Jharkhand-814112 के Agreement संख्या-199 SBD of 2022-23, दिनांक-05.11.2022 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कार्यवाई भी की जाएगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

no-3010
15.4.26

ज्ञापक- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 1851

पटना, दिनांक- 12/03/26

प्रतिलिपि- Adrit Enterprises, Anand Nagar, Deoghar, Jharkhand-814112 को सूचनाार्थ समर्पित।

[Handwritten signature]
15/4/26

मुख्य अभियंता

[Handwritten signature]
07/3/26
मुख्य अभियंता

1096
928

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 1851

पटना, दिनांक- 12/03/26

तिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, भागलपुर को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का विस्तृत प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सकें।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-II)- 1851

पटना, दिनांक- 12/03/26

तिलिपि:-अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०), BSEIDC, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 1851

पटना, दिनांक- 12/03/26

तिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 1851

पटना, दिनांक- 12/03/26

तिलिपि:-वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त तथ्यों के आलोक में एकरारनामा संख्या-199 SBD of 2022-23, दिनांक-05.11.2022 के एकरारनामा Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत Performance Security जप्त करना सुनिश्चित किया जाए। निगम बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु संबंधित कंप्यूटर प्रोगामर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता

5359121/26



बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking) ISO 9001:14001;OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800 004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256
E-mail: bseidc@gmail.com * Website : http://www.bseidc.in * CIN: U80301BR2010SGC018859



पटना, दिनांक-...12/03/26

कार्यालय-आदेश

भागलपुर जिला के अंतर्गत Construction of Different School Building (for XI & XII Class) District-Bhagalpur (UHSS-22) के भवन का निर्माण कार्य का एकरारनामा संख्या-164 SBD of 2022-23 दिनांक-06.08.2022 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि-06.08.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-05.02.2024 है। कार्य समाप्ति की तिथि से 02 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को दिनांक-25.02.2026 तक Adrit Enterprises, Anand Nagar, Deoghar, Jharkhand-814112 के द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, जिससे विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है एवं इसमें खर्च की गयी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

कार्यपालक अभियंता का पत्रांक-BSEIDC/BGP/EE/UHSS-22/2022/889 Dated-25.09.2024, पत्रांक-BSEIDC/BGP/EE/UHSS-22/2022/908, Dated-16.10.2024 एवं BSEIDC/BGP/EE/UHSS-22/2022/926, Dated-22.11.2024 कार्य को विखंडित करने हेतु आपसे कारण पृच्छा की गयी थी। जिसके बाद कार्यपालक अभियंता, भागलपुर के पत्रांक-BSEIDC/BGP/EE/UHSS-22/2024/1400 Dated-05.11.2025 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही आपको BSEIDC/TECH/976/2016/(VOL-05)-5154, Date-14.08.2024 के द्वारा Debar भी किया जा चुका है। कार्य के प्रारंभ की तिथि से अभी तक अर्थात तीन वर्षों बाद भी आपके द्वारा वितीय रूप से लगभग 35.41% कार्य ही किया गया है।

कार्य की वर्तमान स्थिति देखते हुए आपको एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) कर Security Deposit को जब्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक- BSEIDC/TECH/289/2019-VOL-III-841, Dated-12.02.2026 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कार्यपालक अभियंता, भागलपुर के अनुशंसा के आलोक में एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के आलोक में संवेदक- Adrit Enterprises, Anand Nagar, Deoghar, Jharkhand-814112 के Agreement संख्या-164 SBD of 2022-23, दिनांक-05.11.2022 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कार्यवाई भी की जाएगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक-BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 1853

पटना, दिनांक-...12/03/26

प्रतिलिपि:- Adrit Enterprises, Anand Nagar, Deoghar, Jharkhand-814112 को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता

CAS पत्रांक- 449
20
y-12
09/11/26

3009
15.4.26

Handwritten signature and date 15/4/26

Handwritten signature and date 07/3/26

1894
1926

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 1853

पटना, दिनांक- 12/03/26

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, भागलपुर को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का विस्तृत प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सकें।

मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक- 12/03/26

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-II)- 1853

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०), BSEIDC, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक- 12/03/26

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 1853

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक- 12/03/26

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/289/2019(Vol-III)- 1853

प्रतिलिपि:- वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त तथ्यों के आलोक में एकरारनामा संख्या-164 SBD of 2022-23, दिनांक-06.08.2022 के एकरारनामा Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत Performance Security जप्त करना सुनिश्चित किया जाए। निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संबंधित कंप्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता

5530934/28

19/5/2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष MR-3054 योजनान्तर्गत आवंटित पथ NH-84 Golamber To Dumraon Via Jaso Nadaon Kulhariya Surroundha संवेदक M/s Sheo Bhajan Singh (Regd. No.-1180027/1230241), At-Vill+P.O-Kulahariya, Dis-Buxer, Bihar, Pincode-802201 को आवंटित किया गया। संवेदक के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 29.08.2020 एवं कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 06.08.2026 है।

संवेदक द्वारा समर्पित पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के दौरान पथ की मरम्मती नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर का सकारण आदेश ज्ञापांक 201 दिनांक 19.01.2026 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक को कालीकृत किये जाने से पूर्व संवेदक से पत्रांक 2639 अनु० दिनांक 25.02.2026 एवं पत्रांक 3311 अनु० दिनांक 16.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

तदालोक में संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए साक्ष्य की मांग की गयी। विभागीय पत्रांक 4130 अनु० दिनांक 02.04.2026 द्वारा साक्ष्य को उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

संवेदक द्वारा अभी तक अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि उन्हें अपना पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक M/s Sheo Bhajan Singh(Regd. No.-1180027/1230241), At-Vill+P.O-Kulahariya, Dis-Buxer, Bihar, Pincode-802201 को कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष MR-3054 योजनान्तर्गत आवंटित पथ NH-84-Golamber To Dumraon Via Jaso Nadaon Kulhariya Surroundha पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के दौरान पथ की मरम्मती नहीं करने के संबंधी प्रमाणित पाये गये आरोपों के आलोक में बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क) (vi) एवं 11(ख) (ii) में विहित प्रावधान के तहत निबंधन संख्या-1180027/1230241 एवं PAN NO-AOHPS7254M को अगले 04(चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 28.4.26

निबंधित
/ ईमेल

ज्ञापांक:-14/अ०प्र०-14-61/2026 . 5119
प्रतिलिपि:- संवेदक M/s Sheo Bhajan Singh(Regd. No.-1180027/1230241), At-Vill+P.O-Kulahariya, Dis-Buxer, Bihar, Pincode-802201, मो० 9708684045 को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

P.T.O.

दिनांक-34/3
5.5.26

5119


~~1988~~
1924

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-61/2026

5119

/पटना, दिनांक:- 28-4-28

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / योजना एवं विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



21-04-28
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-61/2026

5119

/पटना, दिनांक:- 28-4-28

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



21-04-28
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-61/2026

5119

/पटना, दिनांक:- 28-4-28

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21-04-28
अभियंता प्रमुख

1

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

5530927/26


1923-1987

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-281/2025 5078 /पटना, दिनांक- 28-4-26

संवेदक Anwarul Hak (Reg. No. 3230651), Near Jama Masjid Via Biraul Jamalpur Darbhanga Pincode: 847203 द्वारा PMGSY योजनान्तर्गत एल046-टी01 नरदरिया से बहावट्टी पथ (पैकेज संख्या-BR-10R-349) पथ में राष्ट्रीय गुणवत्ता समन्वयक (NQM) द्वारा लगाये गये ATR का निराकरण नहीं किये जाने के कारण संवेदक अनवारूल हक के निबंधन को कलिसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता-06 (दरभंगा) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1529 अनु0 दिनांक 01.09.2025, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्या अंचल, दरभंगा के पत्रांक 985 अनु0 दिनांक 29.08.2025 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-01 के पत्रांक 1999 अनु0 दिनांक 20.08.2025 द्वारा अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 11172 दिनांक 31.10.2025, पत्रांक 11713 दिनांक 19.11.2025 एवं पत्रांक 320 दिनांक 09.01.2026 द्वारा संवेदक Anwarul Hak (Reg. No. 3230651) से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Anwarul Hak (Reg. No. 3230651), Near Jama Masjid Via Biraul Jamalpur Darbhanga Pincode: 847203 के निबंधन संख्या:-3230651, PAN No. ADGPH2630A को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।



(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 28-4-26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-281/2025 5078

निबंधित


प्रतिलिपि- संवेदक Anwarul Hak (Reg. No. 3230651), Near Jama Masjid Via Biraul Jamalpur Darbhanga Pincode: 847203 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख


/पटना, दिनांक- 28-4-26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-281/2025 5078

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार; पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

P.T.O


5/5/26

5/5/26

1986


1922

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-281/2025

5078

/पटना, दिनांक- 28-4-26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


27-04-26


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-281/2025

5078

/पटना, दिनांक- 28-4-26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


27-04-26


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-281/2025

5078

/पटना, दिनांक- 28-4-26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


27-04-26

अभियंता प्रमुख

५

bsite

5530952/26

(192) 1985

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संख्या-14/अप्रो-14-07/2026 5176 /पटना, दिनांक- 29.4.26

Rupam Kumari (Reg. No. 1220040), W/O Rajeev Kumar Singh, At - Ward No. 14, Sakhmohan, Post - Sakhmohan, Ps - Bibhutipur, Dist - Samastipur, Bihar - 848211 के निबंधन प्रमंडल, फुलपरास के अधीन MR (3054) योजनान्तर्गत Domra Chowk NH 104 को या Singrahi, Laukahi Bazar, Nahar Chowk to Bihul River NH 104 पथ का निर्माण कार्य अंतिम किया गया। एकरारनामा संख्या:- 14MBD/2023-24 के तहत संदर्भित पथ का निर्माण कार्य की तिथि 13.07.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 12.04.2024 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

उदाहृत आदेश संख्या 805 दिनांक 23.05.2025 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा संख्या:- 14MBD/2023-24 को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 668 अनु0 दिनांक 16.01.2026 एवं पत्रांक 2492 दिनांक 23.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु संबंधित संवेदक को निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य दिनांक 15.11.2025 को ही पूर्ण कर दिया गया है। स्थानीय कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता के देख-रेख में पूर्ण किया गया है और उनके संज्ञान में भी है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास के पत्रांक 627 अनु0 दिनांक 02.04.2026 के साथ संलग्न जॉच-प्रतिवेदन में कहा गया है "इस प्रकार 0.272 कि०मी० में पी०सी०सी० सहित 0.020 में बिटुमिनस कार्य शेष है। इस प्रकार 0.292 कि०मी० लम्बाई में कार्य लम्बित है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु संवेदक को निदेशित किया गया है। विदित हो कि संवेदक के द्वारा किये गये पी०सी०सी० कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं पायी गयी है।"

उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि संवेदक के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भ्रामक और असत्य कथन का सहारा लिया गया है, जो उचित नहीं है। समीक्षोपरान्त संवेदक के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Rupam Kumari (Reg. No. 1220040), W/O Rajeev Kumar Singh, At - Ward No. 14, Sakhmohan, Post - Sakhmohan, Ps - Bibhutipur, Dist - Samastipur, Bihar - 848211 के निबंधन संख्या:-1220040, PAN No.CMHPK9856P को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

सं-3411
5.5.26

कार्यपालक
अभियंता
5/5/26

27-04-26

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

च

P.T.O

1920
1984

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-07/2026 5176 /पटना, दिनांक- 29.4.26
धेत प्रतिलिपि- संवेदक Rupam Kumari (Reg. No. 1220040), W/O Rajeev Kumar
Singh, At - Ward No. 14, Sakhmohan, Post - Sakhmohan, Ps - Bibhutipur, Dist -
Samastipur, Bihar - 848211 को सूचनार्थ प्रेषित।

R. Ma
27-04-26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-07/2026 5176
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Ma
27-04-26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-07/2026 5176
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

R. Ma
27-04-26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-07/2026 5176 /पटना, दिनांक- 29.4.26
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

R. Ma
27-04-26

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-07/2026 5176
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा
दिया जाय।

R. Ma
27-04-26

अभियंता प्रमुख

9

2026 04 29

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

5530746/26

1919

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-156/2025 5175 /पटना, दिनांक- 29.4.26

संवेदक Pankaj Kumar Thakur (Reg. No. 3180425), Add:- Vill + Po - Sonma, Bakhri, District - Begusarai Pincode: 848201 को कार्य प्रमंडल, जयनगर के अधीन GTSNY योजनान्तर्गत (i) रामनारायण महतो हाउस से मोती महतो एवं (ii) PMGSY मनहरवा मन्दु सदाय घर से लालपुर टोला पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया।

GTSNY योजनान्तर्गत रामनारायण महतो हाउस से मोती महतो पथ का कार्य प्रारम्भ की तिथि 05.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 04.12.2018 था। संवेदक द्वारा लगभग उक्त पथ का निर्माण कार्य 45% पूर्ण किये जाने के उपरान्त पूर्ण रूप से बन्द रखा गया।

संवेदक द्वारा पत्राचार तथा मौखिक रूप से निदेशित किये जाने के उपरान्त भी संवेदक द्वारा कार्य प्रमंडल, जयनगर के कार्यालय आदेश संख्या:-1200 दिनांक 10.09.2020 द्वारा एक रारनामा संख्या:- 03SBD/2018-19 को विखंडित किया गया।

GTSNY योजनान्तर्गत PMGSY मनहरवा मन्दु सदाय घर से लालपुर टोला पथ का कार्य प्रारम्भ की तिथि 05.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 04.03.2019 था। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। संदर्भित पथ का कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर द्वारा पत्राचार तथा मौखिक रूप से निदेशित किये जाने के उपरान्त भी संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ करने में कोई अभिराधे नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर के कार्यालय आदेश संख्या:-1415 दिनांक 22.10.2020 द्वारा एक रारनामा संख्या:- 04SBD/2018-19 को विखंडित किया गया।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर के पत्रांक 278 अनु0 दिनांक 20.01.2026 द्वारा संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2936 अनु0 दिनांक 09.03.2026 तथा पत्रांक 4119 दिनांक 02.04.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसमें उल्लेखित किया गया कि कोराना काल में मजदूर नहीं मिलने के एवं स्वयं के चिकित्सा में रहने के कारण संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। अस्वीकृत करते हुए संवेदक को कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु निर्णय लिया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Pankaj Kumar Thakur (Reg. No. 3180425), Add:- Vill + Po - Sonma, Thana - Bakhri, District - Begusarai Pincode: 848201 के निबंधन संख्या:-3180425, PAN No.AIJPT9774H को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

3412
5.5.26

[Handwritten signature]
55124

[Handwritten signature]
27-04-26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

1982 (1918)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-156/2025 5175 /पटना, दिनांक- 29.4.26
धेत प्रतिलिपि- संवेदक Pankaj Kumar Thakur (Reg. No. 3180425), Add:- Vill + Po -
Sonma, Thana - Bakhri, District - Begusarai Pincode: 848201 को सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
27.04.26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-156/2025 5175
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
27.04.26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-156/2025 5175
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
27.04.26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-156/2025 5175
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(Signature)
27.04.26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-156/2025 5175
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा
दिया जाय।

(Signature)
27.04.26

अभियंता प्रमुख

Website

5520404/28

1918/1981

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-79/2026 5117 /पटना, दिनांक- 28-4-28

संवेदक Prem Ranjan (Reg. No. 1150020), Add: S/O Kamta Prasad, Vill-Mazauliya, Khetal Anchal Mushahari Dist-Muzaffapur, Pincode-842001 को कार्य प्रमंडल, सहरसा के अधीन MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत रोड नं0-17 बहोरवा प्राईमरी स्कूल से झारा सिमौना बेलडावर पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 18/SBD/2015-16 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.05.2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 14.05.2016 था।

उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

विदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा द्वारा एकरारनामा संख्या:-18/SBD/2015-16 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3193 दिनांक 13.03.2026, एवं पत्रांक 4237 दिनांक 06.04.2026 द्वारा संवेदक Prem Ranjan (Reg. No. 1150020) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Prem Ranjan (Reg. No. 1150020), Add:- S/O Kamta Prasad, Vill-Mazauliya, Khetal Anchal Mushahari Dist-Muzaffapur, Pincode-842001 के निबंधन संख्या:- 1150020, PAN No. AEAPR4003G को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

5520404/28
5.5.26

Ma
27-04-26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-79/2026 5117 /पटना, दिनांक- 28-4-28

नेबंधित

प्रतिलिपि- संवेदक Prem Ranjan (Reg. No. 1150020), Add:- S/O Kamta Prasad, Vill-Mazauliya, Khetal Anchal Mushahari Dist-Muzaffapur, Pincode-842001 को सूचनाार्थ प्रेषित।

Ma
27-04-26
अभियंता प्रमुख

Ma
27-04-26
5520404/28

P.T.O

1916
1985

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-79/2026 5117 /पटना, दिनांक- 28-4-26
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-79/2026 5117 /पटना, दिनांक-28-4-26
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-79/2026 5117 /पटना, दिनांक-28-4-26
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-79/2026 5117 /पटना, दिनांक-28-4-26
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा
दिया जाय।

osite

55 30424/28

1915 1929

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश


5-र
निदेशानुसार
कृष्णा
APR 2026
संवेदक
Ram Sakhi Enterprises Private Limited (Reg. No. 1240286),
Add:- Professor Colony, Rambagh, Near Millia Convent School Purnea Bihar Pincode:
854301 को कार्य प्रमंडल, धमदाहा के अधीन PMGSY योजनान्तर्गत L027-T02 to Adiwasi
Tola (VR27) पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:-
11/SBD/2017-18 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.07.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि
14.07.2018 था।

उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त उक्त पथ का
अनुक्षण कार्य करने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
धमदाहा द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी पंचवर्षीय अनुक्षण कार्य
किये जाने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

विहार. पत्तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा के
सकारण आदेश ज्ञापांक 247 दिनांक 20.02.2026 द्वारा एकरारनामा संख्या:-11/SBD/2017-
18 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित
माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2918 दिनांक 06.03.2026, एवं पत्रांक
4042 दिनांक 01.04.2026 द्वारा संवेदक Ram Sakhi Enterprises Private Limited (Reg. No.
1240286) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है,
कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।


उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन
नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की
कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Ram Sakhi Enterprises
Private Limited (Reg. No. 1240286), Add:- Professor Colony Rambagh, Near Millia
Convent School Dist- Purnea Bihar Pincode: 854301 के निबंधन संख्या:- 1240286, PAN
No. AAECR0278C को अगले 04 (चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता
है।


27.04.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 28.4.26


नेबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-68/2026 5118
प्रतिलिपि- संवेदक Ram Sakhi Enterprises Private Limited (Reg. No. 1240286),
Add:- Professor Colony Rambagh, Near Millia Convent School Dist- Purnea Bihar
Pincode: 854301 को सूचनार्थ प्रेषित।


27.04.26
अभियंता प्रमुख


P.T.O

3423
5.5.26


55124

(1914)
1988


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-68/2026 5118 /पटना, दिनांक- 28-4-28
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-28-4-28

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-68/2026 5118


प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-68/2026 5118


प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-68/2026 5118

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा
दिया जाय।



अभियंता प्रमुख

ebsite

m2

530879/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

40-12
04 MAY 2025
19/11/2024
LS

निवेशन
30 APR 2025
E-imp

कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत I.041-T02 to Intatekr (VR20) पथ निर्माण कार्य संवेदक Mritunjay Kumar Singh(Regd. No-1719), Vill+PO-Imamganj, Gaya, Pin-824206 को आवंटित किया गया।

एकरारनामा(एकरारनामा संख्या-02SBD/2014-15) के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 17.05.2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 16.05.2015 है। पथ निर्माण कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि 02.04.2021 है।

पथ निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त संवेदक द्वारा संदर्भित पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी का सकारण आदेश ज्ञापांक 1544 दिनांक 11.12.2025 द्वारा प्रश्नगत पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए मुख्य अभियंता-02(गया) का पत्रांक 91 अनु0 दिनांक 24.01.2026 द्वारा संवेदक को कालीसूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक Mritunjay Kumar Singh(Regd. No-1719) के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के पूर्व संवेदक से कारणपृच्छा की गई। उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 07.04.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए बताया गया कि "प्रश्नगत पथ की कुल लंबाई 1800 मी0 है। जिसमें से 1400 मी0 का निर्माण कार्य 2015 में पूर्ण किया गया था। परंतु बाकी 400 मीटर लंबाई पथ का निर्माण कार्य जमीन विवादित रहने के कारण मार्च 2020 में पूर्ण कर लिया गया था।"

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य लंबित रखने/अपूर्ण रखने के संबंध में कोई जवाब न देकर मात्र विलंब से कार्य पूर्ण किये जाने की बात कही गई है। संवेदक का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत L041-T02 to Intatekr (VR20) पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Mritunjay Kumar Singh(Regd. No-1719), Vill+PO-Imamganj, Gaya, Pin-824206 को 04(चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(जय किशोर ठाकुर)
28-04-26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-325/2025 5115

/पटना, दिनांक:- 28-4-26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभियंता प्रमुख)
28-04-26

5.5.26
M. R. S.

51
1912/1938

त/
ल

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-325/2025

5115

/पटना, दिनांक:- 28.11.20

प्रतिलिपि:- Mritunjay Kumar Singh(Regd. No-1719), Vill+PO-Imamganj, Gaya
Pin-824206 को सूचनार्थ प्रेषित।

28.11.20

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 28.11.20

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-325/2025

5115

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, /भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.11.20

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 28.11.20

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-325/2025

5115

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.11.20

अभियंता प्रमुख

51

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

5750893/26
1911
1995
01 MAY 2025

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
30 APR 2026
* L030-T01 to Manjhanpur पथ निर्माण कार्य संवेदक Chandan Kumar Singh(Regd. No-4392/14), S/O-Anil Kumar Singh, Vill+PO-Keshawe, PS-Barauni, Dist-Begusarai, Pin-851134 को आवंटित किया गया।

एकरारनामा(एकरारनामा संख्या-02/PMGSY/SBD/2014-15) के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 05.08.2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 04.08.2015 है। उक्त पथ निर्माण कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि 05.01.2022 है।

पथ निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत संवेदक द्वारा संदर्भित पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया द्वारा प्रश्नगत पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक को कालीसूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक Chandan Kumar Singh(Regd. No-4392/14) के विरुद्ध बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के पूर्व संवेदक से कारणपृच्छा की गई। उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 09.04.2026 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए बताया गया कि प्रश्नगत पथ के कार्य स्थल तक जाने का एकमात्र मार्ग निजी कृषि भूमि खेतों से होकर गुजरता है। खेतों की फसल कटाई के उपरांत मरम्मत कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर लिया जाएगा।

संवेदक का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। यदि पथ निर्माण के समय मार्ग तक पहुंचने की बाधा नहीं थी, तो अनुरक्षण कार्य में मार्ग तक पहुंचने में बाधा कैसे उत्पन्न हुई। वर्णित स्थिति में संवेदक के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया।

सम्यक समीक्षोपरांत कार्य प्रमंडल, बलिया के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत L030-T01 to Manjhanpur पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Chandan Kumar Singh(Regd. No-4392/14), S/O-Anil Kumar Singh, Vill+PO-Keshawe, PS-Barauni, Dist-Begusarai, Pin-851134 को 04(चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

3417
5.5.26

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 28.04.2026

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-99/2026 5116

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभियंता प्रमुख)

अभियंता प्रमुख

51

1910

~~1925~~

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-99/2026

5116

/पटना, दिनांक:- 28.4.26

प्रतिलिपि:-Chandan Kumar Singh(Regd. No-4392/14), S/O-Anil Kumar Singh

Vill+PO-Keshawe, PS-Barauni, Dist-Begusarai, Pin-851134 को सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
28.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-99/2026

5116

/पटना, दिनांक:- 28.4.26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, /भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
28.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-99/2026

5116

/पटना, दिनांक:- 28.4.26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
28.04.26

अभियंता प्रमुख

5530961/26

1909/1973

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-59/2026 5077 /पटना, दिनांक- 28-4-20

संवेदक Amit Kumar (Registration No. 3210512) Add.- Vill- Shekhpur P.O.-Shekhpur P.S.-Ahiyapur Dist-Muzaffarpur Pincode:-842002 को कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन MMGSY (SC) योजनान्तर्गत Primary School Dhankaul to MNP Road Bhasar to Madaripur पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:-

171SBD/2021-22 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.03.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 09.09.2022 था।


संबंधित पथ के एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार चेदिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी के सकारण आदेश ज्ञापांक 909 दिनांक 17.04.2025 द्वारा एकरारनामा संख्या:- 171SBD/2020-21 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उचित माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2268 दिनांक 19.02.2026, एवं पत्रांक 3517 दिनांक 19.03.2026 द्वारा संवेदक Amit Kumar (Registration No. 3210512) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Amit Kumar (Registration No. 3210512) Add.- Vill- Shekhpur P.O.-Shekhpur P.S.-Ahiyapur Dist-Muzaffarpur Pincode:-842002 के निबंधन संख्या:-. 3210512, PAN No. DEXPK9011P को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

52



2. In C...



440-3415
5.5.26

Mar 27-04-26

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-59/2026 5077 /पटना, दिनांक- 28-4-20

निबंधित

प्रतिलिपि- संवेदक Amit Kumar (Registration No. 3210512) Add.- Vill- Shekhpur P.O.-Shekhpur P.S.-Ahiyapur Dist-Muzaffarpur Pincode:-842002 को सूचनार्थ प्रेषित।

Mar 27-04-26

अभियंता प्रमुख
P.T.O

Handwritten signature and date 25/5/26


1908

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-59/2026

5077

/पटना, दिनांक- 28-4-26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 28-4-26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-59/2026

5077

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 28-4-26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-59/2026

5077

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 28-4-26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-59/2026

5077

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।



अभियंता प्रमुख



site

550 5475/24

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

1905
1977
निदेशानुसार
1905
1977

550 5475/24
1905
1977

संकेत संख्या-14/अ0प्र0-14-51/2026 4865 / पटना, दिनांक 21.4.26
संवेदक Jay Prakash Singh (Reg. No. 1220312), Add:- Vill- Shivnagar Ghat,
P.O+P.S-Ghanshampur. Dist-Darbhangha, Pincode-847103 को कार्य प्रमंडल, बिरौल के
अधीन MR (3054) योजनान्तर्गत Samail to Gothani पथ का निर्माण एवं पंचवर्षीय
कार्य आवंटित किया गया।

24
2025

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का
अनुरक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
प्रमंडल, बिरौल द्वारा उक्त पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस
दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि
नहीं दिखाई।
तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल के
सकारण आदेश संख्या 1728 दिनांक 23.08.2025 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा संख्या:-
1220312/2019-20) को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित
किये जाने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 1938 अनु0 दिनांक 13.02.2026 द्वारा
स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य
विभाग, कार्य प्रमंडल, बिरौल के पत्रांक 516 अनु0 दिनांक 17.03.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया
गया है कि संदर्भित पथ की स्थिति काफी जर्जर है। MIS से प्राप्त डाटा के अनुसार वर्ष
2021-22 से मात्र 100 मीटर पथांश ही बाढ़ से प्रभावित हुआ था, जिसमें स्थाई पुर्नस्थापन की
आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। साथ ही भारी वाहनों का हवाला देते हुए अनुरक्षण कार्य नहीं
करना कार्य के प्रति लापरवही एवं एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथों का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य ससमय नहीं किया जाना,
संवेदक Jay Prakash Singh (Reg. No. 1220312) पूर्णतः दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन
नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की
कांडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Jay Prakash Singh (Reg. No.
1220312), Add:- Vill- Shivnagar ghat, P.O+P.S-Ghanshampur. Dist-Darbhangha, Pincode
- 847103 के निबंधन संख्या:-1220312, PAN No.CKLP6447Q को अगले 04 (चार) वर्षों
के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

3314
29.4.26

20.04.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

नेबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-51/2026 4865 / पटना, दिनांक- 21.4.26
प्रतिलिपि- संवेदक Jay Prakash Singh (Reg. No. 1220312), Add:- Vill- Shivnagar
ghat, P.O+P.S-Ghanshampur. Dist-Darbhangha, Pincode - 847103 को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/26

20.04.26
अभियंता प्रमुख


1906

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-51/2026

4865

/पटना, दिनांक-21.4.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-21.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-51/2026

4865

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-51/2026

4865

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-21.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-51/2025

4865

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।



अभियंता प्रमुख

Website

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-63/2025 4868

संवेदक सौरभ अभिषेक, (निबंधन संख्या:-2210713) पता- पिता-श्री सरोज कुमार पाण्डेय, ग्राम-नारियल बाजार, वार्ड संख्या-18, जिला-मधुबनी, पिन कोड-847211 को कार्य प्रमंडल, मधुबनी के अधीन MMGSY (SC) योजनान्तर्गत PWD Road Suganua South Tol Sanyal Jha House to Chapahi Road पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 17.09.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 18.09.2021 थी।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक 1894 दिनांक 04.11.2023 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के निर्देश को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उचित माध्यम से अनुशांसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशांसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 130 अनु0 दिनांक 09.01.2024 एवं पत्रांक 2966 दिनांक 05.09.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 30.11.2024 तक कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र होंगे।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक 530 अनु0 दिनांक 18.03.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि एकरारनामा के विखंडन के उपरान्त डी0पी0आर0 समर्पित किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक सौरभ अभिषेक, (निबंधन संख्या:-2210713) पता:- पिता-श्री सरोज कुमार पाण्डेय, ग्राम-नारियल बाजार, वार्ड संख्या-18, जिला-मधुबनी, पिन कोड-847211 के निबंधन संख्या:-2210713, PAN No.ARZPA9348P को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

505500/26
निदेशावली
कृष्णा 1969
1705
पटना, दिनांक- 21.4.20

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 21.4.20

(अभियंता प्रमुख)
अ

4868
28/4/26

3315
27.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025

निबंधित प्रतििलिपि- संवेदक सौरभ अभिषेक, (निबंधन संख्या:-2210713) पता:- पिता-श्री सरोज कुमार पाण्डेय, ग्राम-नारियल बाजार, वार्ड संख्या-18, जिला-मधुबनी, पिन कोड-847211 को सूचनार्थ प्रेषित।

1968


1907

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025

4868

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 21.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025

4868

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025

4868

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 21.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025

4868

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।



अभियंता प्रमुख

स

website

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-63/2025 4867

संवेदक अंजू सिंह, (निबंधन संख्या:-2170427) पता:- ग्राम+पो0-मदूरापुर, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली, पिन कोड-844503 को कार्य प्रमंडल, मधुबनी के अधीन MMGSY (SC) योजनान्तर्गत SH-52 Biscuit Factory to Bikau Tol road पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 20.08.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 19.08.2020 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक 1166 दिनांक 15.07.2023 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 124 अनु0 दिनांक 09.01.2024, पत्रांक 2959 दिनांक 05.09.2024, पत्रांक 1030 दिनांक 07.03.2025 एवं पत्रांक 5514 दिनांक 23.05.2025 द्वारा द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक अंजू सिंह, (निबंधन संख्या:-2170427) पता:- ग्राम+पो0-मदूरापुर, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली, पिन कोड-844503 के निबंधन संख्या:- 2170427, PAN No.CONPS7319D को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(जय किशोर ठाकुर)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 21.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025 4867

प्रतिलिपि- अंजू सिंह, (निबंधन संख्या:-2170427) पता:- ग्राम+पो0-मदूरापुर, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली, पिन कोड- 844503 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 21.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025 4867

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

अभियंता प्रमुख

1966 ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025 4867

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को

1000 सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 21.4.26

1900 ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025 4867

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 21.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025 4867

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।

अभियंता प्रमुख

Website

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

5505483/26
193
निदेशानुसार
21-4-26

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-63/2025 48/8
संवेदक मनोज कुमार साह, (निबंधन संख्या:-2200146) पता: वार्ड संख्या-14, जे0पी0 कॉलोनी, जिला-मधुबनी, पिन कोड-847211 को कार्य प्रमंडल, मधुबनी के अधीन MMSY (SC) योजनान्तर्गत Bikra Bhattha to Gobraura Chowk पथ का निर्माण कार्य अर्पित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.04.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 06.04.2022 था।

पटना, दिनांक 21-4-26
24 APR 2026

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

पत्रांक-12
विशेष निदेश
24 APR 2026

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक 1899 दिनांक 04.11.2023 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करवाई गई।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 122 अनु0 दिनांक 09.01.2024 एवं पत्रांक 2958 दिनांक 05.09.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 30.11.2024 तक कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र होंगे।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक 530 अनु0 दिनांक 18.03.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि एकरारनामा के विखंडन के उपरान्त डी0पी0आर0 समर्पित किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक मनोज कुमार साह, (निबंधन संख्या:-2200146) पता:- वार्ड संख्या:-14, जे0पी0 कॉलोनी, जिला-मधुबनी, पिन कोड-847211 के निबंधन संख्या:- 2200146, PAN No.BUTPS7873M को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

पत्रांक-3316
29.4.26

20.04.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025 48/8
प्रतिलिपि- संवेदक मनोज कुमार साह, (निबंधन संख्या:-2200146) पता:- वार्ड संख्या:-14, जे0पी0 कॉलोनी, जिला-मधुबनी, पिन कोड-847211 को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 21-4-26

20.04.26
अभियंता प्रमुख

28/4/26

1964
1902
1900

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025

4866

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/रागी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ap/ha
20.04.26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-21.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025

4866

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ap/ha
20.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025

4866

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ap/ha
20.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-63/2025

4866

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

ap/ha
20.04.26

अभियंता प्रमुख

ebsite

5505435/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-65/2026 4873

संवेदक M/S Awanish Construction (Reg. No. 1240330) Add- Vill- ~~Khawajepur~~ ^{कुम्प} P. ~~Khawajepur~~ ^{21.4.26}

Khawajepur Dist- Gopalganj Bihar Pincode: 841428 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अन्तर्गत के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्य प्रमंडल, सिवान-01 के अधीन Package No.-RRSMP/25-26 Siwan-01/03 (Tender Id- 144584) की निविदा में गलत अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किये जाने के कारण विभागीय गैर संवेदक संख्या 54 अनु0 दिनांक 25.02.2026 द्वारा बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के तहत संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी।

उक्त विभागीय पत्र में अंकित है कि पथ प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत हरखुआ-खाजपुर (कुल लम्बाई-6.80 कि0मी0) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की निविदा में मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 12.12.2025 को तकनीकी बीड समिति के निर्णय में अंकित किया गया है कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-02 का पत्रांक 2266, दिनांक 12.11.2022 अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में निविदा में संलग्न किया गया है, जिसके सत्यापन के क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-02 ने अपने पत्रांक 1448, दिनांक 31.10.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि पत्रांक 2266 दिनांक 12.11.2022 प्रमंडल द्वारा निर्गत नहीं है। इस प्रकार M/S Awanish Construction द्वारा निविदा में Misleading & False Information दिया गया है। अतः उक्त संवेदक को SBD के ITB Clause 4.8 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया। पुनः पथ निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 23.12.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में अंकित है कि असफल निविदाकार M/S Awanish Construction द्वारा गलत कागजात Uploading कर निविदा की अर्हता प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तदनुसार M/S Awanish Construction के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा भी की गयी है।

उक्त विभागीय पत्र द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2711 अनु0 दिनांक 26.02.2026 द्वारा संवेदक M/S Awanish Construction (Reg. No. 1240330) को स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया, जिसके आलोक में संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-02 के पत्रांक 407 अनु0 दिनांक 19.03.2026 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेखित है कि :-

1. निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र इस कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं है।
2. निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.05.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 26.05.2022 अंकित है जबकि कार्यालय में अभिलेखित अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.05.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 26.05.2021 अंकित है। इस प्रकार निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति की तिथि गलत है।
3. निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्य समाप्ति की तिथि 17.05.2022 अंकित किया गया है, जबकि उक्त योजना 17.05.2021 को पूर्ण किया जा चुका है। अतः निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र कार्य समाप्ति की तिथि गलत अंकित किया गया है।

24 APR 2026
29.4.26
28/4/26


1963
189°
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
निदेशांक
21 APR 2026
21.4.26
in.clt

1962

4. निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र के निर्गत तिथि 12.11.2022 को श्री देवनाथ प्रसाद कार्यपालक अभियंता पदस्थापित थे, जबकि निविदा में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र पर अंकित हस्ताक्षर श्री ललन प्रसाद का है, जो उक्त तिथि को पदस्थापित नहीं थे।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उक्त पर कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि संवेदक द्वारा उक्त निविदा में समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र गलत है।

अतएव सग्यक विचारोपरान्त संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की अधिरूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 के कंडिका-11 (क) उप कंडिका- (ix) एवं (ख) (ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदाकार/संवेदक M/S Awanish Construction (Reg. No. 1240330) Add:- Vill- Olipur P.O- Khawajepur Dist- Gopalganj Bihar Pincode: 841428 के निबंधन संख्या:-1240330, PAN No.-AAJFA3140Q को अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


21.04.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-65/2026

4873

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि- M/S Awanish Construction (Reg. No. 1240330) Add:- Vill- Olipur

P.O- Khawajepur Dist- Gopalganj Bihar Pincode: 841428 को सूचनार्थ प्रेषित।



21.04.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-65/2026

4873

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



21.04.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-65/2026

4873

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



21.04.26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-65/2026

4873

/पटना, दिनांक- 21.4.26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21.04.26
अभियंता प्रमुख

क०प०उ०

1961
1898

4873

/पटना, दिनांक- 21.04.26

site

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-65/2026

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


अभियंता प्रमुख

कर्मचारी कक्षा
द्वारा

५५

5505462/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

निदेशानुसार 1960
24 APR 2025
पटना, दिनांक 20.04.26

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-346/2025 4864

संवेदक Niraj Kumar (Reg. No. 4180/14), Add:- At-Rupwara, P.O-Madhopur Chhata, P.S-Tariyani, Dist-Sheohar, Bihar Pincode-8431028 को कार्य प्रमंडल, शिवहर के अधीन MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत चकफतेह से हनुमान-नगर पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:-SBD06/2014-15 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 31.12.2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 30.06.2015 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

उक्त पथ के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के पत्रांक 852 दिनांक 31.05.2025 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के पत्रांक 24 दिनांक 20.04.26 को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 667 अनु0 दिनांक 16.01.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के पत्रांक 456 दिनांक 23.03.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा पथ निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु 15 दिनों का समयवृद्धि प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। संवेदक द्वारा पथ निर्माण कार्य को पूर्ण करने की दिशा में आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि कार्य पूर्ण करने की दिशा में संवेदक द्वारा कोई अभिरुची नहीं ली जा रही है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथों का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना, संवेदक Niraj Kumar (Reg. No. 4180/14) पूर्णतः दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Niraj Kumar (Reg. No. 4180/14), Add:- At-Rupwara, P.O-Madhopur Chhata, P.S-Tariyani, Dist-Sheohar, Bihar Pincode-8431028 के निबंधन संख्या:- 4180/14, PAN No.BLEPK8737Q को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

दिनांक 29.4.26

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापक-14/अ0प्र0-14-346/2025 4864 /पटना, दिनांक- 21.4.26
प्रतिलिपि- संवेदक Niraj Kumar (Reg. No. 4180/14), Add:- At-Rupwara, P.O-Madhopur Chhata, P.S-Tariyani, Dist-Sheohar, Bihar Pincode-8431028 को सूचनार्थ प्रेषित।

Handwritten signature and notes at the bottom left.

(अभियंता प्रमुख)
Handwritten signature and notes at the bottom right.


1896

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-346/2025

4864

/पटना, दिनांक- 21.4.20

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.04.20


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 21.4.20

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-346/2025

4864

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


20.04.20


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 21.4.20

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-346/2025

4864

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.04.20


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 21.4.20

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-346/2025

4864

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


20.04.20

अभियंता प्रमुख

cs

5542041/26

1958
189

9-12
11/05/26

CE(D8u)
12/5/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



संवेदक AL Krishna Construction Private Limited (Reg. No. 1200063), Add:- Vill Mohanpur Ishar, P.O- Panapur Dharmpur, P.S- Bidupur, Dist-Vaishali, Bihar Pincode: 844102 को कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय के अधीन MR (3054) योजनान्तर्गत Khajuri Se Chaklad Tak पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 02/MBD/2019-20 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 17.12.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 16.09.2020 था। संदर्भित पथ की वारंवारिक कार्य समाप्ति की तिथि 04.04.2022 है।

एकरारनामा के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् पाँच वर्ष तक रूटीन अनुसंधान कार्य करने का एकरारनामा किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, प्रमंडल, दलसिंहसराय द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी संदर्भित पथ का पंचवर्षीय रूटीन अनुसंधान का कार्य किये जाने में कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

साथ ही संदर्भित पथ की जाँच कार्यपालक अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 13.02.2026 की गयी। जाँचोपरान्त पाया गया कि " पथ में सीताराम भवन के पास तथा चंदेल के घर के पास पथ में Stone metal एवं Stone dust से पथ के क्षतिग्रस्त भाग को मरम्मत किया हुआ पाया गया, किन्तु उसके ऊपर Bituminous Surface के क्षतिग्रस्त भाग को मरम्मत किया हुआ पाया गया, किन्तु उसके ऊपर Bituminous Surface पर Shoulder क्षतिग्रस्त पाया गया आबादी वाले क्षेत्र में कुछ स्थलों पर BT Surface का edge टूटा हुआ पाया गया। पथ पंचवर्षीय अनुसंधान के अवधि चतुर्थ वर्ष में है। पथ में पाये गये त्रुटि से परिलक्षित है कि संवेदक द्वारा पथ का समुचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है।"

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय के ज्ञापांक 124 दिनांक 20.01.2026 द्वारा एकरारनामा संख्या:-02/MBD/2019-20 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2935 दिनांक 09.03.2026, एवं पत्रांक 138 दिनांक 02.04.2026 द्वारा संवेदक AL Krishna Construction Private Limited (Reg. No. 1200063) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक AL Krishna Construction Private Limited (Reg. No. 1200063), Add:- Vill Mohanpur Ishar, P.O- Panapur Dharmpur, P.S- Bidupur, Dist-Vaishali, Bihar Pincode: 844102 के निबंधन संख्या:- 1200063, PAN No. AAICA6658D को अगले 04 (चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

Handwritten signature and date: 12/5/26

Handwritten signature: (जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

P.T.O

Handwritten text: 12/5/26


1952/1894

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-66/2026

5174

/पटना, दिनांक- 29.4.26

प्रतिलिपि- संवेदक AL Krishna Construction Private Limited (Reg. No. 1200063),
Add:- Vill Mohanpur Ishar, P.O- Panapur Dharmpur, P.S- Bidupur, Dist-Vaishali, Bihar
Pincode: 844102 को सूचनार्थ प्रेषित।



28-04-26
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-66/2026

5174

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/राजी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28-04-26


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-66/2026

5174

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।


28-04-26


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-66/2026

5174

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28-04-26


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 29.4.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-66/2026

5174

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा
दिया जाय।


28-04-26

अभियंता प्रमुख

Website

5554923/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

1893

स्वास्थ्य अभियंत्रण
संख्या...
06 MAY 2026
बिहार
E.M.

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-55/2026 5369 /पटना, दिनांक- 4.5.26

संवेदक अरसुद्दीन (Reg. No. 1170034), पता:-वार्ड संख्या नं0-29, उर्दु बाजार, जिला-दरभंगा, पिन कोड:-846004 को कार्य प्रमंडल, दरभंगा-02 के अधीन PMGSY योजनान्तर्गत **Kumharauli (Ahilya Asthan) to Rahi Tola** पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 09/SBD/2018-19 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 02.06.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 01.06.2019 था। संदर्भित पथ की वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि 01.12.2020 है।

उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-02 द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-02 के कार्यालय आदेश संख्या:-19 सह पठित ज्ञापांक 993 दिनांक 22.05.2025 द्वारा एकरारनामा संख्या:-09/SBD/2018-19 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2090 दिनांक 17.02.2026, एवं पत्रांक 3948 दिनांक 19.03.2026 द्वारा संवेदक अरसुद्दीन (Reg. No. 1170034) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक अरसुद्दीन (Reg. No. 1170034), पता:-वार्ड संख्या नं0-29, उर्दु बाजार, जिला-दरभंगा, पिन कोड:-846004 के निबंधन संख्या:- 1170034, PAN No. ALZPA9696G को अगले 04 (चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(Signature)
20.04.2026

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

पत्रांक-12
बिहार

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-55/2026 5369 /पटना, दिनांक- 4.5.26
प्रतिलिपि- संवेदक अरसुद्दीन (Reg. No. 1170034), पता:-वार्ड संख्या नं0-29, उर्दु बाजार, जिला-दरभंगा, पिन कोड:-846004 को सूचनार्थ प्रेषित।

3522
13/5/26

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक- 4.5.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-55/2026 5369
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
13/5/26

(Signature)
20.04.2026
अभियंता प्रमुख

P.T.O

1892

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-55/2026

5369

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक- 4.5.26

(Signature)
20.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-55/2026

5369

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक- 4.5.26

(Signature)
20.04.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-55/2026

5369

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

/पटना, दिनांक- 4.5.26

(Signature)
20.04.26

अभियंता प्रमुख

site

20.04.26

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

स्वयं अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना

23 MAY 2026

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर
परिक्षेत्राधीन पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल अंतर्गत बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्य
सं-325F2/2025-26 (एजेंडा सं-0-EKE/S/02/2026), एकरारनामा सं-
324F2/2025-26 (एजेंडा सं-0-EKE/S/04/2026) दिनांक-05.02.2026 एवं एकरारनामा
सं-348F2/2025-26 (एजेंडा सं-0-EKE/S/05/2026) दिनांक-23.02.2026 के तहत
श्री कमलापति, ग्राम-गोबरसही चौक, जिला-मुजफ्फरपुर, पिनकोड-842001 को
आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार उक्त तीनों कार्य समाप्ति की निर्धारित
तिथि-15.05.2026 थी।

2. स्थल निरीक्षण के क्रम में कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं पाये जाने पर
कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से
तीनों-योजनाओं में स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल में आवश्यक बढ़ोतरी कर कार्य की प्रगति
बढ़ाने हेतु संवेदक को निदेशित किया गया। इसके बावजूद दिनांक-17.04.2026 तक कार्य
की भौतिक प्रगति मात्र क्रमशः 36 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत ही है। संवेदक
द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने एवं ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने के कारण
18.04.2026 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा की गई।

3. कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल से प्राप्त अनुशंसा के
विभाग में विभागीय पत्रांक-2243 दिनांक-29.04.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की
गयी, जिसका जवाब अप्राप्त रहा।

4. संवेदक से कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा
बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि
वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 86 प्रतिशत, 87 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत ही है।
आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में
संवेदक द्वारा अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के
बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो संवेदक का कार्य
के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल से प्राप्त अनुशंसा एवं
बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007
के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक श्री कमलापति, ग्राम-गोबरसही चौक,
मो0-भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिनकोड-842001 (निबंधन सं-
WRD160321C2IN40202, श्रेणी-द्वितीय) को वर्णित तीनों कार्य के पूर्ण होने तक
डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

17-3753
26-5-26

1891

ज्ञापांक : 26 / विविध-06-22 / 2026

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- श्री कमलापति, ग्राम-गोबरसही चौक, पो0-भगवानपुर, जिला-
मुजफ्फरपुर, पिनकोड-842001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26 / विविध-06-22 / 2026 2696 पटना, दिनांक : 20/11/26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ
निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन
विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

1889

01 JUN 2026

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना
परिक्षेत्राधीन पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना के अंतर्गत
Construction of New AFS near Village Sonaru on left minor bundh of Dhowa
river along with allied Protection work एकरारनामा सं०-487F2/2025-26 (एजेण्डा
सं०-242/382/2026) दिनांक-30.01.2026 के तहत संवेदक SRI AWADHESH RAY, AT-
SABNIMA, ATHMALGOLA, SABNIMA BAKHTIYARPUR PATNA, PIN-803212 को

प्र०-12

02 JUN 2026
बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
पटना

निर्देशित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि-15.05.2026 थी।

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप दिनांक-08.05.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 56 प्रतिशत ही रही, जो अपेक्षित प्रगति से काफी कम है।

उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में दिनांक-15.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरुचि नहीं लिया जाना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

अभियंता
पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल
पटना

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना के पत्रांक-840 दिनांक-07.05.2026 द्वारा संवेदक SRI AWADHESH RAY, AT-SABNIMA, ATHMALGOLA, SABNIMA BAKHTIYARPUR PATNA, PIN-803212 को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-2479 दिनांक-12.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जवाब अप्राप्त रहा।

सं०-402
4.6.26

4. संवेदक से कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षा बाढ़ (मो०) से करायी गयी। समीक्षा में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 82 प्रतिशत ही है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो संवेदक का कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो०) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेंदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक

1888
SRI AWADHESH RAY, AT-SABNIMA ATHMALGOLA, SABNIMA
BAKHYIYARPUR PATNA, PIN-803212 (निबंधन सं०- WRD171125C2IN24169976,
श्रेणी-द्वितीय) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में
भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26/विविध-01-04/2026 पटना/दिनांक :.....
प्रतिलिपि:- SRI AWADHESH RAY, AT-SABNIMA ATHMALGOLA, SABNIMA
BAKHYIYARPUR PATNA, PIN-803212 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26/विविध-01-04/2026 29/5 पटना, दिनांक : 29/5/26.....
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ
निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन
विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

लोक स्वास्थ्य आ. :
बिहार, प.

01 JUN 2026

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना
परिक्षेत्राधीन पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना के अंतर्गत

Construction of 02 Nos. AFS & Strengthening of left minor bundh near

संख्या.....Lathorniya dev pindi & Ghoranpura on Mahatmine left minor bundh कार्य

in एकरारनामा सं०-4945BD/2025-26 (एजेण्डा सं०-242/386/2026) दिनांक-24.02.2026

Chief (HS) के तहत संवेदक SRI CHANDAN KUMAR, AT-DARGAHPUR, WARD NO.-03, PO-

NAWADA, PS-BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851111 को आवंटित किया

गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि-15.05.2026 थी।

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए निदेशित किया गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया

गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया फलस्वरूप दिनांक-08.05.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 55 प्रतिशत ही रही, जो अपेक्षित प्रगति से काफी कम है।

उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में दिनांक-15.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरुचि नहीं लिया जाना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना के पत्रांक-836 दिनांक-07.05.2026 द्वारा संवेदक SRI CHANDAN KUMAR, AT-DARGAHPUR, WARD NO.-03, PO-NAWADA, PS-BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851111 को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-2478 दिनांक-12.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जवाब अप्राप्त रहा।

4. संवेदक से कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षा बाढ़ (मो०) से करायी गयी। समीक्षा में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 75 प्रतिशत ही है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो संवेदक का कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो०) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक

1886

SRI CHANDAN KUMAR, AT-DARGAHPUR, WARD NO.-03, PO-NAWADA, PS-BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851111 (निबंधन सं. WRD041224C2IN00107, श्रेणी-द्वितीय) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26/विविध-01-05/2026

पटना/दिनांक :


प्रतिलिपि:- SRI CHANDAN KUMAR, AT-DARGAHPUR, WAR NO.-03, PO-NAWADA, PS-BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851111 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26/विविध-01-05/2026

~~2904~~ पटना, दिनांक : 29(5)26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पृथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

नोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना

आदेश

27 MAY 2026 मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर
परिक्षेत्राधीन पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चंद्रायण के अंतर्गत ग्राम-रसूलपुर में कराये जा रहे
कटाव निरोधक कार्य एकरारनामा सं०-194F2/2025-26 (एजेन्डा सं०-242/267/2026)
दिनांक-21.02.2026 के तहत संवेदक राकेश कुमार रंजन, गोबरसही चौक, मुजफ्फरपुर,
पिन-842001 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित
तिथि-15.05.2026 थी।

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के
माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने
के लिए निदेशित किया गया एवं व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर वार्ता भी की गयी, इसके
बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप वर्तमान में कार्य की
भौतिक प्रगति मात्र 22 प्रतिशत ही है, जो अपेक्षित प्रगति 95 प्रतिशत से काफी कम है।

उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में दिनांक-15.05.2026 तक पूर्ण
करने का लक्ष्य निर्धारित है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा
अभिरुची नहीं ली जा रही है। संवेदक का यह कृत्य कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं
कृतव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरुची नहीं लेने के
कारण कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चंद्रायण के पत्रांक-527
दिनांक-18.04.2026 द्वारा संवेदक राकेश कुमार रंजन, गोबरसही चौक, मुजफ्फरपुर,
पिन-842001 को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चंद्रायण से प्राप्त अनुशंसा के
आलोक में विभागीय पत्रांक-2191 दिनांक-27.04.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की
गयी, जिसका जवाब अप्राप्त रहा।

4. संवेदक से कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा
बाढ़ (मो०) से करायी गयी। समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि
वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 22 प्रतिशत ही है। आपदा से संबंधित कार्य होने के
बावजूद निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरुची नहीं ली जा
रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के
बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो संवेदक का कार्य
के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चंद्रायण से प्राप्त अनुशंसा एवं
बाढ़ (मो०) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007
के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक राकेश कुमार रंजन, गोबरसही चौक,
मुजफ्फरपुर, पिन-842001 (निबंधन सं०-WRD300424C3IN00067, श्रेणी-तृतीय) को इस
कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से
वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

1884

ज्ञापांक : 26/विविध-06-21/2026

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि:- श्री राकेश कुमार रंजन, गोबरसही चौक, मुजफ्फरपुर, पिन-842001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-21/2026 2802

पटना, दिनांक : 25/5/26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

5655111/26

183

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार, सकारण आदेश संख्या-14/ओप्र0-14-76/2026 6187 /पटना, दिनांक-19.5.26

संवेदक Sneha Singh (Reg. No. 1220122), Add:- C/O Prashant Kumar Singh,

25 MAY 2026

Maharaja Hata, Katira, Arrah Bhojpur, Bihar, Pincode: 802301 को कार्य प्रमंडल, पुपरी के

अधीन PMGSY-III योजनान्तर्गत Choraut to Khari Tola Bridge पुल का निर्माण कार्य

आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 35/SBD/2022-23 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की

तिथि 15.12.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 14.12.2023 था।

संख्या.....

उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक

Engineer in Chief (H)

विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

P

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा

एकरारनामा संख्या:-35/SBD/2022-23 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय

कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशांसा उपलब्ध करायी गयी।

प्रो पदाब-12

उक्त अनुशांसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3518 दिनांक 19.03.2026 द्वारा संवेदक

Sneha Singh (Reg. No. 1220122) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें संदर्भित पुल का निर्माण कार्य

ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में मामले से इतर पथ के संबंध में शिकायत एवं

अन्य कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। संवेदक द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर

अपना पक्ष नहीं रखा गया है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण

स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Sneha Singh (Reg. No. 1220122), Add:- C/O Prashant Kumar Singh, Maharaja Hata, Katira, Arrah Bhojpur, Bihar, Pincode: 802301 के निबंधन संख्या:-1220122, PAN No. HHGPS6525C को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

15/05/26

(सुधीर कुमार)

अभियंता प्रमुख

बधित

ज्ञापांक-14/ओप्र0-14-76/2026 6187

/पटना, दिनांक-19.5.26

प्रतिलिपि- संवेदक Sneha Singh (Reg. No. 1220122), Add:- C/O Prashant Kumar Singh, Maharaja Hata, Katira, Arrah Bhojpur, Bihar, Pincode: 802301 को सूचनार्थ प्रेषित।

15/05/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/ओप्र0-14-76/2026 6187

/पटना, दिनांक-19.5.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/26

3.6.26

Handwritten signature and date 27/5/26

15/05/26

अभियंता प्रमुख P.T.O

Handwritten mark

1882

52

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-76/2026

6187

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक-19.5.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-76/2026

6187

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-19.5.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-76/2026

6187

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।

/पटना, दिनांक-19.5.26

अभियंता प्रमुख

Website

ए

5655172/26

1887

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-57/2026 6188 /पटना, दिनांक- 19/5/26

25 MAY 2026

संवेदक गुलाब खान (Reg. No. 2170295/2170788), पता:-लक्ष्मी सागर, कोतवाली भौवारा, जिला-मधुबनी, पिन कोड:-847212 को कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन MMSY (SC) योजनान्तर्गत PWD Road Bajpatti Got to Bajpatti Tola पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 179/SBD/2021-22 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि

संख्या.....28.03.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 27.03.2023 था।

Engineer-in-charge

संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी के कार्यालय आदेश संख्या:-978 दिनांक 25.04.2025 द्वारा एकरारनामा संख्या:-179/SBD/2021-22 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2269 दिनांक 19.02.2026, एवं पत्रांक 20 दिनांक 19.03.2026 द्वारा संवेदक गुलाब खान (Reg. No. 2170295) से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन विभाग, कोतवाली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक गुलाब खान (Reg. No. 2170295/2170788), पता:-लक्ष्मी सागर, कोतवाली भौवारा, जिला-मधुबनी, पिन कोड:-847212 के निबंधन संख्या:- 2170295/2170788, PAN No. CMNPK3718G को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-57/2026 6188

/पटना, दिनांक- 19/5/26

प्रतिलिपि- संवेदक गुलाब खान (Reg. No. 2170295), पता:-लक्ष्मी सागर, कोतवाली भौवारा, जिला-मधुबनी, पिन कोड:-847212 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-57/2026 6188

/पटना, दिनांक- 19/5/26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.O

Handwritten signatures and dates: 9.6.26, 14/05/2026, 14/05/2026

25


1880

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-57/2026

6188

/पटना, दिनांक-19/5/26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


14/05/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-55/2026

6188

/पटना, दिनांक-19/5/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/05/2026

अभियंता प्रमुख


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-57/2026

6188

/पटना, दिनांक-19/5/26

ebsite

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


14/05/2026

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-12वि0-192/2024 - 815

1879

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 25.5.26

विषय:- विभिन्न विभागों एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों से प्राप्त डिबार आदेश/निबंधन रद्द करने/कालीकृत करने/मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग- जल संसाधन विभाग, के आदेश ज्ञापांक-1816 दि0-06.04.2026, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक-405 दि0-08.04.2026, ग्रामीण कार्य विभाग, के आदेश ज्ञापांक-6014 दि0-15.03.2026, आदेश ज्ञापांक-5927 दि0-14.05.2026, आदेश ज्ञापांक-5848 दि0-13.05.2026, आदेश ज्ञापांक-5993 दि0-15.05.2026, आदेश ज्ञापांक-5846 दि0-13.05.26, आदेश ज्ञापांक-5994 दि0-15.05.2026, आदेश ज्ञापांक- 5847 दि0-13.05.2026, आदेश ज्ञापांक-6013 दि0-15.05.2026, आदेश ज्ञापांक-5935 दि0-14.05.2026, आदेश ज्ञापांक-5932 दि0-14.05.26, आदेश ज्ञापांक-6011 दि0-15.05.2026, आदेश ज्ञापांक-6012 दि0-15.05.2026, पथ निर्माण विभाग, के आदेश ज्ञापांक-3107(E) दि0-11.05.2026, आदेश ज्ञापांक-2323 (E) दि0-07.04.2026, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा, के ज्ञापांक-1110 दि0-09.04.2026, पथ निर्माण विभाग, के आदेश ज्ञापांक-2338(E) दि0-07.04.2026, कार्यपालक अभियंता कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर, के आदेश ज्ञापांक-938 दि0-06.04.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश/पत्र, जो विभाग को प्राप्त हैं, की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

दिनांक- 25.5.26

पत्रांक-12वि0-192/2024- 815

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

दिनांक- 25.5.26

पत्रांक-12वि0-192/2024- 815

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं निदेश है कि विभागीय साईट पर Upload करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनु0-यथोपरि।

(अभय कुमार सिंह)


मुख्य अभियंता (रूपांकण)

5430551/26

पत्र संख्या -26/विविध-06-03/2026

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश



मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, प्रमंडल लालगंज के अंतर्गत गंगा नदी के बाढ़ तट पर तरसियां एवं जमचेरा में कटाव निरोधक कार्य, एकरारनामा सं०-06SBD/2020-21 (एजेण्डा सं०-159/02/2020) के तहत संवेदक श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+पो०-जमालपुर लालगंज, जिला-वैशाली, पिनकोड-844121 द्वारा कराया गया।

2. उक्त निविदा का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अंतिम विपत्र पारित किये जाने के क्रम में संवेदक द्वारा जाली/फर्जी Turnover संबंधी अभिलेख के आधार पर निविदा प्राप्त करने का परिवाद प्राप्त हुआ। परिवाद की जाँच के क्रम में संवेदक द्वारा निविदा के साथ संलग्न वर्ष 2014-15 के Turnover संबंधी अभिलेख का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज के पत्रांक-403 दिनांक-06.05.2020 द्वारा सी०ए० श्री विमल शत्रुधन एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया गया। सी०ए० श्री विमल शत्रुधन एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट के पत्रांक-शून्य दिनांक-08.06.2020 से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि निविदा में संलग्न वर्ष 2014-15 के Turnover की राशि भिन्न है, जिससे प्रमाणित है कि संवेदक द्वारा जाली/फर्जी Turnover संबंधी अभिलेख के आधार पर निविदा प्राप्त किया गया।

3. संवेदक द्वारा जाली/फर्जी Turnover संबंधी अभिलेख के आधार पर निविदा प्राप्त करने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-70 दिनांक-03.01.2026 के द्वारा संवेदक के निबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

4. मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-131 दिनांक-08.01.2026 द्वारा संवेदक से कारण-पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक के पत्रांक-शून्य दिनांक-21.01.2026 द्वारा अपने कार्यालय तथा chartered Accountant (CA) से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय देने हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक में संवेदक को कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित करने हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय स्वीकृत किया गया।

5. उक्त के आलोक में संवेदक के पत्रांक-शून्य दिनांक-19.02.2026 से पुनः आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज के पत्रांक-403 दिनांक-04.06.2020 के साथ-साथ CA Bimal Shatrudhan & Company chartered Accountant के पत्रांक-शून्य दिनांक-08.06.2020 द्वारा समर्पित सत्यापन पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक-1296 दिनांक-09.03.2026 द्वारा संवेदक को याचित अभिलेख उपलब्ध करा दी गयी। संवेदक द्वारा पुनः दिनांक-12.03.2026 को आवेदन समर्पित करते हुए, निविदा सं०-6SBD/2019-20 (ग्रुप सं०-01) के बीड में संलग्न 2014-15, 2015-16, एवं 2016-17 चार्टर्ड टर्न ओवर विवरण की छायाप्रति की मांग की गयी।

15/4/26

3025

76.4.26

6. संवेदक द्वारा मामले में कारण-पृच्छा का जवाब न देकर बार-बार विभाग से अभिलेख की मांग किये जाने से स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा जवाब देने के बजाय मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है।

7. संवेदक द्वारा फर्जी/जाली अभिलेख/कागजात के आधार पर निविदा प्राप्त किया गया। फर्जी/जाली अभिलेख/कागजात के आधार पर निविदा प्राप्त किया जाना, बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम-11 (क) के उपनियम (vii) के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः संवेदक श्री ब्रजधारी कुमार, वैशाली को (निबंधन सं०- WRD051023C1IN00070, श्रेणी-प्रथम) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम-11 (क) के उपनियम (vii) में प्रावधानित कदाचार के तहत दोषी पाते हुए विभागीय आदेश सं०-201 दिनांक-14.03.2016 के आलोक में अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :- 26/विविध-06-03/2026

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि:- श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+पो०-जमालपुर लालगंज, जिला-वैशाली, पिनकोड-844121 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-03/2026 1816 पटना, दिनांक : 6/4/26
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

बिहार-सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी।
कार्यालय आदेश

कार्या आ० सं०...१/...../दिनांक १-५-२०२६./ Email ID- eephedmotihari@gmail.com

पंचायती राज विभाग से हस्तान्तरित योजनाओं के मरम्मत एवं संपोषण कार्य, प्रखंड कल्याणपुर (एकरारनामा संख्या- SBD-19/24-25), का एकरारनामा राजेश कुमार (संवेदक), वार्ड-01, मझरीया शोख, प० चम्पारण के साथ किया गया था। एकरारनामा के निहित शर्तों के अनुसार आपके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। विदित हो की सहायक अभियंता द्वारा CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु मानव बल की संख्या को बढ़ाने एवं सुपरवाइजर रखने हेतु अनेकों बार मैथिलिक एवं अपने पत्रांक-121 दिनांक-08.10.2025, पत्रांक-130 दिनांक-29.10.2025 पत्रांक-157 दिनांक-09.12.2025, पत्रांक-10 दिनांक-10.01.2026 पत्रांक-11 दिनांक-19.01.2026 एवं पत्रांक-18 दिनांक-30.01.2026 तथा कनीय अभियंताक, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा कल्याणपुर का पत्रांक-शून्य दिनांक-19.01.2026 द्वारा निर्देश देने के बावजूद भी आपके द्वारा मानव बल की संख्या नहीं बढ़ाया गया जिस कारण दिनांक-01.04.2026 को कल्याणपुर प्रखंड में कुल 29 CGRC Portal पर शिकायत लंबित है जिसमें से 11 CGRC शिकायत 1 से 3 दिनों से, 6 CGRC शिकायत 4 से 7 दिनों से तथा 12 CGRC शिकायत 7 से 75 दिनों से लंबित है। इस कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा CGRC Portal से प्राप्त शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के अंदर पूर्ण करना आवश्यक है। सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, कल्याणपुर द्वारा कार्यों में रूची न लेने एवं लाभस्वाही बरतने के कारण आपने पत्रांक-54 दिनांक-02.04.2026 द्वारा आपको डिबार करने हेतु अनुशंसा पत्र अग्राहस्ताक्षरी को समर्पित किया गया है।

फलतः उल्लेखित परिस्थितियों में बाध्य हो कर एकरारनामा में निहित प्रावधानों के अनुसार एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2131 (S) पटना दिनांक- 13.03.2009 के आलोक में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप संवेदक/एजेन्सी राजेश कुमार, वार्ड-01, मझरीया शोख, प० चम्पारण, पिन-845454, मो०- 7488679065 E-mail ID- rajeshkumarbth823@gmail.com, सूचीबद्धता संख्या- 040320200177 को किसी भी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से वंचित (डीबार) किया जाता है।

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

ज्ञापांक 405 / दिनांक १-५-२६

प्रतिलिपि:-संवेदक राजेश कुमार, वार्ड-01, मझरीया शोख, प० चम्पारण, पिन-845454, मो०-7488679065 E-mail ID- rajeshkumarbth823@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 405 / दिनांक १-५-२६

प्रतिलिपि:-समी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कल्याणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 405- / दिनांक १-५-२६

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक सादर समर्पित।

ज्ञापांक 405- / दिनांक १-५-२६

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रमुख-साह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

बिहार-सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी।
कार्यालय आदेश

कार्या आ0 सं0...21...../दिनांक 8-4-26...../ Email ID- eephedmotihari@gmail.com

ज्ञापांक 405...../ दिनांक 8-4-26...../

प्रतिलिपि:-ग्रामीण कार्य विभाग, मोतिहारी/भवन निर्माण विभाग, मोतिहारी/योजना एवं विकास विभाग, मोतिहारी/नगर
विकास एवं आवास विभाग, मोतिहारी/लघु जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/ पथ निर्माण विभाग
मोतिहारी/बुडको, मोतिहारी/LAEO मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मोतिहारी।
08/04/26
8/4/26

5622096/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
निवेदांक-1874
19 MAY 2026
Panna
B. J. C. (H)

80-12

आभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
20 MAY 2026

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014 / पटना दिनांक-15/5/26
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ के अधीन MR (3054) योजना-तर्गत कुल 03
(तीन) पथ यथा 1 Kondhi Path to Sadikpur 2. Ajgra MR Road to Khushal Chak Pul tak 3.
PMGSY Road to Dholpur (Bhuapur) का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य संवेदक बालाजी
इन्टरप्राइजेज, प्रो0-सुशील कुमार (निबंधन संख्या:-1230274), पता:-रामनन्दन सिंह,
मोलदियार टोला, पीपर तर वार्ड संख्या-12, मोकामा, पटना, पिन कोड-803302 को आवंटित
किया गया था।

संवेदक को संदर्भित पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य किये जाने का निदेश दिये जाने
के उपरान्त संवेदक द्वारा दूरभाष पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
बाढ़ के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उनके परिवार के साथ अप्रिय घटना किये जाने की धमकी
दिये जाने के कारण संवेदक बालाजी इन्टरप्राइजेज, प्रो0-सुशील कुमार (निबंधन संख्या:-
1230274) के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया
गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 4695 अनु0 दिनांक 17.04.2026 द्वारा
स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित आरोप का कोई जवाब नहीं दिया गया है,
बल्कि उनके निवेदा, से संबंधित मामले में माननीय ट्रिब्यूनल, बिहार, पटना में वाद दायर होने
एवं इसे लंबित रहने तक कार्रवाई नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया है। संदर्भित मामले
का स्पष्टीकरण से कोई संबंध नहीं है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण
स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य
विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (i) & (ii) एवं
11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक बालाजी इन्टरप्राइजेज, प्रो0-सुशील कुमार (निबंधन
संख्या:-1230274), पता:-रामनन्दन सिंह, मोलदियार टोला, पीपर तर वार्ड संख्या-12, मोकामा,
पटना, पिन कोड-803302 के निबंधन संख्या:-1230274, PAN No. EXCPK4171D को
कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

14/05/2026

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-15/5/26

निबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014

प्रतिलिपि- में संवेदक बालाजी इन्टरप्राइजेज, प्रो0-सुशील कुमार (निबंधन
संख्या:-1230274), पता:-रामनन्दन सिंह, मोलदियार टोला, पीपर तर वार्ड संख्या-12, मोकामा,
पटना, पिन कोड-803302 को सूचनार्थ प्रेषित।


14/05/2026

अभियंता प्रमुख
P.T.O

3787
23-5-26
14/05/26

1871 1873


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014 /पटना, दिनांक-15/5/26
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा
विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी
नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/05/2026
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-15/5/26


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014
प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।


14/05/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014 /पटना, दिनांक-15/5/26
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


14/05/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-112/2026 6014 /पटना, दिनांक-15/5/26
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा
दिया जाय।



14/05/2026
अभियंता प्रमुख

Website

1

5622005/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



सकारण आदेश संख्या-14/अप्र0-14-105/2026 5927

संवेदक M/S Laxmi Construction (Reg. No. 1250231), Add:- At - Shambhupatti, P.O - Shambhupatti, P.S - Samastipur, Distt - Samastipur, Bihar, Pincode: 848129 को कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के अधीन MMGSY योजनान्तर्गत Package No.RRSMP/25-26 Samastipur/06 (Tender ID- 142005) द्वारा पथों को आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 25(CMBD)2025-26 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.08.2025 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 13.08.2026 है।




निविदा संख्या-142005 के अन्तर्गत पथों का कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से संवेदक को निदेशित किये जाने के जाने के उपरान्त भी संदर्भित निविदा के अन्तर्गत पथों का कार्य प्रारम्भ किये जाने में कोई अभिरुची नहीं ली गयी। तदालोक में उक्त एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को कालीसूची में सम्मिलित किये जाने कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के पत्रांक 570 दिनांक 13.03.2026 द्वारा अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 4120 अनु0 दिनांक 02.04.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।


संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वास्थ्य कारणों से संदर्भित निविदा के अन्तर्गत पथों का कार्य प्रारम्भ नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक M/S Laxmi Construction (Reg. No. 1250231), Add:- At - Shambhupatti, P.O - Shambhupatti, P.S - Samastipur, Distt - Samastipur, Bihar, Pincode: 848129 के निबंधन संख्या:-1250231, PAN No AADFL3871D को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अप्र0-14-105/2026 5927 /पटना, दिनांक-14/5/26
निबंधित प्रतिलिपि- संवेदक M/S Laxmi Construction (Reg. No. 1250231), Add:- At - Shambhupatti, P.O - Shambhupatti, P.S - Samastipur, Distt - Samastipur, Bihar, Pincode: 848129 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अप्र0-14-105/2026 5927 /पटना, दिनांक-14/5/26
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3782
23.5.26



अभियंता प्रमुख
९

३६

1869


1871

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-105/2026

5927

/पटना, दिनांक-14/5/26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



12/05/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-105/2026

5927

/पटना, दिनांक-14/5/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12/05/2026
अभियंता प्रमुख 14/5/26


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-105/2026

5927

/पटना, दिनांक-

Website

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


12/05/2026
अभियंता प्रमुख

७

5622056/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

187-0
1876
E.in.c/H
19 MAY 2026
पटना, दिनांक-13/5/26

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

संवेदक Jag Mohan Jha (Reg. No. 2190718), Add:-Vill+P.O-Benipatti, Dist-Madhubani, Bihar Pincode-847223 को कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी के अधीन MMGSY (GEN) योजनान्तर्गत Hanuman Temple to Kerbar Tol पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया।
एकरारनामा संख्या:- 54/SBD/2020-21 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 26.08.2020 एवं समाप्ति की तिथि 25.08.2021 था।

उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी द्वारा एकरारनामा संख्या:-54/SBD/2020-21 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3521 दिनांक 19.03.2026, एवं पत्रांक 4749 दिनांक 17.04.2026 द्वारा संवेदक Jag Mohan Jha (Reg. No. 2190718) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Jag Mohan Jha (Reg. No. 2190718), Add:-Vill+P.O-Benipatti, Dist-Madhubani, Bihar Pincode-847223 के निबंधन संख्या:- 2190718, PAN No. AFJJPJ4660H को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

/पटना, दिनांक-13/5/26

निबंधित

प्रतिलिपि- संवेदक Jag Mohan Jha (Reg. No. 2190718), Add:-Vill+P.O-Benipatti, Dist-Madhubani, Bihar Pincode-847223 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

/पटना, दिनांक-13/5/26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

23.5.26

P.T.O

1869

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-77/2026 5848

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

Website

63

प्रशाखा अधिकारी

लोक सेवा एवं अभियंता विभाग

5622 048/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
निदेशांक
19 MAY 2026
Suman
1968

संवेदक Suman Kumar Tiwary (Regd. No-1240225), S/O-Rambilash Tiwari,
Gram- Nagrah, Post- Nagrah, Dist-Bhagalpur, Pin-853204 बिहार भवन निर्माण विभाग के
अधीन भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन निर्माण कार्य की
भारा लिया गया।

20-12

अभियंता प्रमुख-सह-निविदा
20 MAY 2026

भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण
कार्य की निविदा में संवेदक द्वारा गलत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण अभियंता
आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग का पत्रांक 2484(भ) अनु0
दिनांक 12.03.2025 द्वारा संवेदक Suman Kumar Tiwary के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन
नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है।
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा किये
गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व विभागीय पत्रांक 3707
दिनांक 24.03.2026, पत्रांक 4608 दिनांक 16.04.2026 एवं पत्रांक 5120 दिनांक 28.04.2026 द्वारा
संवेदक से कारणपृच्छा की गई। कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक आरोप के बिंदु
पर अपना बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव
में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में संवेदक द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में
प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य की निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित
करने संबंधी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण
कार्य विभाग) के नियम 11(क)(ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Suman
Kumar Tiwary (Regd. No-1240225, PAN-ADOPT3318B), S/O-Rambilash Tiwari,
Gram- Nagrah, Post- Nagrah, Dist-Bhagalpur, Pin-853204 को कालीकृत (Blacklist)
किया जाता है।

12/05/2026

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-95/2026 5993

/पटना, दिनांक:-15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती
राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल
संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध
निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

4/5-2788
23-5-26
Suman
12/5/26

12/5/26

अभियंता प्रमुख

1867

निबंधित

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-95/2026 5993 /पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- Suman Kumar Tiwary (Regd. No-1240225), S/O-Rambilash Tiwari, Gram- Nagrah, Post- Nagrah, Dist-Bhagalpur, Pin-853204 को सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten signature]
12/05/2026

अभियंता प्रमुख 15/5/26

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-95/2026 5993 /पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten signature]
12/05/2026

अभियंता प्रमुख 15/5/26

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-95/2026 5993 /पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


[Handwritten signature]
12/05/2026

अभियंता प्रमुख

र.

56 22020/26


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 को कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन NABARD योजनान्तर्गत Construction of High Level RCC Bridge Near Gopalpur Muraul Pokhadbhinda पुल का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकराजनामा संख्या:- 31/SBD/2023-24 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 08.12.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 07.12.2024 था।

90-12




उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

उदात्त संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा एकराजनामा संख्या:- 31/SBD/2023-24 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3520 दिनांक 19.03.2026, एवं पत्रांक 4871 दिनांक 21.04.2026 द्वारा संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 के निबंधन संख्या:- 2200046, PAN No. ACMPS5040C को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।


(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

/पटना, दिनांक-13/5/26


प्रतिलिपि- संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 को सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

/पटना, दिनांक-13/5/26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

3789
23.5.26

24/5/26

P.T.O

1865

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-75/2026 5846

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।


/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

Website

5622076/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



संवेदक Murari Yadav(Regd. No-2210968), Vill-Tintanga, Karari, PO-Tintanga Karari, PS-Gopalpur, Dist-Bhagalpur, Pin-853205 को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण कार्य प्रमंडल-01, भागलपुर के अधीन सबौर प्रखंड के शंकरपुर दियारा पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 16.07.2025 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 15.07.2026 है।

एकरारनामा के अनुसार संवेदक द्वारा ससमय कार्य नहीं प्रारंभ करने के पश्चात क्षेत्रीय अभियंत्रणों द्वारा कार्य प्रारंभ करने हेतु संवेदक को कई बार स्मारित किया गया इसके बावजूद संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं की गई। तदालोक में कार्यपालक अभियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, भागलपुर का पत्रांक 184 दिनांक 03.02.2026 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए उनके पत्रांक 186 दिनांक 03.02.2026 द्वारा संवेदक को कालीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। इसी बीच संवेदक द्वारा अधीक्षण अभियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए 40(चालीस) दिनों के अंदर पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। इस आधार पर अधीक्षण अभियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर का पत्रांक 71 दिनांक 11.02.2026 द्वारा उक्त एकरारनामा विखंडन आदेश को 40(चालीस) दिनों के लिए स्थगित करते हुए कार्य पूर्ण किये जाने हेतु संवेदक को मौका दिया गया।

कार्यपालक अभियंत्रण द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक 2086 दिनांक 17.02.2026 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गई। कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अधीक्षण अभियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर का पत्रांक 71 दिनांक 11.02.2026 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक 4721 दिनांक 17.04.2026 द्वारा अधीक्षण अभियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर से कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया।

अधीक्षण अभियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर का पत्रांक 166 दिनांक 21.04.2026 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक मुरारी यादव द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से समर्पित Work Programme समर्पित करते हुए 40 दिनों के अंदर कार्य में प्रगति लाने का आश्वासन दिया गया। परंतु मुरारी यादव द्वारा समर्पित संशोधित Work Programme के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण पुनः कार्यपालक अभियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, भागलपुर का पत्रांक 571 दिनांक 13.04.2026 द्वारा एकरारनामा विखंडित किया गया है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने में कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

P.T.O.

1863

वर्णित परिप्रेक्ष्य में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, भागलपुर के अधीन सबौर प्रखंड के शंकरपुर दियारा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार पूर्ण नहीं किये जाने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Murari Yadav(Regd. No-2210968), Vill-Tintanga Karari, PO-Tintanga Karari, PS-Gopalpur, Dist-Bhagalpur, Pin-853205 को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-54/2026 5994 /पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-54/2026 5994 /पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-Murari Yadav(Regd. No-2210968), Vill-Tintanga Karari, PO-Tintanga Karari, PS-Gopalpur, Dist-Bhagalpur, Pin-853205 को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-54/2026 5994 /पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-54/2026 5994 /पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, भागलपुर एवं अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-54/2026 5994 /पटना, दिनांक:- 15/5/26


प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

(25)

5622013/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश



सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 को कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन NABARD योजनान्तर्गत Construction of Bridge over Damodar River from Paktola to Chakuti पुल का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्या:- 28/SBD/2023-24 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.10.2023 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 12.10.2024 था।

उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा एकरारनामा संख्या:-28/SBD/2023-24 को विखंडित करते हुए संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3514 दिनांक 19.03.2026, एवं पत्रांक 4872 दिनांक 21.04.2026 द्वारा संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं कंडिका 11(ख) (ii) के आलोक में संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 के निबंधन संख्या:- 2200046, PAN No. ACMPS5040C को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-13/5/26

निबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

प्रतिलिपि- संवेदक Achal Deo Singh (Reg. No. 2200046), Add:- S/O Gopal Singh, Vill-Bakhorapur, Post-Bakhorapur, P.S- Barhara, Dist-Bhojpur, Bihar Pincode-802311 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-13/5/26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

CH

P.T.O

379/23.5.26

23/5/26

(86)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-13/5/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-74/2026 5847

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

/पटना, दिनांक-13/5/26


अभियंता प्रमुख

Website

5622034/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

186



संकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-328/2025

/पटना, दिनांक-

मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1920 दिनांक 09.12.2025 द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- MNQ-04 के गुप संख्या-18 की निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र समर्पित किये जाने के कारण संवेदक Surendra Prasad Ojha, (Reg. No. 2150055), Add:- At- Friends Colony Pakri, Ara, P.O+P.S-Nawada, Dist-Bhojpur, Pincode-802301 को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 12772 अनु० दिनांक 18.12.2025 एवं पत्रांक 739 दिनांक 19.01.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें संदर्भित निविदा के संदर्भ में पूर्व से ही कालीसूची में सम्मिलित रहने का उल्लेख किया गया। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4323 दिनांक 19.03.2026 एवं पत्रांक 4367 दिनांक 09.04.2026 द्वारा कालीकृत संबंधी पत्र की मांग की गयी, जिसके आलोक में संवेदक का उत्तर अब तक अप्राप्त है।

निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा कालीकृत संबंधी पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक, समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Surendra Prasad Ojha, (Reg. No. 2150055), Add:- At- Friends Colony Pakri, Ara, P.O+P.S-Nawada, Dist-Bhojpur, Pincode-802301 के निबंधन संख्या:-2150055, PAN No. AALPO3773B को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

[Signature]
14/05/2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025 6013

/पटना, दिनांक- 15/5/26

निबंधित

प्रतिलिपि- संवेदक Surendra Prasad Ojha, (Reg. No. 2150055), Add:- At- Friends Colony Pakri, Ara, P.O+P.S-Nawada, Dist-Bhojpur, Pincode-802301 को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
14/05/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025 6013

/पटना, दिनांक- 15/5/26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु०), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
14/05/2026
अभियंता प्रमुख

क०प्र०उ०

[Signature]
24/5/26


1859

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025

6013

/पटना, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



14/5/26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025

6013

/पटना, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/5/26
अभियंता प्रमुख 15/5/26


ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025

6013

/पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी को संवेदक के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निमित्त आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/5/26
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-328/2025

6013

/पटना, दिनांक-15/5/26

Website

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।


14/5/26
अभियंता प्रमुख

1

5622029/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
19 MAY 2026
कुमुदा
E.m.c(H)

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

संवेदक Chandravir Yadav (Reg. No. 1200127), Add:- Vill-Kumai, P.O- Nari Bhadawan, Dist-Darbhanga, Bihar, Pincode 847103 को कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के अधीन MMSY (SC) योजनान्तर्गत Mani Mahpatia to Sonbersha Tol पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 11.01.2021 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10.01.2022 था।

20-12
अभियंता प्रमुख

उक्त संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिरुचि नहीं ली गई। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर द्वारा एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक को निर्देशित कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 659 अनु0 दिनांक 06.02.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के पत्रांक 533 अनु0 दिनांक 04.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा 200 मी0 में कालीकरण का कार्य किया गया। शेष पथांश में कालीकरण का कार्य आवश्यक है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना, संवेदक Chandravir Yadav (Reg. No. 1200127) पूर्णतः दोषी है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में Chandravir Yadav (Reg. No. 1200127), Add:- Vill-Kumai, P.O- Nari Bhadawan, Dist-Darbhanga, Bihar, Pincode 847103 के निबंधन संख्या:-1200127, PAN No. ABHPY9549C को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

सुधीर कुमार
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-14/5/26

निबंधित

ज्ञापक-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

प्रतिलिपि- संवेदक Chandravir Yadav (Reg. No. 1200127), Add:- Vill-Kumai, P.O- Nari Bhadawan, Dist-Darbhanga, Bihar, Pincode 847103 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-14/5/26

3723
23.5.26

ज्ञापक-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख


अभियंता प्रमुख

1857

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

/पटना, दिनांक-14/5/26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

/पटना, दिनांक-14/5/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-57/2025 5935

/पटना, दिनांक-14/5/26

Website


प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाय।



अभियंता प्रमुख

(95)

5622024/26



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288, PAN-AAHCR4725K) द्वारा विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 12396 दिनांक 10.12.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने संबंधी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-571/2026 Rishav Utilities services Pvt. Ltd. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.03.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में सुनवाई के संबंध में।

08/05/2026

आदेश

संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. की ओर से नीरज कुमार उपस्थित एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मझौल-बखरी उपस्थित।

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, मझौल-बखरी के अधीन एम0एम0जी0एस0यु0वाई0 योजनान्तर्गत निविदा(टेन्डर आई0डी0-141673 एवं 142021) में संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288) द्वारा फर्जी भुगतान प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288) को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 12396 दिनांक 10.12.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नरूपेण है:-

कार्य प्रमंडल, मझौल-बखरी के अधीन एम0एम0जी0एस0यु0वाई0 योजनान्तर्गत निविदा(टेन्डर आई0डी0-141673 एवं 142021) में संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288) द्वारा फर्जी भुगतान प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण संदर्भित निविदा में संवेदक को अयोग्य घोषित करते हुए संवेदक के विरुद्ध बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के पूर्व संवेदक से कारणपृच्छा की गई। निर्धारित समयावधि तक संवेदक से आरोप के बिंदु पर स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में आरोप को प्रमाणित मानते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 12396 दिनांक 10.12.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया।


2. उक्त कालीकरण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-571/2025 Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-571/2026 Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.03.2026 को न्यायादेश पारित करते हुए निष्पादित किया गया है।

पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

“14. In view of the fact that fair opportunity of hearing has not been granted to the petitioner, the documents which formed basis of the impugned order of blacklisting were never supplied to him, and taking note of decisions of Hon'ble Apex Court mentioned above, the impugned order of blacklisting dated 10.12.2025 as contained in Memo No. 12396 is hereby set aside.

15. The matter is remitted back to the competent authority, who shall pass an appropriate order in accordance with law after affording due opportunity of hearing to all the stakeholders, and if necessary, granting personal hearing.



440-3780
23.5.26
[Handwritten signature]


1855

16. With the aforesaid observations and direction, the present writ application stands disposed of.

17. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में आज दिनांक 08.05.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान संवेदक द्वारा भुगतान प्रमाण पत्र के संबंध में बताया गया कि उनके द्वारा कई निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें भुगतान लंबित है। अबतक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।
5. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा निविदा में On-going works के एकरारनामा की राशि के आधार पर भुगतान का अनुमान बताया गया, परंतु उनके द्वारा भुगतान प्रमाण पत्र के संबंध में कोई साक्ष्य प्रदर्शित नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा निविदा में फर्जी भुगतान प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।

वर्णित तथ्यों के आलोक में कार्य प्रमंडल, मझौल-बखरी के अधीन एम0एम0जी0एस0यु0वाई0 योजनान्तर्गत निविदा(टेन्डर आई0डी0-141673 एवं 142021) में फर्जी भुगतान प्रमाण पत्र समर्पित करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) की उपकंडिका (ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288, PAN-AAHCR4725K) को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।



(सुधर कुमार)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:-14/5/26

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-294/2025 5932


प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:-14/5/26

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-294/2025 5932

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:-14/5/26

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-294/2025 5932

प्रतिलिपि:-Rishav Utilities Services Pvt. Ltd. (Regd. No-1220288) At-Shri Rampuri Colony, NH 28, Post-Sahjanand Colony, Behind State Bank, Bhagwanpur, Dist-Muzaffarpur, Pin-843120 को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

kr

(25)

बंधित

5622038/24

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
19 MAY 2026
1854
E.m.c.l.

20 MAY 2026

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन शीर्ष नाबार्ड योजनान्तर्गत Construction of HL RCC Bridge(9x24.75m) over Kuil River at Hussaina Ghat(Abgil Panchayat) पुल निर्माण कार्य संवेदक Amit Kumar(Regd. No-1160025/1190304), At-Vijay Nagar, PO-Lohiyanagar, PS-Patrnakarnagar, Dist-Patna, Pin-800020 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 15.01.2016 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 14.07.2017 है।

उक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण दिनांक 03.04.2024 को वरीय पुल सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग एवं मुख्य अभियंता-03, भागलपुर, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण कराने हेतु संवेदक को कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से स्मारित करने के बावजूद संवेदक द्वारा त्रुटियों के निराकरण एवं कार्य पूर्ण कराने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तदालोक में संवेदक के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक 3529 दिनांक 19.03.2026 एवं पत्रांक 4784 अनु0 दिनांक 20.04.2026 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गई। कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा आरोप के बिंदु पर अबतक अपना बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में संवेदक द्वारा कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन शीर्ष नाबार्ड योजनान्तर्गत Construction of HL RCC Bridge(9x24.75m) over Kuil River at Hussaina Ghat(Abgil Panchayat) पुल निर्माण में त्रुटियों का निराकरण नहीं करने संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक Amit Kumar(Regd. No-1160025/1190304, PAN-AIBPK3232H), At-Vijay Nagar, PO-Lohiyanagar, PS-Patrnakarnagar, Dist-Patna, Pin-800020 को कालीकृत(Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-80/2026 6011

/पटना, दिनांक:- 15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

दिनांक-3783
23/5/26

Handwritten signature and date 23/5/26

1253

निबंधित

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-80/2026 6011 /पटना, दिनांक:-15/5/26

प्रतिलिपि:-Amit Kumar(Regd. No-1160025/1190304), At-Vijay Nagar, PO-Lohiyannagar, PS-Patnakarnagar, Dist-Patna, Pin-800020 को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
12/05/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-80/2026 6011 /पटना, दिनांक:-15/5/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
12/05/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-80/2026 6011 /पटना, दिनांक:-15/5/26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
12/05/2026
अभियंता प्रमुख
Gr.

5622105/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

निदेशानुसार
19 MAY 2025
दिनांक-15/5/26
E-In-CHD
1852

80-12

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012
संवेदक Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No. 1230370), Add:-

20 MAY 2025

At-Baijalpur Kesho, P.O+P.S- Sonpur, Dist-Saran Bihar Pincode 841101 को कार्य प्रमंडल, सोनपुर के अधीन MR-3054 (Old) योजनान्तर्गत Parsa to Bheldi पथ का निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य आवंटित किया गया। संदर्भित पथ का निर्माण कार्य संवेदक द्वारा पूर्ण किये जाने के उपरान्त पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कोई अभिलेखि नहीं ली गई।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर द्वारा संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु उचित माध्यम से अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3744 दिनांक 18.12.2024, पत्रांक 289 दिनांक 21.01.2025 एवं पत्रांक 779 दिनांक 21.02.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में पंचवर्षीय अनुरक्षण से इतर अन्य मामलो का उल्लेख किया गया है तथा मूल आरोप पर जवाब नहीं दिया गया है साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा संदर्भित पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किया जाना, संवेदक Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No. 1230370) पूर्णतः दोषी है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No. 1230370), Add:- At-Baijalpur Kesho, P.O+P.S- Sonpur, Dist-Saran Bihar Pincode 841101 के निबंधन संख्या:-1230370, PAN No. AAJCA9684J को कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

दिनांक-17/5/26
23.5.26

14/05/2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख
/पटना, दिनांक-15/5/26

निबंधित

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012
प्रतिलिपि- संवेदक Apex Infratel Management Service Pvt. Ltd. (Reg. No. 1230370), Add:- At-Baijalpur Kesho, P.O+P.S- Sonpur, Dist-Saran Bihar Pincode 841101 को सूचनार्थ प्रेषित।

Handwritten signature and date 15/5/26


14/05/2026
अभियंता प्रमुख
P.T.O

(1851)

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012

/पटना, दिनांक-15/5/26


प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012

/पटना, दिनांक-15/5/26


प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012

/पटना, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-188/2025 6012

/पटना, दिनांक-15/5/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।


अभियंता प्रमुख


Website

1

5591301/26

P.H.E.D

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश



संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र सं०-5941 (S)We दिनांक-04.07.2025 से संवेदक M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At-Gayatri Mandir Road, Akharagath, Nazirpur, Po-Shekhpora, Muzaffarpur, Bihar (निबंधन सं०-1200030 श्रेणी-01) को पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत हथौड़ी कोटी PWD रोड तक में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete Pavement का Compressive Strength प्रावधान (305.916 kg/cm²) से कम 190.66 kg/cm² पाये जाने के लिए विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-5570(E)We, दिनांक-21.08.2025, के द्वारा मार्गदर्शिका की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-03.09.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें संवेदक द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन के साथ-साथ विभागीय मार्गदर्शिका की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तदक्रम में विभागीय पत्रांक-6729(E)We, दिनांक-27.09.2025 द्वारा संवेदक को कतिपय दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिसके आलोक में संवेदक द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-20.10.2025 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के संबंध में विभागीय पत्रांक-543(E)We, दिनांक-22.01.2026 एवं पत्रांक-2157(E) दिनांक-25.03.2026 द्वारा TTRI से मंतव्य प्रतिवेदन की माँग की गई, जिसके आलोक में TTRI के पत्रांक-197 अनु० दिनांक-01.04.2026 उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित है कि "विभागीय मार्गदर्शिका एवं MoRTH के प्रावधानों के अनुरूप विषयांकित पथ से संग्रहित PQC (M30) के नमूनों का जाँचफल निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है। तदनुसार सम्यक विचारोपरान्त संवेदक का स्पष्टीकरण तथ्यपरक नहीं पाया गया।"

अतः प्रस्तुत मामले में विषयांकित पथ में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete Pavement का Compressive Strength प्रावधान (305.916 kg/cm²) से कम 190.66 kg/cm² पाये जाने के दृष्टिपथ में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०-154 सहपठित ज्ञापांक-5403 (S) दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 (1) (c) के प्रावधानों के तहत संवेदक M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At-Gayatri Mandir Road, Akharagath, Nazirpur, Po-Shekhpora, Muzaffarpur, Bihar (निबंधन सं०-1200030 श्रेणी-01) (PAN No.-ANVPS8730R) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

अभियता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

क०प०उ०

1849

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-31/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संवेदक M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At-Gayatri Mandir Road, Akharaghath, Nazirpur, Po-Shekhpora, Muzaffarpur, Bihar, Pin-842002, E-mail ID-adityaprakash625@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-31/2025-

3107(E)/पटना, दिनांक..... 11/5/26

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

BM
09/05/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

Am
09.05.26

91
E-mail

1847

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-11/2025-
प्रतिलिपि :- संवेदक Hopecon Infra Projects Pvt. Ltd., House-165, Manju Villa,
Patliputra Colony, Patna, Bihar-800013/ H/O-A/206, Sheetal Dhamevershine City,
Gokhiware, Thane, Maharashtra-401208/ 404, Genx Icon, Near Saguna More, Bailey
Road, Patna- 801503, E-mail ID- hopeconinfraprojects@gmail.com, info@
hopecon.infra.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक.....

ह०/-
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-11/2025- 2323 (E) /पटना, दिनांक 7/04/2026
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण
विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल-संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन
विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार,
पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्ट
रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।
02.04.26

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,

ज्ञापांक:-14/अ०प्र०-13-14/2025 5934 /पटना, दिनांक 14/5/26
प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई०टी० मैनेजर,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रभाष चन्द्र सिंह प्रबल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-14/अ०प्र०-13-14/2025 5934 /पटना, दिनांक 14/5/26
प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, पी०एम०जी०एस०वाई०/ एम०एम०जी०एस०वाई०/नाबाई
/एम०आर० (3054) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

BH

पत्रांक:-

/नवादा, दिनांक:-

प्रपत्र-12

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा

सेवा में,

श्री राकेश (संवेदक)

भी0आई0पी0 कॉलोनी, मोतीनगर, नवादा।

MBD-119/2019-20, Mob-7004810249

विषय :-

डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय के पत्र संख्या-1082 दिनांक-04.08.2023, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, वारिसलीगंज के पत्र संख्या-132 दिनांक-19.08.2021, पत्रांक-43 दिनांक-16.02.2026 एवं 81 दिनांक-04.04.2026 इस कार्यालय के ज्ञापांक-600 दिनांक-18.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा इस कार्यालय में एकरारनामा संख्या- MBD-119/2019-20 के तहत प्रखण्ड-काशिवक, पंचायत-सुभानपुर, वार्ड संख्या-01,07 में "हर घर नल का जल" योजना के तहत जलापूर्ति योजना का डी0वी0 कार्य एवं 5 वर्षों का रख-रखाव का कार्य का एकरारनामा किया गया था, लेकिन आपके द्वारा मोटर खराब हो जाने पर मानक प्रावधान के तहत मोटर नहीं बनाना, CGRC Portal पर प्राप्त शिकायत का निपटारा नहीं करना, समय पर पम्प ऑपरेटर का पारिश्रमिक भुगतान नहीं करना, समय पर विद्युत विपत्र जमा का रशिद उपलब्ध नहीं कराना, समय पर योजना के विरुद्ध रख-रखाव का विपत्र तैयार करने हेतु आवश्यक कागजात समर्पित नहीं करना ये सब एकरारनामा के विभिन्न सुसंगत कडिका के अनुकूल नहीं है, जिसकी सूचना एवं निर्देश आपको प्रासंगिक पत्रों दूरभाष, बैठक के माध्यम से दी है। लेकिन आपने जलापूर्ति योजना को चालू करने में कोई अभी रुचि नहीं है।

अतः आपको एकरारनामा संख्या- MBD-119/2019-20 के विभिन्न सुसंगत कडिकाओं के तहत एकरारनामा, निविदा की शर्तों एवं विभागीय निर्देश का उल्लंघन करने के कारण आपका विभागीय सूचिवद्वता संख्या-541/2019 को अगले आदेश तक डिबार किया जाता है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

ज्ञापांक-

नवादा दिनांक-

प्रतिलिपि:- अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, नवादा/रजौली/वारिसलीगंज /अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

ज्ञापांक- 1110

नवादा दिनांक- 09/04/2026

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण गया जी अंचल गया जी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा।

17-4-26

14/4/26

82/26

5445031/26

(24)

(1/1/26), P.H.F.D.

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

1845



अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र सं०-3108 (S)We दिनांक-11.04.2025 से दिनांक-30.01.2025 को उड़नदस्ता जाँच मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराई गयी। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत चट्टी चौक से फेकला पथ (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 6.050) पथ के 5th कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Equivalent Cube Strength प्रावधान (407.888 Kg/cm²) से काफी कम 276.6125 Kg/cm² पाये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त अनियमितता हेतु संवेदक Vidyarthi Construction Private Limited., (निबंधन सं०-1250053 श्रेणी-01) को बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11 क (ii) के तहत काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-7223(E)We, दिनांक-17.10.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-13.11.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें उड़नदस्ता प्रमंडल सं०-4 के प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-104(E)We, दिनांक-07.01.2026 से माँगी गई दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिस क्रम में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-27.01.2026 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसे समीक्षोपरान्त तथ्यपरक एवं स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत चट्टी चौक से फेकला पथ (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 6.050) पथ के 5th कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Equivalent Cube Strength प्रावधान (407.888 Kg/cm²) से काफी कम 276.6125 Kg/cm² पाये जाने के आलोक में बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०-154 सहपठित ज्ञापांक-5403 (S) दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 (1) (c) के प्रावधानों के तहत संवेदक Vidyarthi Construction Private Limited., (निबंधन सं०-1250053 श्रेणी-01) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-09/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संवेदक Vidyarthi Construction Private Limited., H/O-Netaji Nand Vihar, Mithanpura Colony, Po-Ramna, Muzaffarpur, Bihar-842002, E-mail- msyrcon@yahoo.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

क०प००३०

1844

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-09/2025-2338(E) /पटना, दिनांक 31/04/2026 .

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

0009
06/04/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

Amu
06.04.26

15

CE (N.G.)

15/4/26

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वारथ्य प्रमंडल, मोतीपुर।

CE(S)
1843
08 APR 2026

कार्यालय आदेश संख्या- 12 / दिनांक- 06-04-2026

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पंचायती राज विभाग से हस्तान्तरित योजना "हर घर नल का जल" के तहत मेसर्स चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0, मकान संख्या-123, ग्राम-सुपना, पोस्ट-गोरीगामा जीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 को एकरारनामा संख्या-5BD-19/2024-25 के अन्तर्गत प्रखण्ड सरैया का (O&M PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं सम्पोषण कार्य आवंटित है। प्रति प्रखण्ड 20 अदद मरम्मति दल रख कर निर्मित योजनाओं का मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य कराया जाना है। जिसके लिये कई बार मैथिलक, दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक-153 दिनांक-15.01.2026, पत्रांक-198 दिनांक-19.01.2026, पत्रांक-201 दिनांक-19.01.2026, पत्रांक-263 दिनांक-24.01.2026, पत्रांक-668 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-670 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-671 दिनांक-28.02.2026, पत्रांक-683 दिनांक-04.03.2026, पत्रांक-781 दिनांक-14.03.2026, एवं पत्रांक-826 दिनांक-17.03.2026 को निदेशित करते हुए 24 घंटे के अन्दर लखित शिकायतों का निराकरण कर ATR उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। परंतु संवेदक के द्वारा कोई अभिरूची नहीं ली गई। पुनः संवेदक को विभागीय मानक के अनुसार गैंग टीम (मरम्मति दल) रख कर CGRC एवं स्रोतों से प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन कराने के लिये निदेशित किये जाने के बावजूद भी इस संबंध में कोई रुची नहीं ली गयी। कनीय अभियंता लोक स्वारथ्य प्रशाखा, सरैया का पत्रांक-शून्य दिनांक-18.02.2026 एवं सहायक अभियंता, लोक स्वारथ्य अवर प्रमंडल, सरैया का पत्रांक-20 दिनांक-14.03.2026, पत्रांक-27 दिनांक-24.03.2026, पत्रांक-30 दिनांक-28.03.2026, पत्रांक-34 दिनांक-05.04.2026 एवं पत्रांक-35 दिनांक-05.04.2026 द्वारा पत्र के माध्यम से कहा गया कि संवेदक द्वारा विभागीय कार्यों के प्रति संवेदक के घोर लापरवाही से CGRC एवं अन्य स्रोतों के प्राप्ता शिकायत लम्बे समय से लखित है। रा-समय कार्य नहीं होने पर शिकायतकर्ता जनप्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा निराशा व्यक्त की जाती है। एवं उनके विरोध का सामना करना पड़ता है वर्तमान में प्रखण्ड सरैया अन्तर्गत 136 अदद CGRC शिकायत लखित है। जो निम्न प्रकार है:-

AM
15/4/26

4-12
15/4/26

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	कुल लखित शिकायत की सं0	0-1 दिन से लखित शिकायत की सं0	2-3 दिन से लखित शिकायत की सं0	4-7 दिन से लखित शिकायत की सं0	8-15 दिन से लखित शिकायत की सं0	16-30 दिन से लखित शिकायत की सं0	30 दिन से लखित शिकायत की सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	सरैया	136	2	12	27	48	27	20
	कुल-	136	2	12	27	48	27	20

अतः सहायक अभियंता, लोक स्वारथ्य अवर प्रमंडल, सरैया का पत्रांक-35 दिनांक-05.04.2026 के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिये सम्यक विचारोपरान्त एवं बिहार टेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका ॥ (क) की उप कंडिका तथा समान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक/एजेन्सी मेसर्स चौधरी एण्ड चौधरी इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 मकान संख्या-123, ग्राम-सुपना, पोस्ट-गोरीगामा जीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 एकरारनामा संख्या-5BD-19/2024-25 (सूचियद्धता संख्या-02920240666) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिवार) किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त CGRC से प्राप्त लखित शिकायतों का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उक्त एकरारनामा को विखंडित कर प्रमंडल में जमा राशि को राज्यसात कर दी जायेगी जिसके लिये संवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वारथ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
15/4/26

15/4/26

3027
16.4.26

1842

- ज्ञापांक-938 / दिनांक-06-04-2026
प्रतिलिपि:- मेरास चौधरी एण्ड चौधरी इन्फाटेक प्रा0 लि0, गकान संख्या-123, ग्राम-सुपना, पारट-गोरीगामा डीह, मुजफ्फरपुर पिन-844120 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 06.04.26
- ज्ञापांक-938 / दिनांक-06-04-2026 /
प्रतिलिपि:- सनी सहायक अभियंता/समी कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 06.04.26
- ज्ञापांक-938 / दिनांक-06-04-2026 /
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 06.04.26
- ज्ञापांक-938 / दिनांक-06-04-2026 /
प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर अभियंता प्रमुख -सह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 06.04.26
- ज्ञापांक-938 / दिनांक-06-04-2026 /
प्रतिलिपि:- ग्रामीण कार्य विभाग (प्रमंडल-पश्चिमी/पुर्वी), मुजफ्फरपुर-1 एवं 2/भवन निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/योजना एवं विकास विभाग, मुजफ्फरपुर/नगर विकास एवं आवास विभाग, मुजफ्फरपुर/तट्टु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/सोन उच्च स्तरीय विभाग, मुजफ्फरपुर/पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर/बुडको, मुजफ्फरपुर/LAEO मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।
दिनांक 06.04.26

शुभांक- 35

दिनांक- 5-4-26

प्रेषक - सहायक जजियत
जीक स्वाठ अपर प्रांज
सरैया

1841

सैव मै

मेरु choudhary and choudhary lawyers Ltd (प्रखंड सरैया)

विषय- CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत गिषादन नही करने के संबंध में

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रांशंगिक पत्र के जालीक मै कहना है कि एकर नामा

सब-SDP-19 वर्ष-2024-25 प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग हस्ताक्षित योजना (O&M-PRD) से संबंधित जलपुसि योजना का कार्य के लिए शरयशय एंव परिपालन आवंलित है। CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत कुल 156 है मुका है एकर नामा के अनुसार विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है जिसका अनुपालन नही किया जा रहा है अतः दिवार के लिए अनुशंसा नि जारी है

विश्राभाषण
श्री ज 1126
सहायक जमीत
जीक स्वाठ अपर प्रांज
सरैया

प्रतिनिधी - कार्मपालक जजियत जीक स्वाठ प्रांज मोगीडर कौ खारर शरयशय एंव परिपालन

1840

सेवा में,

सहायक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया (मोतीपुर)।

विषय :- Choudhary And Choudhary Infrotech Pvt Ltd. संवेदक को डिबार करने के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अत्यंत खेदजनक एवं गंभीर विषय है कि Choudhary And Choudhary Infrotech Pvt Ltd. द्वारा CGRC एवं अन्य शिकायत के समाधान हेतु अनुबंध में निहित शर्तों एवं विभागीय निर्देशों की लगातार जानबूझ कर एवं गंभीर अवहेलना की जा रही है। यह तथ्य निर्विवाद है कि अनुबंध के अंतर्गत शिकायत निवारण हेतु पर्याप्त संख्या (कुल 29) में मरम्मती दल की तैनाती अनिवार्य है परन्तु इसके विपरीत संवेदक इसके विपरीत संवेदक द्वारा अत्यंत लापरवाह एवं गैर जिम्मेदारान रवैया अपनाते हुए कार्य किया जा रहा है वर्तमान में CGRC पोर्टल पर शिकायत ग्राम पंचायत नारंगीजीवनाथ वार्ड 02 के दीपक सिंह (मो 8002644008) CGRC शिकायत संख्या DCC020723000102261540 दिनांक 01-02-2026 कुल 16 दिन से संश्लेषित है। जो यह स्पष्ट दर्शाता है कि संवेदक न तो अनुबंधीय दायित्वों को गंभीरता से ले रहा है और न ही उपरोक्ता सेवा के प्रति उत्तरदायी है। यह भी स्पष्ट है किया जाता है कि पूर्व में बार बार मौखिक तथा लिखित निर्देश दिए जाने के बावजूद संवेदक के कार्यशीलता में कोई सुधार नहीं किया गया है वर्तमान में शिकायत स्थल पर मरम्मती दल कार्यरत नहीं है और गुप्ते संवेदक द्वारा छुटा सुचना दिया जाता है जो CGRC शिकायत का निराकरण कर दिया गया है जबकि गैरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाता है तो पता चलता है कि मरम्मती दल भेजा ही नहीं है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप सरैया प्रखंड में वार्ड स्तरीय जलपूर्ति योजनाओं से आच्छादित होने वाले आम जनता के पेयजल की समस्या बनी हुई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एकरारनामा के तहत Choudhary And Choudhary Infrotech Pvt Ltd. को डिबार करने कि अनुशंसा कि जाती है।

विश्वासभाजन

Shabira Khanam

16/02/2026

कनीय अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रशाखा -सरैया

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

189

सेवा में,

Choudhary And Choudhary Infotech Pvt Ltd,

Muzaffarpur |

विषय :- लोक स्वास्थ्य परामर्श, सौरा अंतर्गत CGRC के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन नहीं होने एवं मरम्माती दल नहीं रहने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि पंचायती राज विभाग द्वारा नियोजित वार्ड, शहीद जलापूर्ति योजनाओं का व्यापक O&M और विशेष मरम्माती हेतु कार्य आरंभित किया गया है। विहित ही कि विभागीय पोर्टल CGRC से प्राप्त शिकायतों कि संख्या वर्तमान में 04 अदर शिकायत संयित है। यह अत्यंत गंभीर एवं घोर त्रापरवाही है। यह निर्विवाद तथ्य है कि अनुबंध के अंतर्गत CGRC शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन हेतु पर्याप्त संख्या में मरम्माती दल कि तैनाती अनिवार्य है। जबकि आपके द्वारा वर्तमान में कुल 3 दल कार्यरत है जो अत्यंत ही खेदजनक है यह भी आपको स्पष्ट रूप अवगत कराया जाता है कि पूर्व आपको बार बार भौतिक एवं लिखित निर्देश दिए गए हैं। इसके उपरांत भी आपके मरम्माती दलों की संख्या बढ़ाने अथवा कार्य समयरेखा में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है। यह आश्चर्य न देखत अनुबंध कि शर्तों का सुता उल्लंघन है बल्कि विभागीय छवि को धूमित किया जा रहा है।

आपका यह कृत यह सिद्ध करता है कि आप जानबूझकर कार्य में शिथिलता धरत रहे हैं तथा विभागीय आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया सखता है।

अतः आपको अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि अनुबंध कि दण्डालयक धाराओं के अंतर्गत प्रति शिकायत प्रति दिन निर्धारित अर्थ दण्ड तत्काल प्रभाव से की अहसासपित किए जाने की करवाई कि जा रही है। जो इस पत्र के साथ संलग्न है। यदि इसके पश्चात भी 24 घंटों के अंदर CGRC शिकायतों के निष्पादन में आरंभित सुधार नहीं पाया गया तो आपके विरुद्ध बिना किसी अतिरिक्त सुचना के संविदा समाप्त करने कि अनुरासा कि जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विरासतमाजन

AD
11/03/26
सहायक अभियंता

लोक स्वास्थ्य अजर प्रमंडल -सौरा

प्रतिरिप - कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनाार्थ एवं आचरक दार्जाई हेतु समर्पित।

1839

दिनांक :- 24-03-2026

गाथांक ...2.../

प्रेषक:- सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया ।

सेवा में,

मे० Choudhary And Choudhary Infrotech Pvt Ltd (प्रखंड सरैया)

ईमेल ID - choudhary777.ch@gmail.com | SBD 19 2024-25

विषय :- CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन नहीं करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अलावा में कहना है कि एकरारनामा संख्या SBD 19 वर्ष 2024-25 के प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित योजना (O & M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन आवंटित है ।

CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन ससमय नहीं किया जा रहा है जिसकी विवरणी संलग्न है । एकरारनामा के अनुसार अलग अलग परिवाद के निष्पादन का विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः तीन दिनों के अंदर CGRC से प्राप्त सभी परिवादों का निष्पादन कर प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित करें । अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

विश्वासभाजन

AP
24/3/26

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, लोक सवास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

AP
24/3/26

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

शासक : ...S.D...

दिनांक :- 28-03-2026

1837

प्रेषक:- सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया।

सेवा में,

मे. Choudhary And Choudhary Infratech Pvt Ltd (प्रखंड सरैया)

ईमेल ID - choudhary777.ch@gmail.com | SBD 19 2024-25

विषय :- CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन नहीं करने के संबंध में।


महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अलोक में कहना है कि एकरारनामा संख्या SBD 19 वर्ष 2024-25 के प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तान्तरित योजना (O & M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यो का धार वर्षो के लिए रख-रखाव एवं परिचालन आवंटित है।

CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन ससमय नहीं किया जा रहा है जिसकी विवरणी संलग्न है। एकरारनामा के अनुसार अलग अलग परिवाद के निष्पादन का विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः तीन दिनों के अंदर CGRC से प्राप्त सभी परिवादों का निष्पादन कर प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित करें। अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

विश्वासभाजन



सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

प्रतिनिप - कार्यपालक अभियंता, लोक सवास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

1836

1836/418

गाथांक ...24...

दिनांक :- 05-04-2026

प्रेषक:- सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया।

सेवा में,

भे० Choudhary And Choudhary Infrotech Pvt Ltd (प्रखंड सरैया)

ईमेल ID - choudhary777.ch@gmail.com | SBD 19 2024-25

विषय :- CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन नहीं करने के संबंध में।


महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अलोक में कहना है कि एकरारनामा संख्या SBD 19 वर्ष 2024-25 के प्रखंड सरैया का पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तारित योजना (O & M-PRD) से संबंधित जलापूर्ति योजना के कार्यों का चार वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन आवंटित है।

CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत का निष्पादन सहाय नहीं किया जा रहा है जिसकी विवरणी तलम है। एकरारनामा के अनुसार अलग अलग परिवार के निष्पादन का विभाग के द्वारा समय सीमा तय की गई है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः तीन दिनों के अंदर CGRC से प्राप्त सभी परिवारों का निष्पादन कर प्रमंडलीय कार्यालय में सूचित करें। अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

विश्वासभाजन


5/4/26

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, लोक सवास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सादर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


5/4/26

सहायक अभियंता

लोक सवास्थ्य अवर प्रमंडल, सरैया